तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ६१

मंगलवार; ७ मई, १९६३
१७ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८ — ६०४६—६१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४-क, १६, १७ और १८ — ६०६१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या २७२० से २७२४ — ६०६६—७१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ — ६०७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— — ६०७१—७४

(१) नज़रबन्द भारतीयों द्वारा लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त से की गई शिकायतें

(२) दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक विमान की दुर्घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ६०७४—७७

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

कार्यवाही —सारांश और दूसरा प्रतिवेदन — ६०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश — ६०७७

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति — ६०७७—८१

विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य — ६०८१—८५

श्री जवाहरलाल नेहरू — ६०८१—८५

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक संबंधी संयुक्त समिति— — ६०८५—८६

सदस्य की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति का भरा जाना

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले के बारे में वक्तव्य

श्री जवाहरलाल नेहरू — ६०८६—८८

दार्जिलिंग जैव सगठनों के लिये नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव — ६०८८—६११८

श्री दी० चं० शर्मा — ६०८८

श्री हिम्मत सिंहका — ६०८८—९०

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

मंगलवार, ७ मई, १९६३

१७ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेताजी के जन्म दिवस की स्मृति में डाक-टिकट

†*११८५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४ में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आगामी जन्म दिवस पर जारी किये जाने वाले डाक टिकट के डिजाइन को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कुछ डिजाइन मांगे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो कितने डिजाइन प्राप्त हुए थे ; और

(घ) छांटे गये डिजाइन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : चूंकि सरकार वर्ष १९६४ में स्मारक टिकट जारी करने जा रही है अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का उस पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म और मरण की तिथियाँ अंकित करने का विचार है ?

†**श्री भगवती** : यह उन के अगले जन्म दिवस अर्थात् २३ जनवरी, १९६४ को जारी किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : चूंकि सरकार २३ जनवरी, १९६४ को स्मारक टिकट जारी करने जा रही है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर नेता जी के जन्म और मरण की तिथियां अंकित की जायेंगी अथवा केवल उनका चित्र ही?

†**श्री भगवती** : टिकट पर नेताजी का चित्र ही अंकित होगा। इस मामले में हम ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता से भी परामर्श किया था और उन्होंने नेताजी के अंतःकालीन सरकार के प्रधान और आजाद हिन्द फौज के सेनापति के रूप में पूर्ण आकृति अंकित करने का सुझाव दिया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं इस निर्णय के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेताजी के अगले जन्म-दिवस पर डाक-टिकटों पर उनका चित्र प्रकाशित किया जायेगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब नेताजी का देहान्त हुए इतने वर्ष हो गए, तो सरकार की ओर से इस बारे में निर्णय करने में इतनी देरी क्यों हुई ।

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : निर्णय करने में अब कोई देरी नहीं है । यह निर्णय हो चुका है कि यह डाक-टिकट निकाली जाय ।

श्री भक्त दर्शन : मेरा तात्पर्य यह है कि जब नेताजी का देहान्त हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, तो यह डाक-टिकट पहले क्यों नहीं प्रकाशित की गई।

श्री जगजीवन राम : पहले नहीं की गई, लेकिन अब तो निर्णय हो चुका है कि उनके अगले जन्म दिवस पर डाक टिकट निकाली जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कभी कभी इस प्रकार के टिकट जारी किए जाने पर कुछ क्षेत्रों में आलोचना की जाती है । क्या टिकट का डिजाइन स्वीकार करते समय बंगाल सरकार, नेताजी के संबंधियों और उनके निकट सम्पर्क में आए व्यक्तियों से परामर्श किया गया था और क्या उन्होंने उस डिजाइन का अनुमोदन किया है ?

श्री भगवती : हमने नेताजी के कुछ संबंधियों से परामर्श किया था जो कलकत्ता में रहते हैं; उन्होंने हमारे पास कुछ फोटो भेजे हैं और कुछ सिफारिशें भी की हैं। डिजाइन तैयार करने में हमने उन सबका विचार किया है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : सामान्यतः जब इस प्रकार के टिकट बनाए जाते हैं तो बहुत से डिजाइन आमंत्रित किये जाते हैं और अनेक कलाकारों से ऐसे डिजाइन बनाने का अनुरोध किया जाता है । क्या इस मामले में ऐसा किया गया है और क्या नेताजी रिसर्च ब्यूरो से डिजाइन भेजने के लिए कहा गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : सामान्यतः हम अपने नासिक स्थित गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस के डिजाइनरों और कलाकारों से टिकटों के डिजाइन तैयार करने के लिये कहते हैं। वैसा अभी नहीं किया गया है। कुछ मामलों में, जिन में हम आवश्यक समझते हैं, हम देश के उच्चकोटि के कलाकारों से भी डिज़ाइन भेजने के लिए कहते हैं। वह स्थिति अभी नहीं आई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री भक्त दर्शन ने पूछा था कि नौ वर्ष बीत जाने पर भी टिकट जारी क्यों नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अब यह विश्वास हो गया है कि वह वास्तव में मर गये हैं और इसीलिए यह टिकट जारी करने का निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने रिपोर्ट पेश की थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान् आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व सभा में उनकी अस्थियां भारत लाने के संबंध में एक गैर-सरकारी संकल्प पेश किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु सरकार को इसका पूर्ण विश्वास है और उन्होंने अपनी नीति का संकेत भी किया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह संकल्प वापस ले लिया गया था क्योंकि इस संबंध में कुछ शंका थी और यही कारण है कि हम इच्छा होने पर भी सेन्ट्रल हाल में उनका चित्र नहीं लगा सके ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उस समिति में एक विमति टिप्पण भी संलग्न था।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं वही कहूंगा जो पहले कह चुका हूं कि स्मारक टिकट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अगले जन्म दिन पर जारी किया जा रहा है ।

†**श्री कपूर सिंह** : स्मारक टिकट जारी करने का निर्णय किन सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : ये टिकट विभिन्न सीरीज़ में जारी किये जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सीरीज़ सन्तों और कवियों की है। एक सीरीज़ समाज सुधारकों की है। एक सीरीज़ शिक्षाविदों की है। एक सीरीज़ राष्ट्रीय नेताओं की है । हमारे जो नेता समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन आदि क्षेत्रों में नाम कर चुके हैं उनका इस संबंध में विचार किया जाता है।

अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अभिकर्ता

†*११८६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा-निवृत्त डाक कर्मचारियों को राष्ट्रीय बचत संगठन की अल्प बचत योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत अभिकर्त्ता नियुक्त किये जाने की जो सुविधा दी जाती थी क्या वह हाल में सरकार द्वारा वापस ले ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपना निर्णय बदलने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) डाक कर्मचारियों के साथ मिलकर गोलमाल करने की संभावना से बचाव ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस प्रकार के गोलमाल प्रकाश में हैं और हाल के महीनों में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और ऐसे गोलमाल को रोकने के अतिरिक्त क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भगवती :** १९६१ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्यक्षतः खरीदे गये प्रमाणपत्रों पर अनियमित कमीशन लिये जाने के मामलों का उल्लेख है। इस प्रकार मद्रास में ७,७४८ रुपए निकाले गए और कलकत्ता में ३,८८८ रुपए। कभी कभी इन मामलों को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। परन्तु पर्याप्त प्रमाण होने पर राज्य सरकारों से एजेंटों को दण्डित करने के लिए कहा जाता है। यदि पर्याप्त प्रमाण नहीं होता तो उनसे एजेंसी खत्म कर देने के लिये कहा जाता है। इसी प्रकार डाक तथा तार विभाग भी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सरकार के इस निर्णय से डाक विभाग के कितने सेवा-निवृत्त कर्मचारी प्रभावित होंगे।

†**श्री भगवती :** मैं बिना सूचना के संख्या नहीं बता सकता हूं।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या उपमंत्री यह बता सकते हैं कि सेवा-निवृत्त पोस्ट मास्टरों ने अलग अलग कितना रुपया जमा किया है ?

†**श्री भगवती :** मेरे पास सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टरों द्वारा जमा की गई राशि के पृथक् आंकड़े नहीं हैं। मेरे पास कुल राशि की सूचना है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि स्माल-सेविंग्ज के कार्यक्रम को और बढ़ावा देने के लिये गांवों के डाकखानों में इसका पूरा प्रसार किया जाये और इस के लिए विशेष सुविधायें दी जायें ? क्या इसके लिये कोई कार्य किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अलाहदा सवाल है।

†**श्री भगवती :** विभागातिरिक्त डाकघरों को प्राधिकार दिया गया है।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या अल्प बचत ऐजेंटों की यह धारणा है कि सेवानिवृत्त डाक कर्मकारियों को दी गई सुविधा अन्य एजेंटों के विकास में बाधक है ?

†**श्री भगवती :** अब वह सुविधा खत्म कर दी गई है और उनको एजेंसी लेने से वंचित कर दिया गया है।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को एजेंट मुकर्रर किया जाता है, सरकार ने उन की क्या क्वालिफिकेशन्ज मुकर्रर की हैं ?

†**श्री भगवती :** उनको जमानत देनी पड़ती है और सरकार के साथ एक संविदा करना पड़ता है।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** क्या यह सच है कि जिला स्तर पर भूराजस्व निर्धारण के आधार पर अल्प बचत के जो लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं उनकी उगाही भूराजस्व अधिकारियों के माध्यम से की जाती है और वे उसे संगठित एजेंसियों द्वारा जमा न कराकर अपने निजी रिश्तेदारों द्वारा कराते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सर्वथा भिन्न चीज है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : पोस्टल एम्पलायीज़ से जमानत ली जाती है, सिक्योरिटी ली जाती है आपने जो सात हजार की फिगर दी है, क्या यह सही नहीं है कि यह रकम उनकी जमानत में से वसूल कर ली गई थी ? अगर यह सही है, तो फिर यह बन्द क्यों किया गया है ?

†**श्री भगवती :** मुझे नहीं मालूम कि वह रकम किस प्रकार जमा की जाती है क्योंकि इन विषयों का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मैं केवल ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकता जो डाक तथा तार विभाग से संबंधित हों :

चीनी का मुल्य

+

†*११८७ { **श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री बाल्मीकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये १७ अप्रैल, १९६३ को उन्होंने चीनी के जिस न्यूनतम मूल्य की घोषणा की थी वह उन क्षेत्रों म आने वाली उत्पादन लागत पर आधारित है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में चीनी का उत्पादन लागत क्या है ; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र के लिये चीनी का मूल्य निश्चित करते समय उद्योग को प्रतिमन कितना लाभ दिए जाने की अनुमति दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) सरकार ने समस्त राज्यों में चीनी का अधिकतम मूल्य निश्चित किया है, न्यूनतम नहीं। वह केवल उत्पादन लागत पर ही आधारित नहीं है वरभ् फरवरी-मार्च के मूल्यों और उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के क्षेत्र में चालू मौसम में गन्ने को पिराई को अवधि केवल ९० दिन है जब कि गत मौसम में लगभग १४५ दिन थो और यदि हां, तो कम अवधि के कारण उत्पादन को लागत और रोजगार की स्थिति पर क्या असर पड़ा है ?

†**श्री शिन्दे** : यह सही है कि उत्तर के चीनी के कारखानों के संबंध में मौसम की अवधि देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। परन्तु प्रशुल्क आयोग ने चीनी की लागत निकालते समय इन सब बातों का विचार रखा है। भारत सरकार ने भी चीनी के मूल्य के संबंध में प्रशुल्क आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही निर्णय किया है।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : क्या यह सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब क्षेत्रों में चालू मौसम में चीनी की औसत उत्पादन लागत, क्रमशः ४१.५८ रुपए, ४१.९७ रुपए और

---

†मूल अंग्रेजी में

४२.३४ रुपए है ? यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों के कन्ट्रोल मूल्य लागत की वसूली के लिए पर्याप्त है ?

†**श्री शिन्दे** : यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से है तो इस वर्ष वहां का मौसम ९० दिन का रहा और प्रशुल्क आयोग ९० दिन की अवधि के मौसम पर विचार करता है। उसमें नियोजित पूंजी पर १२ प्रतिशत आय सम्मिलित है और उद्योग के लिये आवश्यक लाभ भी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अनुभव से मालूम होता है कि न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारण की नीति अच्छी नहीं रही है और उससे चीनी की कमी, चोरबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिला है

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति : अब प्रश्न पर आइये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई औसत मूल्य निश्चित करेगी जो भारत के समस्त राज्यों में लागू हो ताकि इन बुराइयों के कारण उपभोक्ता को कष्ट न हो ?

†**श्री शिन्दे** : यह मूल्य उपभोक्ता के तथा अन्य संबंधित हितों का विचार करके निश्चित किया गया है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सरकार के समक्ष ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जिनके कारण मूल्य को उत्पादन लागत पर आधारित नहीं किया जा सकता है ?

†**श्री शिन्दे** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मूल्य का आधार उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर आय है।

†**श्री त्यागी** : चीनी मिल मालिकों के लाभ का न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिशत क्या है और क्या गन्ना उत्पादकों को भी इतने अथवा कुछ लाभ की गारंटी है क्योंकि उत्पादकों से गन्ना चीनी की मात्रा, अर्थात् उत्पादन लागत के आधार पर लिया जाता है ?

†**श्री शिन्दे** : इस समय गन्ने का मूल्य उससे प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा पर आधारित है। उस से चीनी उद्योग के लाभ का कोई संबंध नहीं है।

†**श्री त्यागी** : मेरी यही तो आपत्ति है कि जब किसानों के लाभ की गारंटी नहीं की गई है तो उद्योगपतियों के संबंध में वैसा कैसे किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भागवत झा आजाद।

†**श्री त्यागी** : मेरा निवेदन है कि किसानों के हितों का ध्यान नहीं किया जा रहा है अतः हमें उनका प्रतिनिधित्व होने के कारण यह प्रश्न अवश्य उठाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को सूचना तो दे दी गई है। अब यदि वह और कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए अन्य अवसर हैं।

†**श्री त्यागी** : मेरा नम्र निवेदन है कि मिल मालिकों के लिये तो लाभ की गारन्टी है परन्तु किसानों के लिये कोई गारंटी नहीं है।

---

†मल अंग्रजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : गत वर्ष यह मामला सभा में उठाया गया था । आप को याद होगा कि गत वर्ष मौसम असाधारण तः लम्बा रह था। उस समय अनेक माननीय सदस्यों ने कहा था कि गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य दिया जाना चाहिये। परन्तु उनको अधिक मूल्य नहीं मिल सका। इसलिये इस वर्ष भी यह शिकायत है कि चीनी कारखानों को चीनी का मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर नहीं दिया जा रहा है और उत्पादन लागत इस कारण बढ़ गई है कि गन्ने की पिराई के मौसम की अवधि कम रही । यह परस्पर विरोधी बात है। इसलिये मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि चूंकि गन्ना उत्पादकों को चीनी की मात्रा के आधार पर ही गन्ने का मूल्य दिया जाता है इसलिये हमें यह रियायत देनी पड़ी कि वे अपना गन्ना अपनी इच्छानुसार गुड़ अथवा खांडसारी किसी भी उद्योग को दे सकें। इस प्रकार उन्हें अधिक मूल्य मिलता है। हम उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे । हम उत्पादकों को नुकसान नहीं होने देंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यदि उचित उत्पादन लागत एवं मिल मालिकों को दिये गये उचित लाभ के बावजूद देश के समस्त भागों में चीनी का मूल्य माननीय मंत्री द्वारा निश्चित किए गए मूल्य से बढ़ गया है तो क्या यह उपभोक्ताओं के लिए हितकर है और क्या सरकार मूल्य कम करना चाहती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में चीनी की कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास लगभग १२ लाख टन चीनी पहले की थी और इस वर्ष उत्पादन कम होने के बावजूद वह २१ लाख टन से अधिक है । इस प्रकार देश में लगभग ३० लाख टन चीनी है। यदि इस में से निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा निकाल भी दी जाये तो २५ या २६ लाख टन चीनी हमारे पास रहेगी। यह कृत्रिम कमी इस गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई है कि अन्तर्राष्ट्रीय मल्य बढ़ गया है इसलिए हमें अधिक लाभ कमाना चाहिए। हम इस मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को दबाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**एक माननीय सदस्य** : किस प्रकार ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम आवश्यकता पड़ने पर उचित मूल्य की दूकाने स्थापित करेंगे । समस्त राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का प्राधिकार दिया गया है जो चीनी के संबंध में थोक अथवा फुटकर व्यापारियों के साथ कोई गड़बड़ कर रहे हों।

श्री ओंकार लाल बेरवा : ये जो शूगर के भाव निर्धारित हुए हैं, इनको निर्धारित करने से पहले क्या गन्ना उत्पादकों से भी कोई राय ली गई थी या सरकार ने स्वयं ही कर दिये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : जो कीमत है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है, पंजाब में प्रतिकिलो १ रुपया २० नये पैसे है और दूसरी जो अच्छी क्वालिटी की है उसकी १ रुपया २३ नए पैसे है । होलसेल कीमतें हर स्टेट में थोड़ी कम-वेश हैं। बिहार में ४० रुपये ५० नए पैसे है । वैस्ट बंगाल में ४१ रु० ५० नए पैसे है इस तरह से हर स्टेट की है। मैं इस को रख दूंगा । अलग अलग रिटेल प्राइसिस भी इस आधार पर हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या गन्ना उत्पादकों से भी कोई राय ली गई है या नहीं ली गई है ?

श्री त्यागी : वह बेचारे सिटीजन्स थोड़े ही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : सिटिजेन्स से अलग अलग राय लेने के लिये कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस को पूरी तरह प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनकी जानकारी में यह बात लाई गई है कि उन के द्वारा चीनी नियंत्रण नियमों के सभा-पटल पर रखे जाने के पश्चात् चीनी छिपा ली गई है और उत्तर प्रदेश में १.५० रुपए और १.७५ रुपए के भाव पर बेची जा रही है जहां चीनी के कारखानों की संख्या सर्वाधिक है और, यदि ह , तो क्या कदम उठाए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा क्या यंत्र स्थापित किया गया है और इतनी अधिक देर क्यों हुई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यंत्र स्थापित किया जा चुका है । यदि माननीय सदस्य के दिमाग में कोई शहर अथवा क्षेत्र हो तो वह हमें बतायें और हम तुरन्त कदम उठायेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : समस्त उत्तर प्रदेश में ऐसा ही है और समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में आ चुका है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह कोई उदाहरण दे सकते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सभा को मूल्य के ढांचे का ब्यौरा -उत्पादन लागत, राज्य शुल्क और निजी-लाभ बताया जा सकता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा कि मेरे सहयोगी एक पिछले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बता चुके हैं, यह मूल्य वास्तव में उत्पादन लागत पर आधारित नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गन्ना उत्पादक को नुकसान हो और इसलिए उद्योग द्वारा व्यय की गई पूंजी के लिए केवल १२ प्रतिशत आय का उपबन्ध किया गया है। प्रशुल्क आयोग की अन्य सिफारिशों का भी ध्यान रखा गया है ।

†**श्री कपूर सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवत: उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह सभा में अलग अलग आंकड़े जानना चाहते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये । क्योंकि यह मामला विस्तृत है ।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या सरकार पुराने तरीके के अनुसार उचित मूल्य तथा राशन की दूकानों के द्वारा प्रति व्यक्ति सीमित चीनी देने का है क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी चीनी मूल्य बढ़ गये हैं ।

†**डा०राम सुभग सिंह** : जैसा कि कल माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया था हम १२५,००० टन का तिमाही का कोटा दे रहे हैं तथा यदि राज्य चाहे तो इसको बढ़ाया जा सकता है। हम माननीय सदस्य द्वारा बताये गये तरीके को भी आवश्यकता होने पर अपना सकते हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या गवर्नमेंट ईस्टर्न यू० पी०, वेस्टर्न यू० पी० पंजाब, बिहार और साउथ इन सब के लिये रीजनल बेसिस पर शुगर प्राइस तय करने का विचार कर रही है ;

†**डा० राम सुभग सिंह** : असल में अभी जो कीमतें निर्धारित की गई हैं वे तीन महीने पहले की कीमत के आधार पर बहुत कुछ की गई है, लेकिन जैसा त्यागी जी ने कहा, केन लिया उसी भाव से

---

†मूल अंग्रेजी में

गया जो पहले से तय किया गया था । इसलिये तीन महीने पहले की बात को ज्यादातर ध्यान में रख कर ऐड हाक कीमत तय की गई है । इस में टैरिफ कमिशन की रिकमन्डेशन को भी ध्यान में रखा गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि अखिल भारतीय चीनी मिल संस्था के प्रतिनिधियों ने हाल की अपनी बैठक में घोषणा की है कि यदि गन्ने के मूल्य चार आने बढ़ा दिए गए और मूल्य निश्चयन में असमान्नता दूर न की गई तो आगामी वर्ष में ३०,००० टन की कमी हो जायेगी । तथा कुछ चीनी मिलें बन्द हो जायेंगी ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय सदस्य द्वारा मिल मालिक संस्था द्वारा व्यक्त विचारों से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि उनको गन्ने की अधिक कीमत देने से किसी ने भी नहीं रोका है । गन्ने से गुड़ और खांडसारी इसीलिए अधिक बनाई गई थी क्योंकि गन्ना उत्पादकों को उनसे अधिक मल्य मिले थे । हमारे देश में ३० लाख टन चीनी ही बनती है इसलिये ३० लाख टन चीनी की कमी बताना समझ में नहीं आता ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** ३०,००० टन ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** हम इस सलाह के अनुसार काम नहीं करेंगे क्योंकि गन्ने के मूल्य न्यूनतम हैं और यदि वह चाहते तो अधिकतम मूल्य भी दे सकते हैं ।

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि जब चीनी की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है तो गन्ना पैदा करने वालों को बोनस आफ प्राफिट क्यों नहीं दिया जाता । इस में सरकार को क्या आपत्ति है ?

डा० राम सुभग सिंह : आपत्ति तो कुछ भी नहीं । हम लोग पूरा देना चाहते हैं । लेकिन जब तक गन्ने की कीमत कम थी तब तक हम नेशनल प्राइस देते थे । जब चीनी की कीमत बढ़ रही है तो यह इंटरनेशनल प्राइस मांगते हैं । इसलिये उन्हें इंटरनेशनल प्राइस लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है । सारा हल्ला इस लिये हो रहा है कि उन्हें ज्यादा मुनाफा लेने का मौका नहीं मिलता । हम लोग चाहते हैं कि जितनी गन्ने की कीमत दी गई है उसे भी देखा जाना चाहिये ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि सरकार द्वारा उत्पादन लागत की वास्तविकताओं का सामना करने में उत्सुकता न दिखाने के कारण चीनी की यह कमी हुई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस वर्ष चीनी उत्पादन की लागत पहली मौसम की उत्पादन लागत पर आधारित है और जैसा कि श्री कालीनाथ पाण्डेय ने बताया कि मौसम कुछ छोटा हो गया था । जब मौसम कुछ बड़ा होता है तो गन्ना उत्पादकों को रियायत नहीं दी जाती है । इसी प्रकार जब छोटा होता है तो गन्ना उत्पादकों को तथा उपभोक्ताओं को इस के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** चीनी के मूल्य किस आधार पर निश्चित किए गए थे । क्या यह सच है कि चीनी के क्षेत्रीय मूल्य फालतू चीनी वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में भाड़ा अन्तर के आधार पर निश्चित किए जाते हैं तथा क्या यह भी सच है कि प्रशुल्क आयोग की राय में चीनी के मूल्य निश्चित करने की समान प्रणाली अपनाने से दक्षता कम हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रशुल्क आयोग की सलाह पर विचार किया गया था तथा भविष्य में भी हम इस पर विचार करेंगे **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री सोनावने** : क्या यह सच है कि, महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है क्योंकि कारखानों की कार्यवहन दक्षता अधिक है तथा अन्य क्षेत्रों को परिवहन करने की रुचि के कारण चीनी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह कहना ठीक नहीं है कि महाराष्ट्र की मिलों को कम मूल्य मिल रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में निर्धारित मूल्य ४१ रुपये कम प्रतिमन है जब कि बिहार में यह ४०.५० रुपये, उत्तर प्रदेश में ४०.५० रुपये, पंजाब में ४१ रुपये; पश्चिम बंगाल में ४१.५० रुपये है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दर हैं **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि चीनी की कमी कृत्रिम है और चीनी के मूल्य १३० रुपये अथवा १४० रुपये १०० मिलों के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने मूल्यों को न बढ़ने देने के लिये विशेषतया अल्प विकसित राज्य, आसाम के सम्बन्ध में क्या क़दम उठाये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं आसाम सरकार की सलाह लूंगा तथा यदि वह चाहेंगे तो मूल्य कम करने के लिये हम कुछ चीनी भेज देंगे। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मूल्य बहुत ज्यादा है। मूल्य अधिक होने पर हमें उन्हें कम करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच नहीं है कि प्रशुल्क आयोग अथवा अन्य संगठनों के द्वारा चीनी के मूल्य के बारे में बहुत जांच की गई है और क्या सरकार ने गन्ने की बढ़ती हुई उत्पादन लागत का निर्धारण करने का कभी निर्णय किया है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला अथवा क्या उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ? मामला स्पष्टत: देश को बताया जाना चाहिए ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं इस पर पूर्णत: विचार करने जा रहा हूं क्योंकि किसानों की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको बहुत सी ऐसी वस्तुओं की जरूरत होती है जिनके मूल्य बढ़ रहे हैं। इसलिये हमें उस पर ध्यान देना होगा और मैं ऐसा करूंगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या कोई जांच की गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी नहीं परन्तु की अवश्य जायेगी ।

कोला घाट पुल

†*११८८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में कोलाघाट पर दूसरा रेलवे पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस स्थान पर दूसरा रेल पुल बनाने का क्या कारण है; और

(घ) क्या उसकी योजना तथा प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी रकम का अनुमान लगाया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, १९६२ ।

(ग) रूपनारायण नदी पर कोलाघाट के निकट संतागाछी तथा पंचपुरा के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए नये पुल की आवश्यकता होगी ।

(घ) नक्शे तथा प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं । रूपनारायण नदी पर पुल निर्माण समेत तीसरी रेलवे लाइन की कुल लागत अनुमानत: १२ करोड़ रुपये है जिसमें नये पुल के लिए ३ करोड़ रुपये भी शामिल हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस पुल का निर्माण आन्तरिक साधनों से किया जायेगा अथवा बाह्य साधनों का उपयोग किया जायेगा तथा यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी सहायता की आवश्यकता होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इन पुलों का निर्माण करने के लिये विशेष इस्पात की आवश्यकता होगी और इसका आयात किया जायेगा । मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस पुल का निर्माण कब आरंभ होने की आशा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ज्यूंही माल इकट्ठा हो जायेगा, प्राक्कलन बन जायेंगे तथा नक्शे बन जायेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान पुल से कुछ गज़ की दूरी पर परिवहन मंत्रालय द्वारा एक सड़क पुल बनाया जा रहा है ? क्या नया पुल बनाने से पहले परिवहन मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय ने रेल व रोड पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में आपस में परामर्श किया है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे रेलवे मंत्रालय तथा परिवहन की बातचीत की कोई जानकारी नहीं है । इस परियोजना के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि बढ़े हुए रेल यातायात को पूरा करने के लिए दोहरी लाइन बिछाई जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे अपने बंगाली मित्रों से बहुत सहानुभूति है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि तीन पुलों—२ रेलवे पुल तथा एक सड़क पुल—बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी जब कि जमुना पर यहां एक ही पुल है तथा वह भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : रेलवे का यातायात बढ़ रहा है और इस से भी अधिक बढ़ जाने की आशा है । पुराने पुल पर इतनी गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती हैं । इसीलिए हम दूसरा पुल बना रहे हैं ।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : जमुना पर भी दूसरा पुल बन रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस लाइन को बिछाने के लिये सामान का संभरण करने के मार्गों की जांच कर ली गई र तथा क्या यह सच है कि वैकल्पिक मार्गों से इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ३ करोड़ रुपये के अनुमान को कम किया जाना संभव था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** प्राक्कलन सावधानी से बनाये गये हैं तथा मैं समझता हूं कि ३ करोड़ रुपये उचित अनुमान है ।

†**डा० क० ल० रत्हन :** क्या रेल-रोड़ पुल कम लागत से बन सकता है ? तथा यदि हां, तो क्या यह आवश्यक है कि जहां कहीं भी रेलवे पुल बनाया जाये वहां पर अन्तिम रूप में डिजायन बनाने से पहले राज्य तथा संघ परिवहन विभाग आपस में परामर्श कर लें ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमेशा कम व्यय पर नहीं बनता है । जमुना पर पुल के संबं में भी यह अच्छा समझा गया कि दो पुल, रेल तथा सड़क बनाये जायें ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि डेढ़ मील के अन्दर अन्दर नदी पर तीन पुल होंगे तथा क्या सरकार ने नदी में रेत जमने के संबंध में इन पुलों के प्रभाव पर संघ सरकार के सिचाई विभाग की राय ली थी क्योंकि इस नदी पर ही कलकत्ता बन्दरगाह की सुरक्षा निर्भर करती हैं ।

†**श्री स० वें० रामस्वामी :** पुल बनाने के स्थान का चुनाव करते समय हम इन सभी बातों पर विचार करते हैं और अन्य मंत्रालयों तथा विभागों से परामर्श करते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि जब दूसरा सड़क पुल बन रहा था उस समय स्थानीय जनता में संचार मंत्रालय को याचिका दी थी कि इसका रूपनारायण नदी पर पूरा प्रभाव पड़ेगा ? रूपनारायण नदी सूख जाती है और वह जानना चाहते थे कि नदी की गहराई काफी रखने में पुल का निर्माण बाधा बनेगा । अब दूसरा तथा तीसरा पुल बनने जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूपनारायण पर पानी की ऊंचाई का इसके प्रभाव पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह पुल मुझ से संबंधित नहीं हैं क्योंकि माननीय सदस्य सड़क पुल के बारे में बता रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रश्न कोलाघाट पुल के बारे में है । संभवत: माननीय उपमंत्री नहीं जानते हैं कि कोलाघाट पुल के नीचे रूपनारायण नदी बहती है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैंने बताया कि इन सभी बातों पर विचार किया गया था । सड़क प्राधिकारियों तथा बन्दरगाह से संबंधित प्राधिकारियों का परामर्श लिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या क्या तीसरे पुल के निर्माण का पानी के बहाव पर असर पड़ेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह सभी मामले पूना अनुसंधान संस्था को सौंप दिये गये थे । वह अपनी राय देते हैं और हम उसके अनुसार काम करते हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्योंकि इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है और इसको लागू किया जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए अपेक्षित विशेष इस्पात के लिए विदेशों को

---

†मूल अंग्रेजी में

क्यादेश दे दिए जायेंगे तथा वह हमको कब तक मिल जायेंगे ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब तक विशेष इस्पात नहीं मिल जायेगा तब तक पुल का निर्माण कार्य रुका रहेगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी तक इस सबके ब्यौरे नहीं बनाये गये हैं ।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

जकार्ता में एशियाई-अफ्रीकी पत्रकार सम्मेलन

†**अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४-क. श्री. हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जकार्ता में एक एशियाई–अफ्रीकी पत्रकार सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या इसमें भारतीय पत्रकार शामिल हुए थे;

(ग) यदि हां, तो कितने और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जिन भारतीय पत्रकारों ने सम्मेलन में भाग लिया उनकी सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३२२/६३]**

(घ) नौ सदस्यों में से प्रत्येक को दस पौंड स्टर्लिंग की विदेशी मुद्रा दी गई थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारतीय पत्रकारों को किसने आमंत्रित किया था, क्या उन्हें किसी मंत्री या किसी मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने पूर्व जानकारी दी थी, और क्या यह सच है कि अफ्रीका-एशियावाद के धोखे में साम्यवादी चीन का एक संगठन बना जहां की घटनायें भारत के मोशी के समान अपमानजनक सिद्ध हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अपने मत की बात है––उनके प्रश्न के बाद के भाग में जो विचार प्रकट किये गये हैं ।

†**श्री दिनेश सिंह** : सम्मेलन का आयोजन अफ्रीका–एशिया पत्रकार सम्मेलन ने किया था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न के इस दूसरे भाग का उत्तर दिया जा सकता है कि क्या उन्हें किसी मंत्री ने या अन्य किसी व्यक्ति ने पूर्व-सूचना दी थी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं नहीं जानता कि वे व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री से मिले या नहीं । मुझे किसी मंत्री द्वारा पूर्व जानकारी दी जाने की जानकारी नहीं है । वे हमारे पास आये थे कि उन्हें वहां जाने की अनुमति दी जाये और हमने अनुमति दे दी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सम्मेलन में रूस-चीन के राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ने के चिन्ह प्रकट हुए, और यदि कोई चिन्ह प्रकट हुआ, तो क्या भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने उस चर्चा में भाग लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : हम देखते हैं कि एशियाई रूसी लोकतंत्रों को इन सदस्यों के रूप से इस सम्मेलन में नहीं आने दिया गया हालांकि हम उनके आने के पक्ष में थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत:** उस "हम" का क्या अर्थ है? क्या वह कह रहे हैं कि सरकार इसके पक्ष में थी? क्या सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को ऐसी कोई पूर्व-जानकारी दी थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : "हम" का अर्थ है वे प्रतिनिधि जो वहां गये थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानता हूं। परन्तु बात यह है कि क्या सरकार ने ऐसा करने की कोई पूर्व जानकारी दी थी या सलाह दी थी? क्या स्थिति है।

†**श्री दिनेश सिंह** : ये पत्रकार भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फैड्रेशन की ओर से गये थे। उन्हें हमसे कोई पूर्व जानकारी नहीं मिली।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस दृष्टि से कि हमें जो सूची दी गई है उसमें दस सदस्यों के नाम हैं। वे भारत में प्राय: प्रत्येक महत्वपूर्ण अखबार का प्रतिनिधित्व करते हैं; क्या यह प्रतिनिधिमण्डल श्रमजीवी पत्रकारों के सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन, अर्थात श्रमजीवी पत्रकार फैड्रेशन की ओर से गया था, या वे वहां अपनी व्यक्तिगत स्थिति में गये थे?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह प्रतिनिधिमंडल वहां भारतीय श्रमजीवी पत्रकारों की ओर से गया था।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है (क) कि इस सम्मेलन में आरम्भ से ही चीनी प्रतिनिधिमंडल छाया रहा, जैसा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल को शामिल न करने से प्रकट है और जिसे बाद में पर्यवेक्षकों को स्थान दिया गया, तथा (ख) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उन संकल्पों की पुष्टि नहीं की जो स्वीकार किये गये और, यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई कारण बताये हैं कि उन्होंने उन संकल्पों की पुष्टि क्यों नहीं की?

†**श्री दिनश सिंह** : वहां जो प्रतिनिधिमण्डल गया था उससे हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हम समझते हैं कि उन्होंने उन कुछ संकल्पों की पुष्टि नहीं की जो पारित हुए और इसके बारे में उन्होंने इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति को लिखा है।

†**श्री नाथ पाई** : मेरे प्रश्न के पहिले भाग का उत्तर नहीं दिया गया जिसमें मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल या भारत सरकार का मूल्यांकन यह है कि सम्मेलन में आरम्भ से ही

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन्हें कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली तो वे यह कैसे कह सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : तब सरकार अपना मत बता सकती है कि इस पर चीन ही छाया रहा

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अपने अपने मत की बात है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या इस प्रतिनिधिमण्डल को यर्कता जाने की अनुमति देने से पहिले यकर्ता में भारतीय राजदूत का मत प्राप्त किया गया था और क्या यह उनका मत था कि प्रतिनिधिमंडल भेजना बहुत आवश्यक है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : इन मामलों में सरकार जो कार्यवाही करती है वह नहीं बताई जा सकती। हम निश्चिय करने से पहिले कुछ व्यक्तियों से परामर्श लेते हैं और इनमें भारतीय राजदूत भी शामिल हैं।

†**श्री प्रभातकार** : क्या श्री ए० जी० बनर्जी जो प्रजा सोशिलस्ट पार्टी के सदस्य हैं, इस प्रतिनिधिमण्डल के नेता थे?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी हां, श्री बनर्जी इस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में गये थे। हो सकता है कि वह नेता रहे हों मैं यह बात एकदम नहीं कह सकता।

†**श्री त्यागी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की यह नीति है कि ऐसे प्रतिनिधिमण्डलों को पूर्व-जानकारी न दी जाये या सक्रिय दिलचस्पी न ली जाये या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने वाले प्रतिनिधिमण्डलों का कोई मार्ग दर्शन न किया जाये?

†**श्री दिनेश सिंह** : हम गैर-सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों को पूर्व-जानकारी नहीं देते परन्तु यदि वे हम से किसी भी मामले का स्पष्टीकरण चाहते हैं तो हम उनकी सहायता करते हैं। हम उन्हें प्रचार सामग्री आदि देते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या हम विदेश जाने वाले उन प्रतिनिधिमण्डलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते जो हमारी नीति को उचित रूप में उपस्थित करने के लिए जाते हैं। यह मंत्रालय क्या कर रहा है? उन्हें यह स्पष्ट कहना चाहिये कि गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडलों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और वे उन्हें पूर्व जानकारी नहीं देते।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यही कहा है। वे उन्हें पूर्व-जानकारी नहीं देते।

†**श्री जोकिम आल्वा** : यदि अफ्रीका या दक्षिण-पूर्व एशिया में विशिष्ट सम्मेलनों की बड़ी बैठकों के होने के बारे में सरकार की सामान्यें योजनायें क्या हैं? क्या सरकार की योजना यह है कि इन सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों को न भेजा जाये या यह है कि भारत का प्रतिनिधित्व न हो हालांकि उनमें भारतीय जाते हैं और कोई भाग लिये बिना उन्हें देखते हैं?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह लम्बा प्रश्न है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम से जब इन प्रतिनिधिमण्डलों के जाने या न जाने के बारे में हमारा मत मांगा जाता है यदि हम यह समझते हैं कि वहां किसी भारतीय का होना लाभदायक होगा तो हम उन्हें बता देते हैं कि जाना लाभदायक होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह प्रतिनिधिमंडल वहां अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रचार के लिए गया था या अफ्रीका एशिया के देशों की चीनी नेता गिरी का समर्थन करने के लिए गया था या भारतीय राष्ट्रवाद की रक्षा करने के लिए गया था?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन में भाग लेने गया था।

†**श्री अ० चं० गुह** : श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर से हम समझते हैं कि सरकार ऐसे सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों के भाग लेने से राजनीतिक या परिणामस्वरूप राजनीतिक उलझनों की ओर ध्यान नहीं देती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** मैं ने कहा कि जब हम से सलाह मांगी जाती है तो हम इन बातों की जांच करते हैं और यदि महसूस करते हैं कि वहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल का होना लाभदायक रहेगा तो हम कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है । आमंत्रित संगठन का यह कार्य है कि वह सदस्यों के मतों तथा उनके प्रतिनिधान के बारे में निश्चय करे। हां हम यात्रा-सुविधायें देने से पहिले व्यक्तिगत सदस्यों की जांच करते हैं। यह प्रश्न पूर्व-जानकारी देने के बारे में उठाया गया है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्व-जानकारी देने का अर्थ है कुछ अनुदेश देना जिनका वे पालन करें। इससे प्रतिनिधिमण्डल गैर-सरकारी नहीं रहता। हम उन्हें सलाह देते हैं प्रचार सामग्री देते हैं और जानकारी देते हैं परन्तु यह निश्चय करना उनका काम है कि सम्मेलन में वे क्या करें।

†**श्रीहेम बरुआ:** क्या यह सच नहीं है कि इस यकर्ता सम्मेलन में भारत अकेला कर दिया गया और अकेला करने में सोवियत रूस भी एक साथी था; यदि हां तो क्या सरकार ने कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है जिनके कारण भारत को अकेला किया गया? क्या सरकार ने विचार-विमर्श की या विचार-विमर्श की प्रतिक्रियाओं की जांच की है और वहां हमारे प्रतिनिधिमंडल ने क्या काम किया ?

†**श्री दिनेश सिंह:** भारत इन अफ्रीकी-एशियाई बैठकों में से किसी में भी अकेला नहीं किया गया।

चीनियों द्वारा भारतीय युद्धबन्दियों की रिहाई

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६.** { **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिगेडियर दाल्वी तथा बन्दी बनाये गये अन्य २६ भारतीय अफसर शीघ्र ही चीनी अधिकारियों द्वारा रिहा किये जाने पर स्वदेश लौटने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को चीनी अधिकारियों अथवा पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास से सम्बन्धित अफसरों के नाम मालूम हो गये हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) और (ख). ४ मई १९६३ को कमिंग में भारतीय रैडक्रास ने ब्रिगेडियर दाल्वी तथा २६ अन्य अफसरों को ले लिया है। अधिकारियों के नामों की सूची का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—१३२३/६३]

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** इस प्रकार की अफवाह है कि हमारे युद्धबन्दियों का उस प्रकार का स्वागत नहीं किया जा रहा है जिस प्रकार का मुक्त हुए सैनिकों का होता है। क्या प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रकार की अफवाहों को रोकने के लिए एक वक्तव्य देंगे? मैं जानना चाहती हूं कि इन बन्दियों की वापसी का इतना कम प्रचार क्यों किया गया है ? इस कम प्रचार में ऐसी शंकायें लगाई

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** एक अनुपूरक प्रश्न में इतने प्रश्न ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं केवल यह बता सकता हूं कि वापस आये युद्धबन्दियों का उचित स्वागत नहीं किया गया। ऐसी अफवाह निराधार हैं। स्वागत स्वयं सेना ने किया था और मैं समझता हूं कि उसका पर्याप्त प्रचार भी किया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वापस लौटे हुए इन अधिकारियों ने क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को अपने साथ किए गए व्यवहार के बारे में तथा युद्धबन्दी के रूप में रहते हुए भी विचार परिवर्तन करने के बारे में बताया है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण:** अधिकारी अभी स्वागत शिविर में आये हैं । उनकी डाक्टरी परीक्षा हो रही है। उनसे पूछताछ की जायेगी तथा बाद में लम्बी छुट्टी दे दी जायेगी। उनके विचार परिवर्तन की जांच की जा रही है तथा उनके मस्तिष्क में पहले विचार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् अब तक जितने भी और भारतीय युद्ध-बन्दी भारत के सुपुर्द किए गए हैं वे भारत की सीमा पर सुपुर्द किए गए हैं। ऐसी स्थिति में चीन सरकार ने ऐस कौन से विशेष कारण बताए हैं जिन के आधार पर ब्रिगेडियर दाल्वी तथा उन के साथियों को कुनमिंग पर भारत सरकार के प्रतिनिधियों के सुपुर्द किया गया है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : चीनियों ने पहले उनको हांगकांग चीन सीमा पर वापस करने का प्रस्ताव किया था परन्तु भारत सरकार ने विरोध किया और चीनियों ने उनको कुनमिंग में उनको लौटाया ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या डाक्टरी तथा अन्य प्रकार की जांच से पता लगता है कि उनका केवल विचार परिवर्तन ही नहीं हुआ है अपितु शारीरिक रूप से भी वह कमजोर हो गए हैं। क्या उनमें से कुछ का उपयोग चीनी अधिकारियों ने भारत विरोधी तथा चीन समर्थन प्रचार के लिए किया था ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : डाक्टरी परीक्षा के बाद दो अधिकारियों को अस्पताल में भरती कर लिया गया था। मैं सामान्यत: यह बता सकता हूं कि वापस लौटे अधिकारियों की शारीरिक दशा अच्छी है। परन्तु अब हमें प्राप्त जानकारी से मालूम हुआ है कि मुक्त होने के कुछ सप्ताह पहले ही उनको अच्छा खाना दिया गया था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता था कि क्या उनका उपयोग भारत विरोधी तथा चीन समर्थक प्रचार के लिए चीन में किया गया था ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : ऐसा मालूम होता है कि इन २६ अधिकारियों को चीन में घुमाया गया। सम्भवत : विचार उनके विचार परिवर्तन का था ।

†**श्री नाथपाई** : प्रतिरक्षा मंत्री ने कृपा करके बताया कि उनको चीन में घुमाया गया था। प्रथम क्या यह सच है कि युद्ध बन्दियों की व्यवहार सन्धि के अन्तर्राष्ट्रीय अधिसमय का उल्लंघन करके भारतीय युद्ध बन्दियों को चीन के नगरों में घुमाया गया था । दूसरे निश्चित है कि बन्दी होने के समय में उनको बड़ा कष्ट हुआ होता तो क्या शारीरिक तथा मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** प्रश्न के अन्तिम भाग का मैं पहले उत्तर दूंगा। उनको डाक्टरी तथा अन्य सुविधायें निश्चिप रूप से विशेष दी गयीं थीं। जिससे वह अच्छा महसूस करे। संबंधित अधिकारियों से ब्यौरेवार सूचना अभी नहीं मिली है। परन्तु विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न नगरों में उनको इसी उद्देश्य से ले जाया गया था कि उनका प्रदर्शन किया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सरकार को यह जानकारी है क्या वह हमको बता सकते हैं कि हमारे कितने जवान तथा अफसर चीन के पास हैं तथा उनको वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** कुल ३२११* भारतीय युद्ध बन्दी चीन की कैद में थे जिनमें से १३६४ लौटा दिये गए हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्यों कि माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि इन युद्ध बन्दियों को चीन के नगरों में घुमाया गया था मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने चीन को यह बात बताई थी क्यों कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है तथा यदि हां, तो चीनियों के इस काम के बारे में चीन की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** चीन सरकार को बताया गया है कि युद्ध बन्दियों के साथ सामान्यत : ऐसा नहीं करना चाहिये।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार इस के आधार का पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि छोटे छोटे गुटों में युद्ध बन्दियों को क्यों छोड़ा जा रहा है तथा एकदम क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** संभवतया सुविधा उनको इसमें हो।

नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदाम की इमारत का गिर जाना

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७.** {**श्री प्र० चं० बरुआ :**, **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**, **डा० सारादीश राय :**, **श्री स० मो० बनर्जी :**, **श्री शशि रंजन :**, **श्री यशपाल सिंह :**}

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के नेताजी नगर में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदाम की इमारत जिसकी मरम्मत की जा रही थी, शुक्रवार ३ मई, १९६३ को गिर पड़ी जिससे दो व्यक्ति मारे गए तथा पांच अन्य घायल हो गये, जिनमें से चार को गहरी चोटें पहुंची ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ग) गोदाम की मरम्मत के समय इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए क्या सावधानियां बरती गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*मंत्री महोदय द्वारा बाद में शुद्ध किये गए रूप में।

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नेताजी नगर के गोदाम की लकड़ी की छत को इस्पात की छत बनाने के लिये २१ दिसम्बर १९६२ में ४,७६,३२८ रुपये का ठेका दिया गया था। मुझे बताते हुए खेद है कि एक मजदूर तथा एक लड़का मर गया था तथा ५ अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे। ५ घायल मजदूरों में से ३ अस्पताल से छोड़ दिए गए हैं तथा आशा है कि शेष २ भी शीघ्र छोड़ दिए जायेंगे। कोई भी गंभीरता से घायल नहीं हुआ था।

(ख) दुर्भाग्यवश यह दुर्घटना हुई थी। इस्पात की छतों को ऊपर उठाने के लिए लगी हुई इस्पात की रस्सियों में से एक गिर गई थी। इस्पात की १७ चादरे सफलता से ऊपर उठायी गईं थीं तथा १८ वीं ऊपर उठायी जा रही थी परन्तु वर्षा और तूफान के कारण काम रोक दिया गया था; जब मजदूर तूफान से बचने के लिये इधर उधर दौड़ र थे तब यह दुर्घटना हुई। लटकी हुई चादर के हिलने से आसपास की अन्य चादरे भी एक के बाद एक गिर गईं।

(ग) दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच प्रतिवेदन से यह मालूम हो जाएगा कि दुर्घटना का क्या कारण था और भविष्य में एसी दुर्घटना को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करना संभव होगा। ठेकेदार के कथनानुसार सभी मजदूरों का बीमा हो चुका था तथा कामगार प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्रतिकर में अधिकारी थे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: गोदाम में खराबी सबसे पहले कब खोजी गई थी तथा इसके कितने दिनों बाद मरम्मत की गई थी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर**: इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि खराबी का कब पता लगा था। ठेकेदार छत बदल रहा था। मूल उत्तर में मैं दुर्घटना के कारण बता चुका हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या मृत अथवा घायल व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया जा रहा है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर**: मूल उत्तर में मैं यह बता चुका हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: एक बच्चा मर गया था जो मजदूर नहीं था। क्या ठेकेदार ने उस मामले में भी कुछ प्रतिकर देना स्वीकार कर लिया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: मैंने ठेकेदार से बात चीत कर ली है और मैं दुर्घटनास्थल पर भी गया था। यह मामला स्पष्ट नहीं हुआ था कि एक बच्चे के लिए जो मजदूर नहीं था तथा जिसका बीमा भी नहीं हुआ था, भी माता पिता को प्रतिकर दिया जायेगा अथवा नहीं। परन्तु ठेकेदार के हाव भाव से मालूम हुआ कि वह सहायता करेगा परन्तु मैं गारंटी नहीं ले सकता।

श्री यशपाल सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों को एक्सग्रेशिया पेमेंट कितना हुआ है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना: जो एक्ट बना है, उसके नीचे उनको कम्पेंसेशन मिलेगा। तमाम के तमाम ये जो काम करने वाले थे, उनका बीमा हुआ हुआ था। उनको बाकायदा कम्पसेशन मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कान्स्टीट्यूशन हाउस का गिराया जाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्स्टीट्यूशन हाउस को गिराने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कान्स्टीट्यूशन हाउस में इस समय जो लोग रह र हैं उनके रहने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) जी, हां, ७५ लाख रुपये की लागत से एक परियोजना मंजूर की गई है । इस में ४४० कमरे होंगे ।

(ख) लगभग छः महीनों में ;

(ग) कांस्टीट्यूशन हाउस २० वर्ष पहले गत युद्ध में अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के लिये बनाया गया था । इन से ५ वर्ष तक खड़े रहने की क्षमता की अपेक्षा की जाती थीं किन्तु इन को भारी मरम्मत व्यय के द्वारा इतनी देर कायम रखा गया है । अब दिल्ली में भूमि अप्राप्य हो गई है और भूमि की बहुत अधिक कीमत बढ़ गई है । साथ ही स्थान की बड़ी कमी है, जिसे शीघ्रता-पूर्वक तथा कम खर्च से पूरा करने के लिये जरूरी है कि पुराने अस्थायी मकानों को गिरा कर कई मंजिल वाली इमारत का निर्माण किया जाय ।

(घ) कांस्टीटयूशन हाउस के सभी अर्ह निवासियों को वैकल्पिक स्थान दिया जायगा ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या यह सच नहीं कि पिछले अक्तूबर में संकट काल की घोषणा होने के तुरन्त पश्चात मंत्रालय में सक्षम इंजीनियरों के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि कांस्टीट्यूशन हाउस के सरकारी होस्टल को गिराया जाय क्योंकि इंजीनियरों ने प्रमाणित किया था कि यह उचित मरम्मत आदि के साथ चार-पांच वर्ष और चल सकता है, और यदि हां, तो अब उस समय फिजूल खर्ची को रोकने एवं मितव्ययता करने की सरकारी नीति के प्रतिकूल, गिराने का निर्णय क्यों किया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** जहां तक प्रश्न के पहले अंग का प्रश्न है मुझे इस का ज्ञान नहीं । केवल मितव्ययता और संकटकाल की दृष्टि से हम दिल्ली के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कई मंजिला इमारतें बना रहे हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या यह सच नहीं है कि बहुत से अफसर कांस्टीट्यूशन हाउस में रह रहे हैं, जिन को अन्यत्र अच्छी या सुन्दर वैकल्पिक जगह नहीं मिलती ? मैं समझता हूं कि उपमंत्री जिस होस्टल का उल्लेख कर रहे हैं, वह केवल संसद् सदस्यों के लिये है

†**कुछ मा० सदस्य :** यह अन्य लोगों के लिये भी है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** उन्हों ने जिस होस्टल का उल्लेख किया है वह सारा केवल दो वर्षों के पश्चात् तैयार होगा, न कि छः महीनों में । यदि हां, तो कांस्टीट्यूशन हाउस को गिराने का निर्णय कब कार्य रूप में परिणत किया जायगा ? क्या यह तभी कार्यान्वित किया जायगा जब निर्माण कार्य पूरा हो जायगा और होस्टल कब्जा देने के लिये तैयार हो जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हों ने कहा है कि वैकल्पिक स्थान दिया जायगा ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** प्रश्न के मुख्य उत्तर में बताया गया है कि हम अगले छः महीनों में निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहते हैं और हम कांस्टीट्यूशन हाउस में रहने के लिए अर्ह तथा रहने वाले सभी लोगों को वैकल्पिक स्थान देने का वचन देते हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** किन्तु बराबर का स्थान होना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संकट काल में स्कूलों की इमारतों और उन के प्लानों में बहुत अधिक कटोती की गई है और समूचा स्कूल इमारत का कार्यक्रम प्रायः रुका पड़ा है, दिल्ली में क्यों कई मंजिला इमारतें बनाने पर प्रायः कई करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मुझे पता नहीं । शिक्षा मंत्री इस का उत्तर दे सकेंगे । जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमारे पास ६०,००० से ७०,००० मकानों की, तथा लगभग २५ लाख वर्ग फुट दफ्तरी स्थान की कमी है, इसलिये यह निर्णय किया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में हवाई अड्डे

†२७२०. **श्री उलाका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा में कितने हवाई अड्डों के बनाये जाने की संभावना है ; और

(ख) तीसरी योजना अवधि में इस काम के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) एक, कोनार्क में, पर्यटन कार्य के लिए ।

(ख) तीसरी योजना में नवीन हवाई अड्डों के निर्माण के लिये ८५ लाख रुपये का नियतन किया गया है ।

नरसिंह पुर में लेवल क्रासिंग पर पुल

†२७२१. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री रा० बरुआ:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उक्त लेवल क्रासिंग पर यातायात के लगातार तथा काफी देर तक रुके रहने के कारण होने वाली बड़ी भारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में लेवल क्रासिंग पर ऊपर के पुल बनाने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) कार्य कब पूर्ण होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) राज्य सरकार ने इस योजना को तीसरी योजना अवधि में उन के द्वारा चलाई जाने वाली ऊपर के पुलों की सूची में शामिल नहीं किया ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

इटारसी लेवल क्रासिंग में ऊपरी पुल

†२७२२. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इटारसी, मध्य प्रदेश में दोनों लेवल क्रासिंगों पर यातायात के लगातार और काफी देर तक रुके रहने के कारण होने वाली बड़ी भारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए, उक्त लेवल क्रासिंगों पर ऊपरी पुल बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) कार्य कब पूर्ण होने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने, तीसरी योजना अवधि में इटारसी के वर्तमान उत्तर पूर्व लेवल क्रासिंग के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने की योजना भेजी है ।

(ख) पुल के स्थान के बारे में राज्य सरकार अभी विचार कर रही है । राज्य सरकार को योजना का पूरा पूरा ब्योरा एवं उस स्थान के नक्शे आदि भेजने होंगे जिन के आधार पर रेलवे नक्शों और अनुमानों को अन्तिम रूप दे सकें ।

(ग) अभी इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं ?

अलिटालिया विमान दुर्घटना की रिपोर्ट

†२७२३. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री अलिटालिया विमान दुर्घटना रिपोर्ट के बारे में १२ मार्च १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति की रिपोर्ट का परीक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) भारत सरकार ने रिर्पोर्ट का परीक्षण कर लिया है ।

(ख) निष्कर्षों की घोषणा रिपोर्ट के प्रकाशन के सम्बन्ध में इटली सरकार की अनुमति प्राप्त होने के पश्च त् की जायगी ।

पटसन के लिये केन्द्रीय पर्यवेक्षी निकाय

†२७२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन के लिये केन्द्रीय पर्यवेक्षी निकाय का पुनर्गठन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले की यथार्थ रचना एवं कार्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल टी--१३२४/६३**]

देहरादून में चूने के पत्थर की खदानें

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **खान और ईंधन** मंत्री २४ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देहरादून के निकट पत्थर की खदानों के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के नियंत्रण में है, कुछ अपीलें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इन अपीलों का निर्णय करने के लिए कुछ निश्चय करने वाली है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अपीलों पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध पार्टियों द्वारा भेजे गये पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों से संबंधित है । यदि यह ठीक है, तो उत्तर स्वीकारात्मक है । १-१-१९५८ से देहरादून जिले में पाये जाने वाले चूना-पत्थर के लिए खनिज-रियायत से सम्बन्धित ऐसे ५६ पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए ।

(ख) जी हां । उच्च स्तर पर सभी पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों को निपटाने का इरादा है ।

(ग) १९५८ से देहरादून में पाये जाने वाले चूना-पत्थर की खदानों से सम्बन्धित प्राप्त हुए ५६ पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों में से ४२ प्रार्थना-पत्रों का निपटारा किया जा चुका है और शेष १४ प्रार्थना-पत्रों का निपटान नहीं हुआ है । इन १४ प्रार्थना-पत्रों में से ८ प्रार्थनापत्र १९६३ में, तीन प्रार्थना-पत्र १९६२ में और शेष प्रार्थना-पत्र १९६०-६१ में प्राप्त हुए । अर्ध-न्याय पद्धति के अनुसरण करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए उन के निपटान के लिये समय-अवधि का निश्चय करना सम्भव नहीं है । फिर भी उन के निपटाने में शीघ्रता लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नजरबन्द भारतीयों द्वारा लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त, से की गई शिकायतें

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस के बारे में एक वक्तव्य दें :-

> कोलम्बो के निकट स्लेव आईलैण्ड्स के नजरबन्द शिविर में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ किये गये व्यवहार के बारे में उन के द्वारा कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय से की गई शिकायतें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: कोलम्बो के निकट स्लेव आइलैण्ड्स में एक अतिरिक्त नजरबन्द शिविर खोले जाने पर कोलम्बो में भारतीय उच्चायोग का एक अधिकारी २२ अप्रैल १९६३ को उस शिविर में भारतीय उद्भव के नजरबन्द व्यक्तियों को मिलने गया। उस का वहां जाने का उद्देश्य यह देखना था कि उन नजरबन्दों को क्या सुविधायें उपलब्ध हैं। उस शिविर में उस समय नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या १८६ थी जिन में से अधिकतर कथित अवैधिक आप्रवासी थे और अन्य भारतीय वीजा की अवधि से उपरान्त वहां रहने पर गिरफ्तार किये गये थे।

उन नजरबन्दों की आवास सम्बन्धी और कुछ अन्य सुविधाओं की अपर्याप्तता सम्बन्धी कठिनाइयां तदन्तर सम्बद्ध श्रीलंका प्राधिकारियों के ध्यान में लाई गई जिन्होंने तुरन्त ही कुछ बातों का निरीक्षण करना स्वीकार कर लिया, और उस पर भी सहमत हुए कि स्थिति में सुधार लाने के लिये यथासम्भव सब कुछ किया जायेगा।

उच्चायोग की ओर से भी कथित अवैध रूप से गये लोगों के बारे में उन को भारत वापस लाने से पूर्व जो जांच पड़ताल की जाती है उस में शीघ्रता लाने सम्बन्धी कुछ कदम उठाये हैं। आशा है इस से शिविर में नजरबन्दों की संख्या में कमी होगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: नजरबन्दों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसका ज्ञान भारतीय उच्चायोग को कब प्राप्त हुआ और सरकार द्वारा यह कार्यवाही कब की गई? मैं इन दोनों में जो समयान्तर है उसे जानना चाहता हूं?

†**श्री दिनेश सिंह**: इस बारे में कोई वैधिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं था क्योंकि यह लोग बीजा की अवधि से अधिक समय तक वहां ठहरे थे अतः प्रश्न उन के वापिस आने का है। उन्होंने स्वयं वैधिक कार्यवाही की है। उन्होंने उच्च न्यायालय के सम्मुख अभ्यावेदन रखा है जो लम्बित है।

यशपाल सिंह (कैराना): वीसा या पासपोर्ट देते वक्त क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कौन आथोराइज्ड है और कौन अनआथोराइज्ड?

श्री दिनेश सिंह: वीसा तो सीलोन गवर्नमेंट देती है और पासपोर्ट हम देते हैं।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें:

> "३ मई १९६३ को दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक विमान की दुर्घटना जिसके फलस्वरूप एक विद्यार्थी चालक की मत्यु हो गई।"

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: ३ मई १९६३ को मध्याह्न-पूर्व दिल्ली फ्लाइंग क्लब का एक चिपमुंक विमान वी० टी०—सी० वी० क्यू० दिल्ली से लगभग १० मील दूर जैतपुर गांव के निकट भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ।

विमान सफदरजंग हवाई अड्डे से भारतीय समय के अनुसार सात बज कर चौबीस मिनट पर स्थानीय प्रशिक्षण उड़ान के लिये उड़ा था और उस में सहायक विमान चालक अनुदेशक श्री आर०

---

†मूल अंग्रेजी में

के० कपूर तथा एक विद्यार्थी चालक श्री जे० एस० आहलुवालिया थे। हवाई अड्डे के प्राधिकारियों को यह सन्देश लगभग ११ बजे मिला कि विमान बदरपुर के दक्षिण में दिल्ली मथुरा सड़क पर नदी के तल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विद्यार्थी चालक बुरी तरह जख्मी हो गया जब कि श्री कपूर जो जख्मी थे को अस्पताल में पहुंचाया गया। उन की स्थिति सन्तोषजनक बताई जाती है।

विमान नष्ट हो गया था।

दुर्घटना की छानबीन एक दुर्घटना निरीक्षक जो असैनिक उड्डयन विभाग से सम्बद्ध हैं द्वारा की जा रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्री जे० एस० आहलुवालिया को प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ प्रतिकर दिया गया है? और क्या जांच करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जायगा कि विमान को केवल ३ मील उड़ान करनी थी जब कि वास्तव में उस ने १५ मील उड़ान की थी?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है अभी जांच हो रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सूचना मिल सकती है। प्रतिकर के बारे में निर्णय नियमों के अनुसार होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : उड़ान से पूर्व फ्लाइंग क्लब में विमान के निरीक्षण का क्या प्रबन्ध है?

†**श्री मुहीउद्दीन** : निरीक्षण सम्बन्धी निश्चित नियम हैं और उन का पूरी तरह पालन किया जाता है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : कई बार मांग की गई है कि जांच संचार मंत्रालय द्वारा न कराई जाय। क्या मंत्रालय इस की ओर ध्यान दे रहे हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह एक व्यापक प्रश्न है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या इंस्ट्रक्टर ने कोई ऐसी कोशिश की थी कि इस ट्रेनी की हिफाजत हो सके? क्या उड़ने से पहले देख लिया गया था कि प्लेन ठीक हालत में है या नहीं?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्लेन तो उड़ने से पहले देख लिया जाता है। उस के मुताल्लिक जो रूल्स हैं इंजिन के मुताल्लिक और दूसरे इस्ट्रक्शन्स के मुताल्लिक उनको पूरी तरह से देख लिया जाता है।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस प्रकार की कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। क्या दिल्ली फ्लाइंग क्लब में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई नीति अपनाई गई है?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब में कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। हाल ही में ग्लाईडर की दुर्घटना हो गई थी। परन्तु विमान की उड़ सकने की योग्यता तथा इंजिनों तथा पुर्जों के निरीक्षण सम्बन्धी निश्चित नियम हैं फिर भी कुछ दुर्घटनायें इसलिये हो जाती हैं क्योंकि उन की उड़ान प्रशिक्षार्थियों द्वारा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : चूंकि इस तरह की दुर्घटनायें इस स्थान पर पहले भी हो चुकी हैं इसलिये इन्क्वायरी करने वाले व्यक्ति को क्या कोई ऐसी हिदायत दी गई है कि जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी को समाप्त किया जाये और गहरी से गहरी इन्क्वायरी की जाये ?

†**श्री मुहीउद्दीन:** माननीय सदस्य के जो सजैशन्स हैं उन को हम ध्यान में रखेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत सरकार तथा चीन के लोक गणराज्य में पत्रों का विनिमय

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नई दिल्ली स्थित चीन के लोक गणराज्य के दूतावास के नाम दिनांक ३ अप्रैल, १९६३ का भारत सरकार का नोट ।

(दो) भारत के प्रधान मंत्री के नाम दिनांक २० अप्रैल, १९६३ का प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई का पत्र ।

(तीन) प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के दिनांक २० अप्रैल, १९६३ के पत्र का भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक १ मई १९६३ का उत्तर ।

(चार) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ का चीन सरकार का नोट ।

(पांच) चीन सरकार के दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ के नोट का दिनांक ६ मई, १९६३ का भारत सरकार का उत्तर ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०—१३२५/६३]

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९६३–६४ में बाजार में लिये गये ऋणों संबंधी अधिसूचना

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** मैं वर्ष १९६३–६४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार में लिये गये ऋणों के बारे में दिनांक २९ अप्रैल, १९६३ की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० १३ (१०) : डब्ल्यू एण्ड एम/६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३२६/६३]

कोचीन में तेल शोधन कारखाने की स्थापन की लिये करार की मुख्य बातें

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

कोचीन (केरल) में एक तेल साफ करने का कारखाना स्थापित करने के लिए २७ अप्रैल, १९६३ को भारत सरकार और अमरीका की मेसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी/मैसर्स डन्कन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के बीच हुए करार की मुख्य बातों को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हुं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १३२७/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) तेल शोधनशाला करारों की शर्तों के अन्तर्गत तेल साफ करने के कारखानों को प्राप्त शुल्क सम्बन्धी संरक्षणों के बारे में विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१३२८/६३]

सरकार द्वारा आश्वासनों पर की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न अधिवेशनों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ चौथा सत्र १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५ तीसरा सत्र १९६२-६३ (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ दूसरा सत्र १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १० पहला सत्र १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ८ सोलहवां सत्र १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १० पन्द्रहवां सत्र १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या १९ तेरहवां सत्र १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—१३२९/६३ से १३३५/६३]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक २१ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(२०८)/६२-पी० आर० (टी०) ।

(दो) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(२१३)/६२-पी० आर० (टी०) ।

(तीन) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (१७६)/६२-पी० आर० (टी०) ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—१३३६/६३]

मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०८ में प्रकाशित मोटर गाड़ी (भारत और आसन्न देशों के बीच वाणिज्यिक यातायात का संचालन) नियम १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकाल में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—१३३७/६३]

वणिक् नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२जून १९५४ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९६५ में प्रकाशित व्यापारिक बेड़े में मास्टरों और मेटों को दक्षता प्रमाण-पत्र

†मूल अंग्रेजी में

देने का विनियमन करने वाले नियमों में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६६८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—१३३८/६३]

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी १९६३ की एस० ओ० संख्या ५१२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३३९/६३]

स्थायी सिन्धु आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: मैं ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थायी सिन्धु आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—१३४०/६३]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा ३ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५८ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ ।

(दो) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—१३४१/६३]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२५ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०—१३४२/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२८ की एक प्रति जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को कुछ व्यापारिक नाट्यशालाओं, क्लबों,सर्कस कम्पनियों और अन्य मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--१३४३/६३]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं तीसरे और चौथे अधिवेशनों में हुई अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की (चौथी से छठी) बैठकों के कार्यवाही-सारांश की सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठको से सदस्यो की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही--सारांश

†**श्री खाडिलकर:** (खेड) मैं चालू सत्र में हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चौथी और पांचवीं) बैठकों के कार्यवाही सारांश को सभा पटल पर रखता हूं ।

अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

दूसरा--प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्त्ति राव** (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठको से अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय:** लोक-सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को, प्रतिवेदन में बताई गई अवधियों के लिये, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दे देने की सिफारिश की हैं :--

१. श्री ग्यासुद्दीन अहमद

२. श्री कोल्ला वेंकया

३. श्री उमानाथ

४. श्री यलमन्दा रेड्डी

५. श्री बीरेन दत्त

६. श्री गोविन्द हरि देशपांडे

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

७. श्री वि० भू० देव

८. श्रीमती विजयराजे

९. श्री रंगा राव

१०. श्री नल्लाकोया

११. श्री नेसामनी

१२. श्री कार्जी

१३. श्री नम्बियार

१४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर

१५. श्री दशरथ देव

१६. श्री श्यामशाह

क्या सभा की यह इच्छा है कि उक्त सदस्यों को समिति के पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्री मुथूरामालिंगा थेवर जब से निर्वा . . ए हैं वह बीमार रहने के कारण सभा में उपस्थित नहीं हो सके । उन्होंने शपथ भी नहीं ली । हम आशा करते हैं कि वह शीघ्र स्वस्थ हो जायेंगे । परन्तु मैं अनुरोध करता हूं कि मद्रास सरकार से कहा जाय कि माननीय सदस्य का सक्षम डाक्टरों द्वारा परीक्षण कराया जाय और अच्छी प्रकार उनका इलाज कराया जाय ताकि वह शपथ लेकर सभा में आसन ग्रहण कर सकें । यदि स्थिति इसी प्रकार रहती है तो मुझे मालूम नहीं कि संविधान में इस बारे में क्या उपबन्ध है । मैं इस बारे में, कि तब क्या स्थिति होगी आपका पथ प्रदर्शन चाहता हूं । मैं समझता हूं कि अनिश्चित काल तक ऐसी स्थिति नहीं रह सकती । हमें मद्रास सरकार द्वारा जानना चाहिए कि वह आगामी सत्र में उपस्थित होने योग्य होंगे अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय:** क्या सभापति महोदय इस संबन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : हाल ही में श्री थेवर के एक नातेदार मुझे मिले थे । वह श्री थेवर को उस अस्पताल में मिले थे जहां वह बीमार पड़े हैं । उन्होंने मुझे बताया कि वह दिल्ली तक यात्रा करने योग्य नहीं हैं, वह बहुत दुर्बल हैं और कि वह सिविल सर्जन का प्रमाणपत्र मुझे भेजेंगे । परन्तु अब तक उनका प्रमाणपत्र यहां प्राप्त नहीं हुआ है । मेरे पास केवल इतनी ही सूचना है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** स्थिति इस प्रकार है कि सभा से अनुपस्थिति के बारे में सभी अभ्यावेदन समिति को भेजे जाते हैं । समिति उन पर सिफारिशें करती है और सभा उन सिफारिशों पर विचार करती है । या तो अनुपस्थिति की अनुमति दे दी जाती है; या यदि अनुमति न दी जाय तो सभा को घोषित करना पड़ता है कि अमुक पद को रिक्त घोषित किया जाय । संविधान में यही उपबन्ध हैं । समिति ने सिफारिश की है कि अनुपस्थिति के लिये अनुमति दे दी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछली बार भी जब यह प्रश्न सभा के समक्ष आया था तो मैंने समिति के सभापति से पूछा था कि क्या हम किसी तरह से यह मालूम नहीं कर सकते कि उक्त सदस्य निकट भविष्य में सभा में उपस्थित हो सकेंगे अथवा नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि सदस्य के एक नातेदार से कहा गया था कि किसी प्राधिकृत सरकारी चिकित्सक से प्रमाण-पत्र भेजा जाय, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या सदस्य के यहां आने और आसन ग्रहण करने की सम्भावना है। अब हमें बताया गया है कि प्रमाणपत्र नहीं भेजा गया है। यह स्थिति इस समय है। इस पर निर्णय सभा को लेना है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं आपका ध्यान प्रतिवेदन के आखिरी पैरा की ओर दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि चालू सत्र में सदस्य किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं रहे और अनुपस्थिति के लिये अभ्यावेदन भी उन से प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में हमारा पथ प्रदर्शन करें।

†**अध्यक्ष महोदय**: चालू सत्र में वह किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं रहे। अभी तक नुपस्थिति के लिये अभ्यावेदन भी उन्होंने नहीं किया। ४ मई, १९६३ तक वह ७६ दिन तक अनुपस्थित रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह इस सत्र में सभा से अनुमति लिये बिना ६० दिन से अधिक काल तक अनुपस्थित रहे हैं। अब सभा को इस बारे में निर्णय लेना है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : हो सकता है कि पहले भेजी गई सूचना उन्हें न मिली हो। इसलिये उन्हें फिर यह सूचना भेजनी चाहिए कि वह अनुपस्थिति के लिये अभ्यावेदन करें अन्यथा सभा जो कदम उचित समझती है उठायेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : ऐसी स्थिति हमारे सामने प्रथम बार आई है। हो सकता है माननीय सदस्य बहुत ज्यादा बीमार हों। यह भी हो सकता है कि यहां से भेजी गई सूचना उन्हें प्राप्त ही न हुई हो। बेहतर यह होगा कि इस मामले पर अगले सत्र में विचार किया जाय और इस बीच में मद्रास सरकार द्वारा वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाय और उनके लिये उचित चिकित्सा उपचार निश्चित किया जाय।

†**श्री अंसार हरवानी** (बिसौली) : क्योंकि श्री थेवर द्वारा शपथ नहीं ली गई, इसलिये क्या हम उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति उन्होंने शपथ भले ही न ली हो परन्तु वह नियमित रूप से सदस्य निर्वाचित हुए थे। जब तक वह सभा में आसन ग्रहण न करें उनको वेतन आदि सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिल सकतीं, परन्तु जहां तक सदस्यता का प्रश्न है वह तब तक सदस्य रहेंगे जब तक सभा अनुपस्थिति की अनुमति देने से इंकार नहीं करती और वह ६० दिन से अधिक काल तक अनुपस्थित रहते हैं।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि ऐसी स्थिति सभा के समक्ष पहले कभी नहीं आई। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। पहले दो बार ऐसा हो चुका है जबकि सदस्यों ने अनुपस्थिति के लिये अभ्यावेदन नहीं किया और सभा ने उन के स्थानों को रिक्त घोषित कर दिया।

यह भी पूछा गया कि हमने उन्हें पत्र भेजा कि नहीं। १८ अप्रैल, १९६३ को जो पत्र उन्हें भेजा गया उसे मैं पढ़ कर सुनाऊंगा।

> "मुझे आपको यह सूचना देने का आदेश मिला है कि १८ अप्रैल, १९६३, को आपकी सभा को बैठकों से निरन्तर अनुपस्थिति की ६० दिन की अवधि पूरी हो गई है। आपको

---

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री अन्सार हरवानी]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति का काल १८ फरवरी, १९६३ से १८ अप्रैल, १९६३ तक गिना गया है ।

इस सम्बन्ध में, आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद १०१(४) की ओर तथा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम २४१ की ओर दिलाया जाता है, जिसका प्रतिरूप आपकी सूचना के लिये नीचे दिया गया है . . ."

इसके पश्चात् अनुच्छेद तथा नियम के प्रतिरूप दिये गये, और यह कहा गया :

"मुझे तदनुसार, आप से अनुरोध करना है कि पत्र के प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित अनुपस्थिति काल के माफ किये जाने के लिये आवेदन करें । आवेदन प्राप्त होने पर सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की अगली बैठक में रख दिया जायेगा ।"

इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : हो सकता है कि यह मार्ग में गुम हो गया हो ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्हें एक और अवसर दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा की जो इच्छा हो वैसे कर सकती है । मैं किसी कार्यवाही का सुझाव नहीं दे रहा हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही की जाय । परन्तु जो पत्र उन्हें भेजा गया था उसके बारे में शंका नहीं रहनी चाहिए ।

श्री नाथ पाई की बात भी अनुचित है । हम ऐसी धारणा नहीं बना सकते कि वह उन्हें पहुंचा दी न हो । साधारणतः यह धारणा होती है कि यदि पत्र यहां से भेजा गया है तो वह अवश्य ही वहां पहुंच गया होगा । यह वैधिक धारणा है ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : यह वैधिक धारणा हो सकती है, वास्तविक नहीं ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं इस वैधिक धारणा को स्वीकार करता हूं परन्तु फिर भी हो सकता है कि लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजा गया पत्र उन्हें न मिला हो । मैं यह भी नहीं जानता कि वह पत्र सामान्य पत्र था अथवा रजिस्टर्ड । परन्तु मेरा सुझाव है कि कोई निर्णय लेने से पूर्व समिति किसी व्यक्ति को मामले की छानबीन के लिये नियुक्त करे, और उसके उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जाय ।

(अन्तर्बाधा)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं नहीं समझता कि यह कोई विवादास्पद मामला है । ऐसा सुझाव किसी ने नहीं दिया कि हम तुरन्त उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ।

मैं समझता हूं कि सभा की इच्छा है कि माननीय सदस्य को एक और अवसर दिया जाये ।

†**कई माननीय सदस्य** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया जाय । मैं समिति के सभापति से कहूंगा कि वह समुचित कदम उठायें ताकि यह सुनिश्चित किया जाय कि सूचना उन्हें पहुंच जाय, और इस बात की गारण्टी हो कि सूचना पाने पर या तो वह उत्तर दें या उन की स्थिति की सूचना हमें मिल सके । ताकि सभा कोई निर्णय लेने की स्थिति में हो सके । मेरे विचार च्छा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : कार्यवाही की प्रति भी उन्हें भेज दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय:** यदि दूसरी सूचना उन्हें नहीं मिलती तो कार्यवाही की प्रति के भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है । अन्यथा, जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है, वह इस बात पर सहमत हैं कि अनुपस्थिति की अनुमति दे दी जाय ।

विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अध्यक्ष महोदय, पिछले दस दिनों में मित्र देशों के कई उच्च पदाधिकारी देहली आए । आपसी हित के मामलों पर हमने उनसे चर्चा की । श्री अली साबरी, संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यपालिका परिषद के प्रधान पीकिंग से काहिरा वापिस जाते हुए २६ अप्रैल की रात को देहली पहुंचे और २७-२८ अप्रैल की रात को यहां से गये । लॉर्ड माउण्टबेटन ३० अप्रैल को देहली पहुंचे और तीन मई को यहां से चले गए । श्री डंकन सैंड्स ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलीय मंत्री पहली मई से चार मई तक यहां रहे। विदेशी परराष्ट्रमंत्री श्री डीन रस्क, जिन के साथ श्री फिलिप्स टैलवर और श्री विलियम बंडी थे २ से ४ मई तक के लिए देहली में थे । इन यात्राओं के अतिरिक्त अप्रैल के पिछले दस दिनों में भारत और पाकिस्तान में काश्मीर तथा अन्य सबंधित विषयों पर बातचीत का पांचवां दौर हुआ । इसी अवधि में हमारे आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी सद्भावना यात्रा पर न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया गए । इस सम्बन्ध में कई अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं आईं । मैं इस समय मोटे तौर पर इन विदेशी उच्च पदाधिकारियों से हुई बातचीत के बारे में बताऊंगा । चूंकि ऐसी बातचीतें गोपनीय समझीं जातीं हैं, अतः मैं ब्यौरा नहीं दे सकता ।

भारत और पाकिस्तान में बातचीत

भारत सरकार पाकिस्तान के साथ काश्मीर तथा अन्य मामलों के हल करने के लिए और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबन्ध रखने के लिए चिन्तित रही है । मेरे सहयोगी सरदार स्वर्णसिंह रेलवे मंत्री ने जो कि भारत प्रतिनिधिमण्डल के नेता हैं, पिछले कुछ महीनों में भारत-पाकिस्तान की बात चीत में इस उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश की है । पाकिस्तान की ओर से उत्तेजित करने वाले वक्तव्यों के बावजूद उन्होंने बहुत शांति से बातचीत की और कई कठिनाइयों को उन्होंने पाकिस्तान के साथ मित्रता को प्रोत्साहन देने के रास्ते में आने नहीं दिया । खेद है कि बात चीत के पांच दौर हो चुके हैं लेकिन उन पर कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है और पाकिस्तान के साथ अब भी मतभेद है । इन कठिनाइयों तथा विफलताओं के बावजूद हम भारत-पाकिस्तान के मतभेदों को दूर करने और मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने के लिये अपने प्रयत्न जारी रखने के लिये दृढ़ निश्चय है । इस सम्बन्ध में मैं पाकिस्तान के समक्ष अपने अनाक्रमण संधि प्रस्ताव को दोहराता हूं । हमारे इन प्रस्तावों का पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया । पिछले अक्टूबर में मैंने श्री अय्यूब खां को अपने पत्र में अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए बढ़ाने के बारे में उल्लेख किया और यह भी कहा कि चीनी अतिक्रमण का मुकाबला करने के अतिरिक्त अन्य काम के लिए

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा करना हमें पसन्द नहीं था और मैंने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत और पाकिस्तान का भविष्य उनकी दोस्ती और भविष्य में निहित है। आशा है कि सभा इन भावनाओं पर पुनः बल देने का समर्थन करती है।

भारत और चीन में विवाद

श्री अली साबरी ने चीनियों की विचारधारा के बारे में अपना अनुमान बताया। उनके साथ बातचीत में हमने अन्दाजा लगाया कि चीन सरकार कोलम्बो प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं है। वे सीमा विवाद के बड़े प्रश्न के बारे में इस आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार है कि वे कोलम्बो प्रस्तावों को नियमरूप से स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि चीन अपने आप बनाई हुई स्थिति को कायम रखना चाहता है और पश्चिमी भाग के विसैन्यीकृत क्षेत्र में दोनों देशों की उपस्थिति को पुनः कायम करने के लिये मानने को तैयार नहीं हैं। चीन सरकार अपने अतिक्रमण द्वारा परिवर्तित स्थिति के आधार पर सीमा विवाद का बातचीत द्वारा समझौता चाहती है।

यह स्पष्ट है कि हम चीन सरकार से सीमान्त के मुख्य प्रश्न सम्बन्धी मतभेद के विषय पर तब तक कोई बातचीत नहीं कर सकते जब तक कि वह देश कोलम्बो प्रस्तावों को बिना संकोच स्वीकर नहीं कर लेता तथा भूमि पर उन प्रस्तावों में की गई सिफारिशों को अमल में नहीं लाता। हमने इस सम्बन्ध में चीन को भेजे गए अपने ३ अप्रैल के नोट में रचनात्मक सुझाव दिए। मैं नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। अभी तक इस नोट का विशिष्ट उत्तर नहीं मिला।

चीन के विचारों के सम्बन्ध में जो श्री अली साबरी ने बतलाया उसका समर्थन प्रधान मंत्री चू-एन-लाई का २० अप्रैल का पत्र करता है। इस पत्र का उत्तर मैंने पहली मई को दिया। इन पत्रों को सभा पटल पर रख रहा हूं।

पिछले अक्तूबर तथा नवम्बर में प्राप्त अनुभव को तथा चीन की कोलम्बो प्रस्तावों सम्बन्धी जारी हठ तथा लगातार भारत विरोधी विचार को ध्यान में रखते हुए इस बात को स्पष्ट करने के लिये मैं दिनांक २७ अप्रैल के चीनी नोट और अपने उत्तर की प्रतियां सभा पटल पर रख रहा हूं हमें किसी भी संकट के लिये तैयार होना पड़ेगा। अतः चीन द्वारा पुनः आक्रमण की सम्भावना के विचार से हमारी प्रतिरक्षा क्षमता का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उस विषय में हमें दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के प्रति निष्ठा से कार्यवाही को करना होगा।

इस सम्बन्ध में मैं श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की हाल की न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया की यात्रा का ज़िक्र करना चाहता हूं। इन यात्राओं में श्री कृष्णमाचारी इन दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों और उनके साथियों से मिले। इन अनौपचारिक और मित्रतापूर्ण बातचीतों से वे देश साझे हितों के मामले में भारत के निकट हो चुके हैं। आस्ट्रेलिया की यात्रा में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के साथ मंत्रिमण्डल सचिव थे और इस समय प्रतिरक्षा उपकरणों तथा संगत प्रश्नों पर चर्चा की गई। उस बातचीत के बाद आस्ट्रेलिया को "भारतीय टैक्नीकल टीम" जायेगा तथा सम्भवतः बाद में आस्ट्रेलिया से वैसी ही टीम भारत आयेगी जिस का संबंध प्रतिरक्षा के सामान के उत्पादन से होगा तथा उस दिशा में कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए आस्ट्रेलिया से सहयोग का प्राप्त करना होगा।

श्री डंकन सड्स और लार्ड माउंटबेटन की यात्रा

लार्ड माउण्टबेटन ने अक्तूबर १९६२ में भारत आना था। कैरेबियन में संकट के कारण उन की यात्रा स्थगित कर दी गई। हमें अपने पुराने मित्र से मिल कर बड़ी खुशी हुई और आपसी समस्याओं पर उन से विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटिश प्रतिरक्षा कर्मचारी वृन्द के प्रमुख के रूप में, लार्ड माउण्टबेटन हमारी प्रतिरक्षा समस्या के बारे में निकटतम रूप से सम्बद्ध रहे हैं। उन्होंने चीन के अतिक्रमण का सामना करने के लिये प्रतिरक्षा क्षमता की निर्माणार्थ प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन व मशीनों की व्यवस्था दोनों के बारे में हमारी आवश्यकताओं के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने सामान्य रूप से इन मामलों पर मेरे साथ, प्रतिरक्षा मंत्री और विभिन्न सेनाध्यक्षों के साथ बहस की थी। राष्ट्रमण्डल सम्बन्धों के "सेक्रेटरी आफ स्टेट" श्री डंकन सेण्ड्स ने हमारे साथ हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के सामान्य प्रश्न, काश्मीर सम्बन्धी मंत्री-स्तरीय भारत-पाकिस्तान वार्ता की प्रगति तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि काश्मीर समस्या के समाधान का भारत को चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए सैनिक सहायता से कोई सम्बन्ध नहीं। तथापि उन्होंने यह बताया कि भारत और पाकिस्तान के परस्पर मतभेदों को हल करने से ब्रिटेन का कार्य काफी आसान हो जाएगा और उन्होंने यह आशा अभिव्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान के परस्पर मतभेद दूर करने की बातचीत में सफलता होगी।

ब्रिटिश पुर्जों के संभरण की कमी के कारण भारतीय वायुसेना के विमानों के न उड़ सकने के बारे में समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। जब कि कुछ वायुयान अस्थायी रूप से नहीं काम दे रहे हैं, यह अस्थायी कठिनाई शीघ्र ही हल हो जाएगी, क्योंकि सभी सम्बन्धित व्यक्ति इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे विमानों के लिये ब्रिटिश निर्मित पुर्जों की आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जा रही है। चूंकि भारतीय वायुसेना के पास जो ब्रिटिश विमान हैं वैसे अब नहीं बनाए जाते हैं, अतः रायल एयर फोर्स और ब्रिटिश निर्माताओं के पास संभरण की उपलब्धि मुख्य कठिनाई रही है।

डीन रस्क की यात्रा

"अमरीकी सैक्रेटरी आफ स्टेट" के साथ बातचीत में भारत और अमरीका के हितों के कई मामलों पर चर्चा हुई। श्री रस्क ने चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये भारत को अमरीकी सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीनी धमकी के आगे झुकने का कोई प्रश्न नहीं उठता तथा भारत पाकिस्तान के मतभेदों का समाधान करने से, जिन में काश्मीर विवाद भी शामिल है, अमरीकी सहायता का कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, उनका दृष्टिकोण यह है कि चीन का आक्रमण और उस देश की विस्तारवादी नीति सारे महाद्वीप के लिये खतरा है और इस पृष्ठभूमि में वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास हो। मैंने "सैक्रेटरी आफ स्टेट" श्री डीन रस्क से कहा कि भूगोल, इतिहास और संस्कृति की पांझी श्रृंखला से यह अनिवार्य हो गया है कि भारत और पाकिस्तान में सहकारितामय और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे। काश्मीर समेत हमारे वर्तमान विभेदों के समाधान में हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि मतभेदों को सुलझाने की पद्धतियां और रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य मतभेद हल करना ही नहीं अपितु भारत और पाकिस्तान में सहयोग और मित्रता के भाव बढ़ाना है। यह महत्वपूर्ण बात है कि सहसा कोई ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिये जिस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से प्रगति होने के स्थान पर दोनों देशों के बीच स्थिति खराब हो। इस पृष्ठभूमि में और चीन से खतरे की पृष्ठभूमि में हम अमेरिका और अन्य देशों की जो हमारी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, दिलचस्पी का स्वागत करते हैं ।

तकनीकी दल की अमेरिका कैनेडा और इंग्लैंड की यात्रा

हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के सिलसिले में तकनीकी विशेषज्ञों का एक सरकारी दल पिछले तीन सप्ताहों में अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया। ५ तारीख प्रातः दल वापिस देहली आया। "सैक्रेटरी आफ स्टेट" श्री डीन रस्क ने हम बताया कि अमरीकी अधिकारी शासनिक विशेषज्ञों के बीच हुई बातचीत के सिलसिले में अग्रेतर बातचीत और चर्चा करने के लिये श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के अमरीका जाने का स्वागत करेंगे। मुझे हाल ही में श्री मैकमिलन का पगाम मिला कि जिस में अन्य बातों के साथ उन्होंने यह भी कहा कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की इंग्लैंड की शीघ्र यात्रा लाभदायक होगी। श्री कृष्णमाचारी कुछ ही दिनों में अमरीका, कैनाडा और इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे ।

इस वक्तव्य में मैंने पिछले कुछ सप्ताहों में हुई प्रगतियों और मित्र देशों के विशिष्ट प्रतिनिधियों से हुई चर्चाओं का मोटे तौर पर जिक्र किया है। जब कि हम मित्र देशों से जो भी सहायता हमें मिल सकी उस से चीन के आक्रमण मुकाबले में अपनी सुरक्षा करने तथा अपनी क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं ; शान्ति तथा शान्तिपूर्ण उपायों के लिए हमारी श्रद्धा और और सब देशों के साथ, विशेषकर हमारे निकटवर्ती पड़ौसी देशों के साथ मैत्री तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाए रखने की हमारी इच्छा देश की विदेश नीति के मार्ग दर्शन करने वाले सिद्धांत बने रहेंगे। हम अपने स्वभाव अनुसार स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता से अपना विकास करना चाहते हैं। हम पक्षपात-रहित स्वतन्त्र रूप से गुण दोष के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय करेंगे । हम किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते और न ही किसी देश की एक इंच भी भूमि लेने की इच्छा रखते हैं। साथ-साथ हम अपने मामलों में कोई हस्तक्षेप या अपने क्षेत्र पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक दल को एक प्रश्न पूछने दूंगा। सब सदस्यों को इतने मामलों पर प्रश्न पूछने की अनुमति देना कठिन है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारत और पाकिस्तान में बातचीत का अगला दौर कब और कहां होगा। क्या श्री स्वर्णसिंह और श्री भुट्टो में हुई बातचीत के दौरान में कोई प्रस्ताव किया गया था कि प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान की बैठक हो और यदि हां, तो उस का क्या ठोस निष्कर्ष निकला।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में भारत-पाक वार्ता का अगला दौर देहली में होगा और इस महीने की १५ तारीख से होगा। क्या मैं सही हूं ?

†**रेलव मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)** : हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रधान अय्यूब और मेरी बैठक की बात बड़ी देर से उड़ रही है, परन्तु हाल में या बातचीत के दौरान में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखा गया। मैं तो हमेंशा मिलने के लिए तैयार हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि काश्मीर को घाटी के विभाजन के बारे में हमारा वहीं निर्णय है जो कि काश्मीर की नैशनल कांन्फ्रेंस के संकल्प में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** काश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का संकल्प मेरे सामने नहीं था। मेरे विचार में मेंने कल रात इसे पढ़ा। हमने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि काश्मीर की घाटी के विभाजन का कोई भी विचार हानिकारक होगा। और हमें इसे स्वीकार नहीं करगे ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** : (राजमपेर): क्या पश्चिमी कूटनीतिज्ञों के साथ बातचीत से उन्हें इस बात का आभास मिला कि यदि पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता हो जाए तो शस्त्रों के सम्भरण की वर्तमान गति तेज हो जाएगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** अमरीका और इंग्लैंड के दोनों प्रतिनिधियों ने हमें विशिष्ट रूप से बताया कि सैनिक सामान आदिके सम्बन्ध में हमें सहायता देने का भारत-पाकिस्तान के मामलों में कोई सम्बन्ध नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे समझौते का स्वागत करेंगे और उन्हें आसानी होगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): क्या प्रधान मंत्री बता सकते है कि अमरीका और इंग्लैंड में हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करने के सम्बन्ध में सहायता जारी रखने में दिलचस्पी में कमी नहीं हुई है और क्या हमारी वायुसेना को मजबूत करने की आशाएं पहले से अधिक अच्छी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेंने यह सब कुछ अपने वक्तव्य में बता दिया है।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत में उन्हें यह बता दिया गया कि काश्मीर के विभाजन की मांग का पाकिस्तान द्वारा परित्याग दोनों देशों के लिए हितकारक होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने न केवल उन्हें ऐसा नहीं बताया परन्तु हम माननीय सदस्य के सुझाव के विरुद्ध है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : उठे ।

†**अध्यक्ष नहोदय** : मैं और प्रश्नों को अनुमति नहीं दूंगा।

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

सदस्य की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति का भरा जाना

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक १९६२ सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री थामस, श्री निवासन की मृत्यु

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

के कारण हुई रिक्ति के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करें और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक १९६२ सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री थामस, श्री निवासन की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जैसा कि मैंने सभा को पहले बताया है मैंने महान्यायवादी को "सिराजुद्दीन एंड कम्पनी" के गुप्तचर विभाग से प्राप्त दस्तावेज और उनसे सम्बन्धित कुछ दस्तावेज देखने के लिये और मुझे यह बताने के लिये कि कैसी और जांच करवाई या क्या कार्यवाही की जाये कहा। महान्यायवादी इन परिस्थितियों में पूरी जांच नहीं कर सकते थे उनके पास जो भी कागजात थे उन पर उन्हें काम करना था। उन के आधार पर उन्होंने सलाह दी है कि सिराजुद्दीन कम्पनी के दस्तावेजों में श्री केशव देव मालवीय से संबंधित प्रविष्टियों की पूरी जांच की जाये। मैंने श्री केशवदेव मालवीय को इस परामर्श के बारे में बताया। उन्होंने पूरी जांच के विचार का स्वागत किया।

मैंने मुख्य न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज का नाम इस जांच के लिये बताने के लिये कहा है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही जांच का प्रतिवेदन प्रधान मंत्री के पास आ गया है या जांच अभी चल रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: किस बारे में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच का प्रतिवेदन क्या मिला है ?

†**श्री जवहारलाल नेहरू** : जी नहीं। मुझे कुछ कागज मिले थे। जब मैंने यह मामला महान्यायवादी को सौंपा था तो मैंने वे कागज उसे भेज दिये। तब से उनसे मुझे कोई कागज नहीं मिले हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : पहले यह बताया गया था कि गुप्तचर विभाग का प्रतिवेदन नहीं मिला है। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रतिवेदन मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी प्रतिवेदन का प्रश्न नहीं है। जब कभी कोई जानकारी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को मिलती है तो वे हमें वह जानकारी भेज देते हैं। जब से मामला महान्यायवादी को सौंपा गया है वे उन से सीधे सम्पर्क रखते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय से कहा गया है कि एक ऐसे न्यायाधीश का नाम बताये जो कि पूरी जांच करेगा। क्या इस जांच में "सिराजुद्दीन एंड कम्पनी" तथा श्री के० दे० मालवीय का मामला भी लिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जिस मामले का उल्लेख हुआ है उसका सम्बन्ध सिराजुद्दीन के कागजों में कुछ मदों को दर्ज करने से है। सारी हिसाब की किताबों की तो छानबीन संभव नहीं। कुछ मदों की जांच कर ली जायेगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मैं चलती फिरती जांच करने को नहीं कहूंगा ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मेरा निवेदन यह है कि यदि जांच एक बात की होती है तो बाकी की बातों की भी होनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जांच न्यायिक जांच नहीं है। इस बात का निर्णय तो कुछ प्रमुख व्यक्तियों के परामर्श से प्रधान मंत्री ने करना है। इस लिये यह जांच जो भी होगी वह अर्द्ध-न्यायिक होगी। परन्तु इन सब बातों का निर्णय करने का अधिकार प्रधान मंत्री को है। निर्देश सम्बन्धी शर्तों को अभी तय नहीं किया गया। परन्तु जांच करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी जानना चाहेगा हम उसकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे। जो गवाहियों वह चाहेगा अथवा कागज पत्र देखना चाहेगा उस सब की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान् जी। प्रधान मंत्री कहते हैं कि जांच अर्द्ध-न्यायिक होगी। तो क्या न्यायाधीश को जांच की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय करने का अधिकार होगा ? क्या सरकार इस बारे में कोई निर्देश नहीं देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लगता तो ऐसा ही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया है। उनकी राय है कि इस प्रकार की जांच सार्वजनिक नहीं होनी चाहिये और न इस पर संसद् में चर्चा ही होनी चाहिये। और न्यायाधीश जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे उसको प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तो क्या यह जांच कैमरा जांच होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां लगभग ऐसी ही होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु उन्होंने कह दिया है कि जांच की जायेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता) : जो भी जांच हो, जिस के भी बारे में हो, संसद के कुछ अधिकार हैं। इस दृष्टि से प्रतिवेदन जो कुछ भी, हो उसे संसद् के समक्ष रखा ही जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न अभी तो पैदा नहीं होता यह तो प्रतिवेदन आने पर प्रधान मंत्री यह निर्णय करेंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश का यही मत है कि यह जांच गुप्त होनी चाहिये। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यह पसन्द नहीं करते कि संसद उनके ऊपर कोई निर्णय करे। अतः जो भी जांच होगी वह गुप्त होगी।

डालमिया जैन समवायो के लिये नियुक्त जाँच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री कानूनगो द्वारा ६ मई, १९६३ को प्रस्तुत किये निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा अर्थात् :—

> "कि कुछ डालमिया जैन समवायों के प्रशासन की जांच करने के लिये नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर जो २३ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया. विचार किया जाय।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : जो कुछ भी जांच हुई है उससे पता चलता है कि हमारे समाजवादी लक्ष्यों को काफी बड़ी चुनौती दी गयी थी। सरकार ने सारे मामले की जांच करके बहुत तथ्यों का पता लगाया है। पर्याप्त समय भी लगाया गया है। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि इस जांच के फलस्वरूप जो व्यक्ति भी अपराधी सिद्ध हुये हैं उनके विरुद्ध तुरन्त और निश्चित रूप में कार्यवाही की जानी चाहिये। इस दिशा में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चुने हुये लेखा परीक्षकों की एक तालिका बनानी चाहिये और इस तालिका से ही जरूरत पड़ने पर लोगों को जांच कार्य पर लगाया जाना चाहिये। विभिन्न बुराइयों में ग्रस्त समवायों के दोषों को निकालने के लिये उनके लेखे की परीक्षा का कार्य इस तालिका वाले व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह का दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि सरकारी नौकरी से निवृत्त होकर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी गैर-सरकारी सार्थ में वैतनिक अथवा अवैतनिक रूप में कार्य न करे। मेरी यह पक्की धारणा है कि हमारी बहुत सी बुराइयों का कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होकर इन गैर-सरकारी समवायों में नौकरी की अनुमति दे दी जाती है। मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु में जो वृद्धि की है वह बहुत ही अच्छी बात है। सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी सार्थों की नौकरी की अनुमति देने से तो यह अच्छा है कि उनकी अल्पकालीन तदर्थ नियुक्तियों की व्यवस्था कर दी जाये।

मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात की जांच की जानी चाहिये कि विगत दस वर्षों के समय में किस-किस समवाय ने अपनी पूंजी दो गुणा अथवा तीन गुणा कर ली है। इसके लिये क्या-क्या साधन उन्होंने अपनाये इसका पता किया जाना चाहिये। महालनोबिस समिति की उपपत्तियों को ध्यान में रख कर धन संचय की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये। सरकार को इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोंडा) : मैंने इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। मेरा मत यह है कि सभा में हुई सम्पूर्ण चर्चा का आधार गलत रहा है। श्री दाजी ने बड़ा जोरदार

---

†मूल अंग्रेजी में

भाषण दिया है परन्तु कोई तथ्य की बात उन्हों ने नहीं कहीं। इतनी बात उन्हों ने जरूर कही है कि ग्वालियर रायन मिल्ज़ ने २.२५ करोड़ का नफा कमाया और कर केवल १० लाख दिया है। मेरे विचार में तो उन्हों ने सदन को भ्रांति में डालने का यत्न किया है। इस समवाय की और कई एक बातें उन्हों ने नहीं बताई। इस समवाय का नफा २,२५,००,००० रुपये न हो कर ३,४९,००,००० रुपये था परन्तु कर २.२५ करोड़ पर ही लगा था, क्योंकि उन का ग्वालियर की पहली सरकार से ऐसा ही करार हुआ था। आयकर अधिकारियों ने तो कर लगा दिया था, परन्तु अपील करने पर उच्चतम न्यायालय में कम्पनी जीत गई थी। समवाय ने तो यह भी व्यवस्था की थी कि यदि वह उच्चतम न्यायालय में भी हार गए तो वे ४.५ करोड़ रुपये पर कर देंगे। ग्वालियर जब अलग राज्य था तो तब यह छूट दी गयी थी। माननीय सदस्य को इस प्रकार की गलत बातें सदन में नहीं कहनी चाहियें थीं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे इस बात का खेद है कि हमारे साम्यवादी मित्र बिना किसी सोच विचार के एक व्यक्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और फिर जो जी में आया कहते चले जाते हैं। कुछ अन्य सदस्यों के भाषण भी मैं ने बड़े ध्यानपूर्वक सुने हैं। उन्हों ने लगभग वही बातें कहीं हैं जोकि बोस आयोग में कही गई हैं। अपने पास से उन्हों ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ व्यापारियों पर जो आरोप लगाये गये हैं उन्हें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। और न उन्हें सिद्ध ही किया जा सकता है।

मेरा इस सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि सभा को इस प्रतिवेदन को लेकर यह चर्चा करनी चाहिये कि आगे के लिये हम इससे क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस दृष्टि से सम्बद्ध कानून में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिये सरकार को समुचित पग उठाने चाहियें। क्योंकि विधि के दोष तो दूर करने ही चाहियें। मेरे विचार में ऐसा किया जाता तो इस विषय पर हुई चर्चा बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होती। देश की अर्थ-व्यवस्था का भी प्रश्न है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। बड़ी-बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपना कार्य करते रहे हैं। इन्होंने ब्रिटिश शासन काल में और संभवतः स्वयं ब्रिटिश के विरोध पर भी उद्योगों की स्थापना की है। भारत आजकल दूसरे देशों को सूती वस्त्र, चीनी, साईकिलें आदि का निर्यात कर रहा है जबकि किसी समय ये वस्तुएं हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी।

इस में कोई सन्देह नहीं कि देश में सरकारी क्षेत्र का विकास हो रहा है। सरकारी प्रोत्साहन के फलस्वरूप अनेक उद्योगों की स्थापना की जा रही है। परन्तु देश के सामूहिक हित को दृष्टि में रख कर हमें इस तथ्य को भी अनुभव करना चाहिये कि कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जोकि सामान्य व्यक्ति के बाहर की बात हैं। ऐसे उपक्रम बड़े-बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ही चला सकते हैं। उदाहरण के लिये इस्पात की मिलें अलमोनियम के कारखाने इत्यादि चलाने के लिये न केवल पर्याप्त पूंजी और विशाल अनुभव अपेक्षित है। अतः हमें सारी स्थिति को यथार्थवादी दृष्टि से देखना है।

जहां तक समवाय विधि का सम्बन्ध है एक बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिये कि यह कानून मूल रूप में १९१३ में पारित किया गया था। फिर १९३६ में इस की कुछ कमियों को दूर कर के इस में कुछ संशोधन किये गये। देश की स्वतंत्रता के बाद १९५० में इस कानून में पुनः संशोधन किया गया। १९५६ में फिर सारे के सारे अधिनियम को फिर से बनाया गया। फिर भी कुछ दोष रह गये। अतः चार पांच वर्ष के बाद पुनः परीक्षण कर के १९६० में फिर उस में संशोधन कर दिया गया। मेरे विचार में जहां तक समवाय विधि का सम्बन्ध है, प्रबन्ध अभिकरण आदि को

[श्री हिम्मत सिंहका]

समाप्त कर के धन कमाने के लिये डालमिया जैन द्वारा अपनाये गये जिन तरीकों का उल्लेख किया गया है, वे प्रायः सभी हटा दिये गये हैं। यदि फिर भी कोई त्रुटि बाकी है, तो हमें उस को समाप्त करना चाहिये। किन्तु यह देखने की बात है कि समवाय विधि में बहुत सुधार हुआ है और इस समय समवाय विधि प्रशासन बहुत अच्छी तरह चल रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि देश की अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य रूप से अपना अंश दान करना है। यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का उतने व्यापक तथा सतर्क ढंग से विनियमन नहीं किया जा सकता, जितना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक उन्नति का हमारा समूचा कार्यक्रम ही कुछ इस ढंग का है। किन्तु इस मामले में सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाना गलत है। वास्तव में १९५६ का समवाय अधिनियम संसद् की जागरूकता तथा सार्वजनिक हित के लिये निगमित क्षेत्र के विनियमन की चिंता का द्योतक है। हमारे पास समूची सामग्री उपलब्ध नहीं है अतः ऐसी परिस्थिति में साधारणीकरण करना सर्वथा अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है।

यदि हमें देश में विधि की प्रभुता का ढांचा सुरक्षित रखना है, तो हम किसी को अत्याचारी उद्योगपति बनने नहीं दे सकते तथा उचित सुनवाई के बिना उन को पूर्णतया समाप्त भी नहीं कर सकते। हमें अपने अन्दर कठोर संयम लाना चाहिये और लोगों की व्यक्तिगत गलतियों की चर्चा करने का मोह छोड़ना चाहिये, जिन का विधान से कोई सम्बन्ध नहीं होता। सभा यह जानना चाहती है कि किसी व्यक्ति को ही क्यों चुना जाता है। क्या इस का आधार राजनीतिक या व्यक्तिगत होता है या इस से विधान में कोई सहायता मिलती है ?

आयोग ने विघटन की तिथि नियत करने के मामले में अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया। इस विघटन की तिथि नियत करनी थी। जब यह स्थिति है तो प्रतिवेदन को विधि के अनुसार चुनौती दी जा सकती है, उन मामलों के बारे में, जिन का सम्बन्ध न्यायालयों में होता है। यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए गए हैं कि कुछ लेखा परीक्षकों का चरित्र संदेहास्पद है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये और यदि उन को इस बात की रिपोर्ट प्राप्त हो, तो उन को राजनीतिक तरीकों को न अपना कर न्याय के तरीकों को अपनाना चाहिये।

श्री बनर्जी ने कहा है कि इस पार्टी के विरुद्ध इसलिये जांच कारवाई की गई क्योंकि इस ने सत्तारूढ़ दल की धन की मांगें पूरी नहीं कीं। मैं पूछता हूं कि इन को ही क्यों चुना गया। यदि इस से विधान में सहायता मिलती है, तो इतना समय इस पर क्यों नष्ट किया गया।

बोस की रिपोर्ट जांच मात्र है और श्री सेन ने सरकार को अपनी जो सिफारिशें की हैं तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसदीय सम्मेलन में विचार किया जाना चाहिये और सरकार को भविष्य में प्रस्तावित विधान पेश करना चाहिये।

श्री जैन की अभियाचिका में साक्ष्य सम्बन्धी कई त्रुटियों का उल्लेख है। आयोग को कहा गया था कि वह डालमिया-जैन ग्रुप के विघटन की तिथि नियत कर के उत्तरदायित्व स्थापित करे। किन्तु उस ने यह काम नहीं किया। ऐसी हालत में हम कोई राजनीतिक निर्णय देने के लिए समर्थ नहीं क्योंकि यह मुख्यतः न्यायालयों से सम्बन्धित मामला है।

सदस्यों में परिचालित पुस्तकों में कहा गया है कि लेखा-परीक्षक ईमानदार नहीं थे, श्री पेट्टीगारा के प्रभाव में आकर उस ने अपनी रिपोर्ट में परिवर्तन किया और वह रिपोर्ट एक वर्ष

बाद आई । ऐसी स्थिति होने पर लोगों में विश्वास नहीं रहता । सरकार को इन शब्दों की जांच कर के उचित कार्रवाई करनी चाहिये । इस प्रतिवेदन में महान्यायवादी तथा प्रसिद्ध न्यायविदों द्वारा की गई सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण हैं । इन पर सभा को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से बोस रिपोर्ट पर बहस हो रही है । इस बीच में कुछ झड़पें भी हुईं । लेकिन एक बात मैं जानता हूं, और हमारे देहातों में यह कहावत काफी मशहूर है कि कोई ईमानदारी से जल्दी धनी नहीं होता, कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है तभी रुपया दुगना और तिगुना होने का मौका मिलता है । आनेस्ट लेबर से आदमी महल खड़े नहीं कर सकता । यह हम लोगों में कहावत है और मैं उस की ताईद भी करता हूं ।

जब भी किसी बात पर बहस होती है, तो हमारे पी० एस० पी० के भाइयों के दिमाग में इस बात का विचार नहीं रहता कि क्या कहना उचित है और क्या अनुचित है । कल जब द्विवेदी जी बोल रहे थे तो सिराजुद्दीन का सवाल तो आया । उन के दिमाग में सिराजुद्दीन का फोबियां भरा हुआ है । मैं नहीं समझता कि उस से और इस से क्या सम्बन्ध है । वह इस समय यहां हैं नहीं, नहीं तो मैं उन से इस बारे में कुछ कहता ।

बोस कमीशन की रिपोर्ट जोकि हमारे सामने है वह बहुत वाल्युमिनस किताब है । और उस के बाद जितना लिटरेचर हमारे पास आया है उस को हम पढ़ भी नहीं सके हैं । कानून की यह मंशा है कि चाहे किसी ने खून भी किया हो लेकिन उस का जवाब सुन लेने के बाद ही उस को सजा दी जानी चाहिये । मैं चाहता था कि पार्लियामेंट की एक कमेटी होती जोकि उन चार्जेज पर विचार करती जोकि लगाए गए हैं, बोस कमीशन रिपोर्ट पर भी विचार करती और जो उन का जवाब होता या जो और कागजात हमारे सामने आए हैं उन पर भी विचार करती और उस के बाद अपना निर्णय देती ।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह है कि जिस वक्त ये घटनायें हुईं उस वक्त का कम्पनी ला ऐसा था कि उस में बहुत से लूपहोल्स थे, जिस के कारण व्यापारियों को मौका मिला । हम को देखना होगा कि क्या उस समय यह परिपाटी आम तौर से प्रचलित थी । हम को अन्य बिजनैस हाउसेज की भी एनक्वायरी करनी होगी यह देखने के लिए कि यह परिपाटी केवल इसी ग्रुप में प्रचलित थी या यह परिपाटी आम थी ।

अभी जो कागज रखा गया हाउस की टेबिल पर न्यू एशियाटिक और रूबी के बारे में उस के पढ़ने से लगता है कि कुछ गड़बड़ी उसमें भी है । आडिटर की समूची रिपोर्ट सामने नहीं आई है । वकील लोगों ने सलाह दी है कि कुछ कार्यवाई नहीं हो सकती । यह सलाह भले ही ठीक हो, लेकिन उस को पढ़ने से दिमाग में यह बात आती है कि वहां कुछ गड़बड़ी है । एक वकील साहब ने राय दी है कि जो डाइरेक्टर हैं वह छोटे-छोटे वाकयात के लिये जिम्मेवार नहीं हैं । उन का काम है केवल पालिसी ले डाउन करना, लेकिन जो डिटेल की बातें हैं उन के लिये वे जवाबदेह नहीं हैं । यह उनकी राय है, लेकिन बोस कमीशन कहता है कि जो लोग डाइरेक्टर हैं और जिन लोगों ने पार्ट लिया है वह भी जवाब दें । तो इस तरह से ये दो स्टैंडर्ड हो जाते हैं और दो स्टैंडर्ड से जांच करना मुनासिब नहीं है । एक स्टैंडर्ड होना चाहिये । इसीलिए मैं ने अमेंडमेंट दिया था कि अच्छा हो कि जो एक दर्जन बड़े बिजनैस हाउसेज हैं उन की कार्यवाइयों की जांच हो और जो रिपोर्ट आवे उस के मुताबिक हम लोग कम्पनी ला को अमेंड करें जिस में कोई लूपहोल न रह जाय केवल एक कंपनी को लेने से यह बात भी दिमाग में आती है कि किसी एक को सिंगिल आउट किया जा रहा है ।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

यह हम जानते हैं कि कुछ कागज़ातों को पढ़ने से कि कुछ कम्पनियों में ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं । उन की भी जांच होनी चाहिए । हो सकता है कि उन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां निकलें जिन के लिए कि हमें फिर कम्पनी ला में अमेंडमेंट लाना पड़े । अब हर एक बात के लिए बार बार अलग-अलग अमेंडमेंट लाना और कम्पनी कानून में एक के बाद एक संशोधन करना यह अच्छा मालूम नहीं होता है । उचित तो यह होगा कि जैसे एक कम्प्रीहैंसिव अमेंडमेंट सन् १९५६ में हुआ था, उसी तरह का कम्प्रीहैंसिव अमेंडमेंट किया जाय । उसके लिए ज़रूरत यह है कि जो घटनाएं सामने आई हैं उन घटनाओं के बारे में इनक्वायरी करा कर और पता लगाने के बाद कोई ऐसा कम्प्रीहैंसिव अमेंडमेंट ला कर कम्पनी ला को अमेंड कर लिया जाय । कम्पनी ला कानून को इस तरह से संशोधित रूप में पास करा सकें जिससे वह तमाम लूपहोल्स बन्द हो सकें ।

अभी मेरे मित्र माननीय सदस्य डा०सिंघवी ने डी०जे०ग्रुप की कुछ कम्पनियों की इनक्वायरी के लिए एक इंस्पैक्टर की बहाली के केस को रैफ़र किया था । उन के कैरेक्टर पर आक्षेप सा मालूम पड़ता है । मैं ने भी उस किताब जिस में से उद्धृत किया गया इन्स्पैक्टर है, को पढ़ा तो मालूम हुआ कि उनकी बरख्वास्तगी जिस दिन हुई थी उस के दो दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी । जिस वक्त वह सर्विस में नहीं थे और जिस वक्त उनको अधिकार नहीं था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस के एक वर्ष के बाद उस में कुछ अमेंडमेंट किया । यह एक साज़िश सी मालूम होती है । किसी एक ख़ास ग्रुप या व्यक्तियों को दोषी ठहराने की साज़िश सी मालूम होती है । उचित तो यह था कि वह उसी वक्त अपनी रिपोर्ट देते जब कि उन को हटाया नहीं गया था । उस से यह साबित होता कि उन का ईमान ठीक है और वह उचित रिपोर्ट दे रहे हैं । अब उन इंस्पैक्टर महोदय के लिए यह तो उचित नहीं था कि अपने डिसमिसल के दो दिन बाद, अपने पद से हट जाने के बाद रिपोर्ट दें और एक वर्ष के बाद उस में अमेंडमेंट हो ।

मैं ने बोस कमीशन की रिपोर्ट को गौर से देखा है और पढ़ा है । उस में गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकारों ने यह सलाह दी है कि जो फैक्ट्स या सबूत सामने आये हैं उन की बिना पर उन कम्पनियों के खिलाफ़ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उस किताब में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार डालमिया-जैन समवायों के कदाचारों को प्रकट करना चाहती है और इसीलिये जांच के लिये आयोग नियुक्त किया गया ।

अभी कल एटार्नी जनरल की रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट हाउस की टेबल पर रख दिया गया है । उस को मैं ने पढ़ा है । कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा है कि जो फैक्ट्स या सबूत हमारे सामने हैं उन के आधार पर कोई लीगल कार्यवाही की जा सकती है, कोई क्रिमिनल या सिविल केस दायर किया जा सकता है । ऐसा करने के लिए फरदर प्रोब की ज़रूरत होगी और आवश्यक मैटीरियल जुटाना पड़ेगा । बहुत सी हिसाब किताब सम्बन्धी किताबें जला दी गई हैं । पर्याप्त सबूत सुलभ हैं नहीं । कुछ पाकिस्तान में हैं तो कुछ कहीं और हैं जोकि मिल नहीं सकते हैं । इसलिए उन कम्पनियों के खिलाफ़ कोई कानूनी कार्यवाही करने की राय सरकार के कानूनी सलाहकारों और वकीलों की नहीं है क्योंकि उस के लिए आवश्यक व पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं । ऐसी हालत में हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है कि हम कम्पनी ला में संशोधन करें । इस के लिए ज़रूरी है कि हम और भी सब कम्पनियों के बारे में इनक्वायरी करें और पता लगायें कि उन में क्या-क्या मैल प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं यह हकीकत है । कि आज की सिचुएशन में कम्पनी कानून में संशोधन होना लाज़िमी है क्योंकि बग़ैर उसके हम सिचुएशन को मीट नहीं कर सकेंगे । जिस वक्त शुरू में ओरीजनल ला बनाया

जाता है तो उस समय सारी सिचुएशन और सब सरकमस्टांसेज़ तो ध्यान में आते नहीं हैं और जो कानून बनता है वह केवल उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही बनता है। लेकिन उसकी वर्किंग में जैसे-जैसे आगे खामियां नज़र आती हैं, जो-जो उस में लूपहोल्स मिलते जाते हैं उन को प्लग करने के लिए कानून में संशोधन करना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं ने कहा है कि एक कम्प्रीहैंसिव अमेंडमेंट लाने के पहले हम और बिज़नैस हाउसेज़ को भी देखें। अभी काफ़ी लूपहोल्स हैं जिनको कि प्लग किया जाना है।

अभी इसी सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बतलाया गया कि टाटाज़ जोकि एयर इंडिया इंटरनेशनल के मैनेजिंग एजेंट्स हैं, उन की कम्पनी को हम सामान खरीदने के लिए ढाई परसेंट कमिशन देते हैं। वह गवर्नमेंट कंसर्न है और उस के वह चेअरमैन हैं, तब भी वह ढाई परसेंट कमिशन या नफ़ा पाते हैं। मेरा कहना है कि इन सब चीजों के बारे में इनक्वायरी कराई जाय।

एक माननीय सदस्य : इनक्वायरी में खर्च बहुत आता है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : अब खर्च ज्यादा होता है इसलिए नाजायज़ चीज़ें हम होने दें, यह कहां तक उचित होगा ? सवाल तो यह है कि अगर इस तरह की नाजायज़ चीज़ें चलती हैं तो उनकी अवश्य जांच कराई जाय, उस में खर्च हो या न हो, इसका कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ज़रूरत तो इस बात की है कि जहां भी ऐसी ग़लत चीज़ें होती हों, उनकी जांच कराई जाय और उन को रोका जाय। इस तरह की अनियमितताओं को सरकार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी कम्पनियां भी वही या दूसरी ग़लत चीज़ें करें, उन के खिलाफ़ कोई नोटिस न लिया जाय और किन्हीं एक या दो कम्पनियों के खिलाफ़ ही सरकार प्रोसीड करे तो यह डिस्क्रिमनेशन का सवाल आ जाता है। इस बारेमें एक युनिफार्म पालिसी बरती जानी चाहिए और अगर किसी तरह की गड़बड़ियां और ग़लत बातें दूसरी कम्पनियों में भी हो रही हों तो उन के साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए जैसा कि कुछ के साथ किया जाय। ऐसा न हो कि गवर्नमेंट किसी को फ़ेवर करे या किसी के खिलाफ़ काम करे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बोस कमीशन की रिपोर्ट में कई जगह कंट्रेडिक्शंस हैं क्योंकि वह लोग एक निर्णय पर पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने कहा है :—

> "३१-५-४८ से ग्रुप के विघटन के बारे में तथा उस विघटन की तिथि के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।"

वह इस बारे में श्योर नहीं हैं कि डिस्सौलयूशन हुआ या नहीं और हुआ तो किस डेट से हुआ ? फिर वह कहते हैं :—

> "यह कहना ठीक नहीं कि वह अनिवार्यतः श्री शांति प्रसाद जैन को जानना था कि उस ने विशिष्ट सौदे का प्रबंध किया था।"

अगर रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी जाय तो मालूम होगा कि उस में कई जगह ऐसी बातें हैं जिन से मालूम होता है कि पर्याप्त आधार की कमी है और इस कारण लीगल कार्यवाही मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि जहां किसी अनियमितता के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही कर सकती हो वह न करे, अवश्य उसके खिलाफ़ प्रोसीड करे। मैंने अपने अमेंडमेंट में दिया है कि एक कम्प्रीहैंसिव इनक्वायरी हो और तब कम्पनी ला में अमेंडमेंट लाया जाय। साथ ही डिलिनक्वेंट्स को अवश्य सज़ा दी जाये अगर उनके पास सबूत हो। लेकिन यह अवश्य है कि मुकद्दमेबाज़ी केवल हवा में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

नहीं चल सकती है । हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिस समय कम्पनी ला कम्प्रीहैंसिव नहीं था उस समय क्या प्रचलित था उसको जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि बिजनैस हाउसेज़ की मसलन् जे० के० मफतलाल ग्रुप और टाटा आदि की क्या परिपाटी थी । उस वक्त एक परिपाटी सी ऐसी हो गई थी और उस के अनुसार सब लोग चलते थे । उस में मैं ने इनक्वायरी नहीं की । इसलिए मैं यहां तक जवाब नहीं दे सकता । लेकिन यह मैं भी और आप सभी लोग जानते हैं कि एक ही कम्पनी में नहीं बल्कि अन्य कम्पनियों में जैसे बिड़ला और टाटा की कम्पनियों में पूंजी बहुत अधिक बढ़ी है । यह कैसे हुआ ? मजदूर काम करते-करते मरे जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है । कोई एक वकील है वह बड़ी मुश्किल से एक मकान बना सकता है । इसी तरह से १००० या २००० रुपये मासिक की नौकरी वाला है वह बहुत मुश्किल से पैसा बचा पाता है । यह प्राइवेट कम्पनी वाले लोग कैसे लाखों और करोड़ों रुपया बचा लेते हैं । इस के पीछे आख़िर कोई राज़ तो होगा ही । साफ़ जाहिर है कि यह हम को ठगते हैं, पबलिक को ठगते हैं और गवर्नमेंट को ठगते हैं । गवर्नमेंट को जो उनको इनकम टैक्स आदि का पैसा देना चाहिए वह छिपा लेते हैं । फर्जी हिसाब बहियां बना कर टैक्स की ये लोग चोरी करते हैं और इस तरह से अमीर बनते हैं । इन की कम्पनियों में जनता जो शेयर्स लेती हैं उनको ठीक से यूटिलाइज़ न करके यह लोग घाटा दिखला देते हैं । होता यह है कि पबलिक का पैसा मारा जाता है । शेयर्स अपने जनता में बेच देने के बाद इनके द्वारा उचित कार्यवाही के अभाव में शेयर्स के दाम घटने लगते हैं । उस मौके पर आप ख़रीद लेते हैं और जब शेयर का दाम बढ़ता है, तो उस को बेच देते हैं । इसी से नफ़ा होता है ।

अन्त में मैं सरकार से कहूंगा कि यह ज़रूरी है कि इस बारे में एक काम्प्रीहैंसिव एन्क्वायरी की जाये और उस के बाद हम कम्पनीज़ ला को दुरुस्त करने के लिए कोई स्टेप लें, जिस से पब्लिक ठगी न जाये । यह ज़रूरी है कि कम्पनीज़ ला में हम अमेंडमेंट करें और जो कुसूरवार हों, उन को सज़ा दें ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रभारी मंत्री या मंत्रिमंडल मंत्री दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हैं ।

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : मैं सब बातें लिख रहा हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : दोनों पक्षों के विचार सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार को अन्य बड़े व्यावसायिक सार्थों की भी जांच करवानी चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंहका किसी व्यवसायिक फर्म का पक्ष ले रहे थे, परन्तु वह अपने दिल से सोचें कि क्या न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी की जांच नहीं होनी चाहिये ?

मैं श्री दाजी के सुझावों से सहमत हूं । डालमिया और जैन के विरुद्ध १९५३ से ही अभियोग क्यों नहीं चलाया गया । श्री पेटीगारा ने आयोग के सामने जो पत्र रखा था उस के अनुसार उस ने बताया है कि सरकार डालमियाजैन के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है और सोलिसिटर जनरल ने जांच के लिये आयुक्त नियुक्त किये जाने का समर्थन किया था । किन्तु सरकार या तो डालमिया जैन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना चाहती थी या उसे कोई औचित्य दिखाई नहीं दिया । सरकार को झिझक अवश्य थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि इस जांच के पश्चात् भी, जिस पर ३० लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, अग्रतर जांच की जरुरत बतलाई गई है ।

श्री सान्याल ने न्यू एशियाटिक इन्श्योरेंस कम्पनी में गलतियों का उल्लेख किया है और डालमिया जैन के बारे में धोखेबाजी आदि के आरोप हैं । इन को कानूनी दृष्टि से अभियोग के योग्य नहीं समझा गया । श्री गर्ग वकील ने कहा है कि बोस आयोग की रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारियां होनी चाहिये । क्या गिरफ्तारी १९५३ में या अब नहीं हो सकती ? यदि नहीं हो सकती, तो हम किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं ? श्री पेटीगारा ने उपसचिव, वित्त मंत्री को जो पत्र लिखा था, उस से पता चलता है कि सरकार ऐसा करने में झिझकती रही है ।

जांच के लिए श्री चोपड़ा को इन्स्पैक्टर बनाया गया श्री ऐस० पी० जैन के इशारे पर । और वह कलकत्ता तथा बम्बई के सब से अधिक महंगे होटलों में रहता था और श्री जैन उसका खर्च वहन करते थे । ऐसे इंस्पैक्टरों से क्या लाभ हो सकता है ?

न्यू एशियाटिक इन्श्योरेंस कम्पनी के बारे में रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई किन्तु लेखापरीक्षक की रिपोर्ट नहीं रखी गई—केवल सारांश रखा गया । प्रधान मंत्री ने बताया कि महान्यायवादी ने कहा है कि यदि सरकार को उस के द्वारा भेजे गये पत्र सभा के सामने रखे जायगे तो वह स्पष्ट वक्तव्य नहीं रह सकता । श्रीमान् जी, इसका भी एक इतिहास है । वर्तमान सोलिस्टिर जनरल श्री शास्त्री के सामने बिरला के आयकर के मामले में वकील थे; और श्री ए० के० सेन (विधि मंत्री) उन के साथी थे । वे यह वकालत कर रहे थे कि बिरला लोग ईमानदार हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई न की जाय । यह दुख का विषय है कि उन्हीं लोगों के ऊपर न्यू एशियाटिक और रूबी के मामलों के निर्णय का भार छोड़ दिया गया है । यह प्रजातंत्र के प्रतिकूल है । न्यू एशियाटिक के बारे में लेखापरीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कम्पनी ने जानबूझ कर हिसाब किताब में गड़बड़ी की है और संतुलन पत्रों को भी बिगाड़ा है, और बहुत सा रुपया अज्ञात कामों के लिए खर्च कर डाला है तथा कम्पनी 'वाडला' सौदा के रूप में बहुत सी राशि को बीमा विभाग से पृथक रखे रही, जिस का बीमा से कोई सम्बन्ध नहीं । बहुत सी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है । इन बातों का जो उत्तर समवाय ने दिया है वह संतोषजनक नहीं है ।

डालमिया जैन के विरुद्ध तुरन्त जोरदार अभियोग चलाया जाय, अन्य बड़े व्यवसायिक सार्थों की जांच करवाई जाये तथा न्यू एशियाटिक और रूबी बीमा समवायों के लेखाओं के लिये इन्स्पैक्टर नियुक्त किए जाय ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं जो कर भार से बचने के लिये तथा अनेक गड़बड़ों के लिए झूठे समवायों और कागजों आदि के द्वारा अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं ।

बिड़ला श्रृंखला को इस में बड़ी पेचीदा बताया गया है, जिस ने पूंजी बड़ी बिखरा रखी है और यह मालूम करना बड़ा कठिन है कि कौन मूल समवाय है । उनकी कम्पनियां अधिकतर राजस्थान और मध्यप्रदेश में पंजीबद्ध हैं । और उनकी नियंत्रक निधियां प्रारम्भिक स्तर पर लौट आती हैं । इतनी पेचीदा श्रृंखला है ।

इस प्रकार अनेक समवाय जनता के धन का शोषण करती हैं । इसलिये बिड़ला और अन्य समवायों की जांच करने के लिये दूसरा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । बड़ी व्यवसायिक फर्मों की सावधिक जांच होनी चाहिये । जिस इन्स्पैक्टर का नाम मैं ने बताया है वह नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये । समवाय विधि में भी संशोधन किये जाने चाहिये, विशेष कर सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक दान देने के सम्बन्ध में ।

[श्री स० मो बनर्जी]

श्री दाजी जब रामायण और धोबी की कहानी सुना रहे थे तो श्री त्यागी ने कहा था कि वे धोबी नहीं । मैं कहूंगा कि नेहरू लांडरी स्थापित होनी चाहिये जिस में देश के गन्दे अंश को साफ किया जाय और कांग्रेस को अधिक शुद्ध बनाने का प्रयत्न किया जाये, और व्यवसायिक फर्मों से चोरबाजारी का रुपया लेकर देश की समृद्धि के लिये लगाया जाय ।

श्री अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बोस कमीशन की रिपोर्ट के कारण प्राइवेट सेक्टर जगत् में आज बड़ी बेचैनी, घबराहट और परेशानी पैदा हो गई है, जिसका मुझे डर है, हमारी भारत की इंडस्ट्री जोकि बहुत बड़ी है, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ने जा रहा है । शुरू में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस ने प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एनकरेज नहीं किया । जो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उद्योगपति थे, उन्हों ने इंडस्ट्री को बढ़ाया । ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ कायम नहीं कीं क्योंकि उसमें उनका कोई फायदा नहीं था । उस समय जो कम्पनी ला बना उस में काफी लूपहोल्स थे और आज भी हैं । ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिस कारण इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपनी मनमानी करने का पूरा मौका मिला । खास तौर से लड़ाई के दर्म्यान में जब कंट्रोल्स लगे थे । तब इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बहुत ज्यादा मौका मिला नाजायज फायदा उठाने का ।

अक्सर उद्योगपतियों से बातें होती हैं छोटे या बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस्स का कहना यह है कि गवर्नमेंट का कानून इस किस्म का है कि अगर उसके अनुसार वे चलें तो उनकी तमाम इंडस्ट्रीज़ बन्द हो जायेंगी । उन के ऊपर जो इनकम टैक्स और सुपर टैक्स आदि की बंदिशें हैं अगर उन के अनुसार वे काम करें तो उनको कोई मौका नहीं है कि वे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा कर उनसे पूरा फायदा उठा सक । ऐसी सूरत में अगर हमारी सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार न किया तो मुझे डर है कि हमारे भारत की इंडस्ट्रीज़ को बड़ा भारी धक्का लगने जा रहा है । उसकी वजह से हमारी फाइनेन्शल कंडिशन पर असर पड़ेगा क्योंकि हमारी सरकार की कोशिश है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करें और और बाहर भेज ।

यह ठीक है उद्योगपतियों ने, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, गत वर्षों में बहुत नाजायज फ़ायदे उठाये हैं । इसका बड़ा कारण यह था कि हमारी गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । वैसे तो हमारे देश में लोगों का नैतिक स्तर काफी गिरा हुआ है । क्या व्यापारी क्या धनी क्या छोटे से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक, जिस आदमी को मौका मिलता है वह फायदा उठाने की कोशिश करता है और काफी फायदा उठाता है । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार को बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि हम किसी प्रकार से लोगों के चरित्र को ऊंचा करें, चाहे वह इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों, चाहे जनता हो, चाहे दुकानदार हों चाहे व्यापारी हों । इसकी वजह से देश को काफी नुक्सान हो रहा है ।

जब हम अपने पब्लिक सेक्टर की तरफ देखते हैं जहां पर हमारी गवर्नमेंट का इन्तजाम है कि उन्हों ने कितना फायदा उठाया तो वहां एक अजीब चीज है । अभी हम ने देखा कि जो हिन्दुस्तान स्टील है, जिस में हम ने बहुत बड़े-बड़े लोहे के कारखाने खोल रक्खे हैं, उन में करीब ७।। सौ करोड़ रुपये हम ने लगाये हैं, उन में ४० करोड़ रु० का घाटा है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस फैक्ट्री का ऐडमिनिस्ट्रेशन या इन्चार्ज ईमानदार होता है, अच्छा होता है, उस को फायदा होता है और जहां करप्शन होता है वहां पर नुक्सान होता है । उस में लीकेज होता है, काफी माल चोरी हो जाता है और काफी गड़बड़ी होती है । बहुत सी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, जिन में गड़बड़ी हो रही है क्योंकि वहां का ऐडमिनिस्ट्रेटर ठीक नहीं है, वहां पर इन्तजाम ठीक नहीं है । हम अपना एक अफसर

भेज देते हैं जोकि ऐडमिनिस्ट्रेशन तो जानता है लेकिन वह यह नहीं जानता कि व्यापार किस तरह से होता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी गफलत से, उसकी गलती से, काफी नुक्सान होता है। जबकि हमारे उद्योगपति इस समय में करोड़ों रुपयों का इनकम टैक्स देते हैं, सुपर टैक्स देते हैं, और काफी फ़ायदा उठाते हैं तब हमारे पब्लिक सेक्टर में नुक्सान होता है।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह सवाल बहुत अहम है, गम्भीर है। इसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट्स बैठ कर विचार करें, जितने भी लूपहोल्स हों उसको निकालने की कोशिश करें। हमारे कम्पनी ला में बहुत सी खामियां आज भी मौजद हैं, अगर हम ने उन को खास तौर से दूर नहीं किया तो इस का नतीजा हमारी इंडस्ट्रीज़ पर बहुत बुरा पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हमारे यहां प्रजातंत्र है, यह बिल्कुल ठीक है, हम को अपने मारल्स को उठाना है, ठीक-ठीक काम करना है, लेकिन हमें यह अनुभव नहीं है कि वह किस तरह से हो सकता है। इस के लिये मेरा सुझाव यह है कि छोटे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और गवर्नमेंट बैठ कर आपस में सोचे कि किस तरह से वे इस बुराई को दूर कर सकते हैं और गवर्नमेंट को फायदा भी हो और ठीक-ठीक काम हो।

हम देखते हैं कि आज कल अकाउन्ट्स दो तरह के रक्खे जाते हैं। गवर्नमेंट को दिखलाने के और होते हैं और प्राइवेट तौर से और होते हैं। इस से टैक्स का बड़ा नुक्सान गवर्नमेंट को होता है साथ ही पब्लिक में भी बैचेनी पैदा होती है। अगर हम ने इस बुराई को दूर करने के लिए कानून का सहारा लिया तो उसका तरीका तो ऐसा होता है जोकि बहुत लम्बा और खर्चीला होता है और परेशानी का होता है। मैं निवेदन करूंगा कि हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिस से हमारे देश की इंडस्ट्री जो बढ़ रही है और पनप रही है उस को नुक्सान न पहुंचे और वह ठीक-ठीक काम करे।

†**श्री शाम लाल सर्राफ** : पिछले दो दिनों की चर्चा में तेजी अधिक रही है, विषयगत बात कम। कुछ अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिये जो लाभदायक हो सके।

रिपोर्ट में जो बातें प्रकाश में आई हैं, वे दुख का विषय हैं। सामाजिक, व्यावसायिक और निगमित जीवन पवित्र होने चाहियें, तभी हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंच सकेंगे।

व्यापार की वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ लोगों को उद्योग खड़ा कर के धन को बढ़ाने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरे हमारे कुछ उद्योगपतियों ने देश के औद्योगिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में योग दिया है। टाटा का काम इस दिशा में सराहनीय है।

१९५६ से पहले भी राज्यों को इन समवायों के काम की जांच करने, पूंजी सम्बद्ध मामलों को देखने का अधिकार था। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा नहीं किया गया। सरकार को कुछ व्यापारिक समवायों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिये और अपराधी व्यक्तियों को दण्ड मिलना चाहिये।

मैं दफ्तरी-शास्त्री की इस बात से सहमत हूं कि नीति के मामले निदेशक मण्डल के हाथ में हों तथा समवाय के संचालन का उतरदायित्व उन पर न हो। किन्तु जहां बड़े भारी सौदे हों और बड़ी राशि का मामला है, निदेशकों के ज्ञान के बिना नहीं होना चाहिये उन की मंजूरी होनी ही चाहिये। इन बातों की भी जांच की जरूरत है कि कैसे ये बातें हुई।

रूबी कम्पनी में नीति का मामला नहीं, बल्कि बड़ी भारी राशि के प्रतिकर का सवाल है। इसकी भी जांच की जरूरत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शामलाल सर्राफ]

सरकार को निगरानी रखनी चाहिये और हम सब चाहते है कि निगमित जीवन पवित्र हो। मैं सब बुराइयों के लिये सरकार को ही दोष नहीं देता। अभी देश में निगमित जीवन का प्रारम्भ ही हुआ है। केवल कुछ गिने चुने समवाय हैं। जब तक हम लोग इन निगमित उद्योगों में धन नहीं लगाते, इस निगमित जीवन का विकास संभव नहीं है और देश में समाजवाद का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। अतः कोई विपरीतगामी वातावरण पैदा करने का लाभ नहीं। मिश्रित अर्थ व्यवस्था में भी हम केवल कुछ लोगों को अधिक धनी और अन्य लोगों को निर्धन बने रहने नहीं दे सकते। अतः हमें लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये उचित वातावरण पैदा करने की नीति अपनानी है, ताकि लोग निगमित क्षेत्र में धन लगायें और छोटे समवाय लाभांश प्रदान कर सकें।

जम्मू व काश्मीर राज्य में कुछ अंग्रेज थे, जिन्होंने अपनी पूंजी इंगलिस्तान में निगमित सार्थों नें लगा रखी थी और लाभांश कमा रहे थे। हमें भी पूंजी लगाने की आदत पैदा करनी चाहिये और इसी कारण वह देश उन्नति कर रहा है।

सब लोगों पर दोष लगाने का लाभ नहीं होता। जिन लोगों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही तो की जाये, परन्तु सब को बदनाम नहीं किया जाना चाहिये।

बड़े व्यापारी हालात के अनुसार बड़े बने है, संविधान, हमारे देश की परिस्थिति आदि का लाभ उन्होंने उठाया है। उन में कुछ का काम बिल्कुल ठीक है। हमें विधि नें भी समुचित परिवर्तन या संशोधन करने की जरूरत है।

सरकार को यह देखना चाहिये कि क्या उसने संभत विधि के अधीन अपेक्षित कार्रवाई की है या नहीं तथा अफसरों ने अपना उत्तरदायित्व निभाया है या नहीं। यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाये। इन बुराइयों को तुरन्त समाप्त करने की जरूरत होती है।

लेखापरीक्षकों का निगमित जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण काम होते है, उन्हें हिसाब में जोड़-तोड़ करने का स्वातंत्र्य नहीं होना चाहिये। लेखा परीक्षकों का पंजीयन ही पर्याप्त नहीं है। यदि लेखा पाल इन सौदों में सहायक न होते, तो ये सौदें न हो सकते। अतः हम इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्र को संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये काम करना है और औद्योगिक नीति संकल्प तथा सभा द्वारा निर्धारित नीति का पालन करना चाहिये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं नहीं चाहता कि सभी बड़े व्यापारी सार्थों को अनावश्यक रूप से तंग किया जाये, किन्तु अपराधी और दोषी सार्थों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस रिपोर्ट पर जो बहस चल रही है उस में मैं ज्यादा कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन सिर्फ दो, तीन चीजें अवश्य इस सदन में अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो बहस चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है। कारण उसका यह है कि अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। अगर सरकार

की तरफ से उसका रुख मालूम होता कि जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके ऊपर क्या कार्यवाही करने जा रही है तो शायद बहस कुछ अच्छी और उपयोगी भी सिद्ध हो सकती थी। मौजूदा सैशन का आज आखिरी दिन है और आज बहस खत्म हो जाती है तो कल सदन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बहस का नतीजा क्या हुआ, अथवा सरकार उस के ऊपर क्या कार्यवाही करने जा रही है, इसके बारे में जानने के लिये या उस संबंध में चर्चा होने के लिये भी कोई अवसर नहीं रह जाता है।

दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसके दो पहलू हैं। उसका एक पहलू वह है जोकि खास कर डालमिया जैन कम्पनियों से संबंधित है और दूसरा सामान्य ढंग से जो अभी अर्थ व्यवस्था है देश में और देश की जो भ्रष्टाचार की समस्या है उस से संबंधित है। जहां तक खास कर डालमिया जैन कम्पनियों का संबंध है उसके बारे में यह बहस चलाना कि यह डालमिया जैन कम्पनियां दोषी हैं या नहीं, यह एक अनावश्यक बहस है क्योंकि दोषी हैं या नहीं इसके बारे में प्रमाण की भी जरूरत नहीं है।

आज से १०० साल पहले जो कार्लमार्क्स का पूंजीवाद के बारे में विश्लेषण हुआ था, प्रयोग हुआ था, हर प्रगतिशील दिमाग वाला यह जानता है कि किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी अर्थ संस्था का मालिक, उसकी शासन व्यवस्था को चलाने वाले जरूर ठग या डाकू होते है। इस को प्रमाणित करने के लिये या किसी पूंजीपति को दोषी ठहराने के लिये कोई बड़ी इनक्वायरी की जरूरत नहीं है लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और दंड दिलाने के लिये जरूर प्रमाण चाहियें। विवियन बोस की जो रिपोर्ट है उस से काफी प्रमाण सरकार के हाथ में अभी मौजूद है।

अभी डालमिया जैन के खिलाफ कार्यवाही न चलाने के दो कारण बताये जाते हैं। एक कारण तो यह बतलाया जाता है कि अभी जो कानून है वह पर्याप्त नहीं है। हमें काफी मैटीरियल और नये प्रमाण इकट्ठे करने होंगे अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है। दूसरे यह कि जितने भ्रष्टाचार के नमूने बतलाये गये हैं रिपोर्ट में यह सब आम किस्म के हैं। और हिन्दुस्तान की जितनी भी कम्पनियां हैं हर एक कम्पनी में यह सब कम ज्यादा होते ह। लेकिन यह कोई कारण नहीं है। अगर दूसरी कम्पनियों में भी भ्रष्टाचार होता है तो उनके खिलाफ भी जांच पड़ताल करनी चाहिये। गवर्नमेंट के अभी जितने कानून हैं देश में वह बढ़िया नहीं हैं या इस ढंग से नहीं हैं जिससे कि हम कोई कानूनी कार्यवाही कर सकें, यह भी बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने इस सदन में जो भारत रक्षा कानून पास किया है वह ऐसे मौके पर इस्तेमाल करने के लिये पास किया था जबकि आभ्यन्तरीके के कानूनों को हम ठीक ढंग से ऐप्लाई नहीं कर पायेंगे। ऐसी विशेष परिस्थिति के लिये हमने यह खास कानून बनाया है। भारत रक्षा कानून का सहारा लेकर हम अपराधियों को सजा देंगे इसलिये यह विशेष कानून हम ने पास किया था। लेकिन हम देख रहे हैं और स्वयं अनुभव भी किया है कि इस भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल केवल सरकार विरोधी पार्टियों के लोगों के ही खिलाफ किया जा रहा है। अभी तीन, चार महीने पहले मेरे ऊपर इस कानून का इस्तेमाल किया गया था। मेरे ऊपर इसका प्रयोग इसलिये किया गया था कि मैंने यह आवाज उठाई थी कि किसानों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिये। कुछ सप्ताह पूर्व इसी भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत जार्ज फरनडिस को बम्बई में गिरफ्तार किया गया। उनको इस कानून के मातहत इसलिये गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहां के कुछ श्रमिक नाजायज ढंग से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते थे। जब किसान या मजदूर जायज ढंग से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते है तब तो इस भारत रक्षा कानून का प्रयोग उन पर किया जाता है लेकिन जब पूंजीपति नाजायज ढंग से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उनके खिलाफ इस कानून का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। अब इस से ज्यादा शर्म की बात और क्या

[श्री किशन पटनायक]

हो सकती है खास कर इस सदन के लिये जिस ने कि एक ऐसा कानून भ्रष्टाचार और बदमाशियों को रोकने के लिये बनाया हो वह ग़रीबों पर तो लागू किया जाय लेकिन अमीरों को उससे छूट मिले जैसा कि कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कम्पनियों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये इस भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल किया जाय, मैं भी चाहता हूं कि सरकार इस बारे में हिचकिचाये नहीं और वहां जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको समाप्त करे। मेरा कहना है कि जितनी भी कम्पनियों में ग़लत काम होते हैं, जो भी पूंजीपति भ्रष्टाचारी हैं, सब को सज़ा दी जाय। किसी एक खास कम्पनी को सज़ा देना बाकी खतावार कम्पनियों को नज़रअन्दाज़ करना और छोड़ देना न्याय के दृष्टिकोण से ग़लत होगा। अभी चूंकि डालमिया कम्पनी के बारे में प्रमाण मिले है और रिपोर्ट मिली है इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन उसी के साथ-साथ जैसा कि और साथियों ने भी मांग की है दूसरी कम्पनियों और पूंजीपतियों के बारे में सरकार जांच पड़ताल कराये। बिड़ला, टाटाज़ और जो दूसरे-दूसरे पूंजीपति हैं उनके खिलाफ ज़रूर जांच पड़ताल होनी चाहिये।

जहां हम प्राइवेट सैक्टर के बारे में जांच पड़ताल करें और कड़ी नजर रक्खें वहां पबलिक सैक्टर के प्रति भी हम लोगों की दृष्टि जानी चाहिये। यह ठीक है कि भ्रष्टाचार के बारे में प्राइवेट सैक्टर की कम्पनीज आमतौर से संबंधित होती हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी कम्पनीज़ हो सकती हैं जोकि पबलिक सैक्टर से भी संबंधित हो सकती हैं और इसलिये पबलिक सैक्टर पर भी हमें निगाह रखनी होगी.....

उपाध्यक्ष महोदय : पबलिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की आज चर्चा नहीं है। आज तो विवियन बोस की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है।

श्री किशन पटनायक : विवियन बोस कमेटी की रिपोर्ट का एक पहलू पबलिक सैक्टर से भी संबंधित है। विवियन कमीशन बोस की रिपोर्ट पर श्री दफ्तरी ने जो अपनी राय दी है और रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा है :—

> कुछ धनी उद्योगपति समवाय के मकानों और कारों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करते हैं और सरकार व्यय के रूप में भारी रकमें उड़ाते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस ढंग का भ्रष्टाचार पबलिक सैक्टर में भी होता है या नहीं होता है क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जोकि पबलिक सैक्टर में भी हो सकती है और हो भी रही है। कम से कम इस दृष्टि से पबलिक सैक्टर की भी जांच पड़ताल होनी चाहिये।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप को मिटाने के लिये यह सर्वश्रेष्ठ सदन अपने हर एक प्रयत्न में लगा हुआ है। जो अभिशाप इस राष्ट्र को खाये जा रहा है, उसी अभिशाप की गाथा बोस कमीशन की रिपोर्ट में दी गई है, जो कि डालमिया जैन के संबंध में है। बहुत सी चर्चा इस सदन में इस विषय पर हो चुकी है और उस में बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं। किस तरह से रुपये का ग़बन हुआ और किस नहज से डालमिया जैन कम्पनी ने ग़रीब मजलूम मजदूरों, जो शेयर खरीदते हैं, के धन से होली खेली, यह किसी से छिपा नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ११४ फिक्टीशस, जाली नाम दिए गये, ऐसे आदमियों के नाम दिये गये, जो न इस हिन्दुस्तान में और न दुनिया में कभी पैदा

हुये और न कभी मरे। यही नहीं, यहां पर ऐसी कम्पनियां उठाई गईं, जिनके आधार पर उन्होंने कंट्रैक्ट किया, डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और यह कहा कि तुमको दस हज़ार रुपये महीना की तन्ख्वाह मिलेगी और बीस बरस तक तुम को रखते हैं। अगर हम ने बीस बरस से पहले अलग कर दिया, तो पूरा खमियाजा पूरा नुकसान देंगे। उन्होंने दस, बारह, सोलह दिन काम किया और उसके बाद उनको हटा दिया गया और लाखों करोड़ों की तादाद में इस तरह का खमियाजा दिया गया।

यह तमाम गाथा इस रिपोर्ट में दी गई है। उसको कह कर मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आदरणीय दफ्तरी साहब ने इस पाप के घड़े के संबंध में जो अपनी कानूनी राय दी है, उसको जब मैं पढ़ता हूं, तब मेरे मन में कुछ क्रोध होता है। यहां पर भारतवर्ष में ताजीराते-हिंद है। कम्पनीज़ में जो कुछ परेशानी होती है या रुपये का गबन होता है, उसके लिये कम्पनीज़ एक्ट है। मैं तो अपनी इस तुच्छ बुद्धि से यह समझता हूं कि इस कमीशन को भी बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ ग़लतियां और जो कुछ पाप डालमिया जैन कम्पनी और इन ग्रुप ने किये हैं, कम्पनीज़ एक्ट में ही उनके बारे में कार्यवाही की जा सकती थी, उनसे रुपया भी, वसूल हो सकता था और उनको सजा भी दी जा सकती थी। ये तमाम अधिकार कम्पनीज़ एक्ट के अन्तर्गत हाई कोर्ट को दिये गये हैं, परन्तु यह कमीशन बैठा और उस पर लाखों रुपये खर्च हुये। आज पांच छः वर्ष के पश्चात् हमारे हिन्दुस्तान के कानून के धुरंधर विद्वान अजीब तरह की बातें कहते हैं। बहुत सी बातें कहते हुये उन्होंने अन्त में कहा है :—

इस मामले में और कुछ नहीं किया जा सकता।

यही नहीं, आगे वह कहते हैं कि श्री डालमिया ने कभी कागज पर स्वयं नहीं लिखा यद्यपि उन्होंने अनेक सन्देहास्पद सौदे किये। भारत बीमा कम्पनी के मामले में तो वह जेल में पड़े हैं। यह राय मैंने दे दी। इस राय के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। ताजीराते-हिन्द यहां पर है। अगर कोई सोलह बरस का बच्चा तीन दिन तक भूखा मरता रहे, अगर वह मां से मांगे, तो खाने को न मिले और बाप से मांगे, तो खाने को न मिले, उसके बाद अगर वह काम मांगे, तो उसको काम भी कहीं न मिले। तब मौका पाकर अगर वह किसी बाबू की जेब काट कर एक रुपया निकाल ले और चार आने के चने खुद खा ले और बारह आने के मां-बाप के लिये ले आये, तो उसको चोरी में, जेब काटने में सजा हो जाती है। यह तो साक्षात डाका पड़ा है हिन्दुस्तान की जायदाद पर। यह तो हिन्दुस्तान के शोषित सपूतों की कमाई पर डाका पड़ा है। इसमें करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है। क्या उसके लिये कानून में कोई जगह नहीं है? अगर हिन्दुस्तान के ताज़ीराते-हिन्द में इस तरह के गुनाहगारों को सज़ा देने के लिये कोई जगह नहीं है, तो उसको जला कर फेंक देना चाहिये, क्योंकि इस से इस मुल्क से शांति का तसव्वुर हट जायेगा, लोगों के मन में इन्साफ के लिये आज भी जो धारणा है, वह मिट जायेगी।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अभिशाप है। भ्रष्टाचार और लोकशाही साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। यदि कोई मन में यह धारणा रखता है कि भ्रष्टाचार और लोकशाही साथ-साथ चल सकते हैं, तो वह किसी आधार पर आधारित नहीं है। वह भावना किसी भी समय लोप हो सकती है।

जब सरकार के लोग देखते हैं कि किसी कमी की वजह से हमारी सरकार कहीं खत्म न हो जाये, तो वे और दस साल के लिये पोलीटिकल रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं, संविधान की पवित्र धाराओं

[श्री मौर्य]

में अमेंडमेंट कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। यदि उनको और कहीं कुछ दीखता है, तो वे वहां पर अमेंडमेंट कर देते हैं। अगर आज इसके लिये जरूरत है, तो इसके लिये अमेंडमेंट कर दिया जाये। इस तरह का जो भ्रष्टाचार चला है, वह हिन्दुस्तान को खा जायेगा। मैं कानून के दाव-पेंच में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार हर कीमत पर समाप्त होना चाहिये।

इस मुल्क में दो चीजें बहुत बुरी तरह से चल रही हैं --भ्रष्टाचार और खाने की चीजों में मिलावट ।

एक माननीय सदस्य : डालडा ।

श्री मौर्य : आज डालडा में भी डालडा है, डालडा में भी वनस्पति है। आज कोई चीज प्योर नहीं मिल सकती है। आज आटे में मिलावट है, मिट्टी के तेल में मिलावट है और सरसों के तेल में मिलावट है, खाने की हर एक चीज में मिलावट है, यहां तक कि आज की सरकार के कारण विचार-धाराओं में भी मिलावट हो गई है। मेरा कहना है कि इस मिलावट और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये। इनको समाप्त करना अनिवार्य है।

मैं एक समय आदरणीय बाबा साहब डा० अम्बेदकर से मिला था। मैंने उनसे कहा कि आज यहां पर भ्रष्टाचार और मिलावट बहुत ज्यादा है, ये किस तरह से समाप्त हों । इसके उत्तर में उस महान् विद्वान ने कहा था कि जो लोग भी भ्रष्टाचार करें, उनकी कम से कम सजा सजाये मौत, फांसी होनी चाहिये, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिये। इससे उन लोगों को जरूर घबराहट होगी, जो पूंजीपतियों से साज-बाज करके इस सदन में आ जाते हैं या अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये हमको कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा,तो शोषित समाजके लोगों में असन्तोष फैलेगा, जिनको सरकार बेगुनाह होते हुये भी जेल में डाल देती है। दफा १०९ में दिन के बारह बजे पकड़ कर रात के बारह बजे दिखा कर उनको जेल में भेज दिया जाता है। न मालूम कहां से सुबूत ले आते हैं। मैं दफ्तरी साहब से पूछना चाहता हूं। पुलिस न मालूम कहां से सुबूत ले आती है और उनको सजा हो जाती है।

मैं चाहता हूं कि जो इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कदम उठाये जाने चाहियें और उनको जितनी भी सख्ती से ज्यादा सजा दी जा सके, दी जाये। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस मामले को टालने की बात नहीं करनी चाहिये। अगर यह सरकार या कोई कमीशन छः सात बरस में ऐसी कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सके, जिससे उनको सजा हो जाये, तो उनको और समय देने से जो कुछ भी किताब या पत्र या मैटीरियल उनको सजा देने के लिये मिल सकता है, वह भी गायब हो जायेगा। यह देर करने की बात अच्छी नहीं होगी। देर करने से इस तरह का अभिशाप मिट नहीं पायेगा। देर करने से इस तरह का भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा।

जब बिड़ला साहब की बात आई थी, तो बहुत से भाइयों ने कहा कि बिड़ला साहब की बात तो यहां पर नहीं चल रही है। बिड़ला की भी बात इसी में शामिल है। बिड़लाज भ्रष्टाचार के मामले में डालमिया से कुछ पीछे नहीं हैं। उन के मामले में भी पूरी परह से एन्क्वायरी होनी चाहिये। अगर इतना नहीं हो पायेगा, तो बिड़ला जी के लिये भी कुछ नहीं हो पायेगा और भ्रष्टाचार भी समाप्त नहीं हो पायेगा।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहूंगा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हम लोग महसूस करते हैं कि जब हम जरा आवाज उठाते हैं कि खेतीहीनों को जमीन दो, लैंडलेस लेबरर्ज़ को जमीन दो, तो हम बेगुनाहों के लिये न मालूम कहां से कौन सा कानून आ जाता है और हम को सजा हो जाती है, लेकिन जब इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, तो उन के लिये कोई कानून नहीं निकलता है।

यह कानून मैंने भी पढ़ा है। अगर कानून की निगाह से मैं देखूं, तो मैं कहता हूं कि ताजीराते-हिन्द के हर पन्ने पर डालमिया और जैन के लिये सजा मौजूद है, बशर्ते कि सजा देने के इरादे हों, दिल में ईमान और यकीन हो कि उन को सजा देनी चाहिये।

यहां के एटार्नी जेनेरल के ओहदे के खिलाफ आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एटार्नी जेनेरल का ओहदा समाप्त कर देना चाहिये, इस की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस समय बहुत चिढ़ा था, क्योंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं और मैंने समझा कि इस से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बिल्कुल समाप्त हो जायगी। * * *

इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं आप को धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि :

गर रहेंगी हवायें यूं ही जमाने की,
न खैर होगी चमन की न आशियाने की।

अगर इसी तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे, तो फिर यह लोशाही भी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है।

श्री त्यागी (देहरादून) : अगर भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दें, तो ईमानदार आदमी की कद्र बिल्कुल खत्म हो जायगी।

†**श्री मुरारका** (झुनझुनू) : मैं मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की औद्योगिक व्यवस्था तथा आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण विषय को उठाया है।

आयोग को नियुक्त करने का उद्देश्य यह था कि वह धन लगाने वाली जनता के हितों की रक्षा के निमित्त, कुछ समवायों के काम की जांच करें और हालात को सुधारने के लिये समुचित उपायों की सिफारिश करें। व्यक्तिगत त्रुटियों का निर्णय करना तो न्यायालयों का ही काम है। हमें इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि न तो हमारे पास पूर्ण साक्ष्य हैं और महान्यायवादी ने अग्रतर जांच की आवश्यकता समझी है। अतः, ऐसे मामलों पर सभा को अपने मत व्यक्त करने से पृथक रहना चाहिये।

श्री चोपड़ा को इन्स्पैक्टर नियुक्त करने पर आपत्ति उठाई गई है क्योंकि श्री जैन और उसके बीच मेल मिलाप है। श्री चोपड़ा ने कुछ समवायों की जांच करके रिपोर्ट की थी जिसमें उसने अफसरों के कहने पर १३ महीनों बाद परिवर्तन किया। अतः ऐसी परिस्थिति में उसके लिये जांच करना ठीक नहीं है। सरकार को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना चाहिये, जिसकी ईमानदारी पर संदेह न हो और जो न्याय कर सके।

आयोग ने तथा दफ्तरी-शास्त्री समिति ने समवाय विधि में संशोधन करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में जिन सौदों की जांच की गई है वे १९५३ से पहले के हैं। १९५६ में समवाय विधि

---

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

[श्री मुरारका]

में आमूल परिवर्तन किये गये, आय कर विधि में भी बड़े परिवर्तन इसी बाद की अवधि में हुए। अतः समवाय विधि सब दृष्टियों से पूर्ण नहीं हो पाई। इंग्लैंड में, जहां हमारे देश की अपेक्षा व्यापारी नैतिकता अधिक है, विधि में संशोधन किये जाते रहते हैं समय समय पर, और वर्तमान विधि को सम्पूर्ण नहीं माना जाता श्री जैनकिंग के मतानुसार उसमें यह भी कहा गया है कि केवल मात्र व्यक्तिगत अपराधों के ही कारण संशोधन नहीं किये जाने चाहियें। अतः अपने देश में भी सोच समझ कर समवाय विधि में संशोधन किये जाते रहने चाहियें।

मेरा निवेदन है कि हमारे देश में कम्पनी विधि बहुत विस्तृत और व्यापक है। इसके कुछ विशेष पहलू यह हैं कि सूचना आदि के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध हैं, जांच की शक्ति, विशेष लेखा-परीक्षा की शक्ति के बारे में उपबन्ध हैं, जो दूसरे देशों में नहीं है। अतः ये त्रुटियां विधायिनी शक्ति के अभाव के कारण नहीं है बल्कि क्रियाकारी प्रशासन के न होने के कारण और विधि के उपबन्धों को क्रियान्वित न कर सकने के कारण हैं। किन्तु १९५६ के बाद से जब कि कम्पनी विधि में बड़ा संशोधन हुआ है, स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है।

कई अन्य देशों में कम्पनी विधि बहुत विकसित है और निगमित क्षेत्र का प्रशासन बहुत अच्छी तरह से होता है। किन्तु हमारी कम्पनी विधि उन देशों की विधि से भी अधिक उन्नत और प्रगतिशील है। हमारे पास समवाय अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, बीमा अधिनियम, बैंकिंग समवाय अधिनियम, प्रतिभूति नियंत्रण अधिनियम और पूंजी नियंत्रण आदेश हैं। इनके होते हुए भी, मैं समझता हूं कि हमें निगमित क्षेत्र के विनियोजन पक्ष के नियंत्रण और विनियमन के लिए कुछ और उपबन्धों की आवश्यकता है। जर्मनी जैसे देश में, युद्धोत्तर वर्षों में आर्थिक अपराधों को बहुत गम्भीर समझा जाता है और इन को बड़े और छोटे अपराधों में बांटा जाता है। मेरे विचार में इस देश में भी इस प्रकार के अपराधों की घोषणा करनी चाहिये।

हमारे देश में निगमों पर अपराधों के लिए जुर्माना किया जाता है, किन्तु यह कोई प्रभावी दंड नहीं है। यदि अपराधी को जेल भी भेज दिया जाये, तो भी हिस्सेदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी। मेरा सुझाव है कि यथार्थ दंड यह दिया जाये कि आवश्यक विधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के किसी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रम में किसी कार्यपालिका पद पर काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। एक उपबन्ध यह भी होना चाहिये कि व्यावहारिक दायित्व के सम्बन्ध में, कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिये, ताकि कितना भी समय बीत जाने के बाद ब्याज के साथ धन वसूल किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए संसद् को एक विशेष कानून बनाना चाहिये।

बोस आयोग ने जिन मुख्य त्रुटियों की चर्चा की है, उन में से एक यह है कि कम्पनियां प्रायः सहायक कामों में लग जाती हैं, जिनका उन के मूल कामों से कोई सम्बन्ध नहीं होता और वह सहायक काम उनका मुख्य काम बन जाता है। यह इसलिए होता है कि सरकार स्वयं इसके लिए अनुमति देती है। मेरे पास एक सूची है जिसमें बताया गया है कि किस तरह एक मिल को दूसरे प्रकार का सामान बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं। ये लाइसेंस एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये जाते हैं, जिसमें कम्पनी विधि प्रशासन के विशेषज्ञ भी होते हैं। मेरे विचार में आयोग ने प्रश्न के इस पहलू पर अच्छी तरह विचार नहीं किया।

अन्तर-निगमित ऋणों के बारे में यह सच है कि एक कम्पनी ने दूसरी कम्पनी को अत्यधिक ऋण दिये हैं, जो कि बाद म व्यक्तियों को दिये गये हैं। आयोग ने यह नहीं देखा कि अन्त में

उन राशियों का क्या बना है । इस सम्बन्ध में, आयोग का प्रतिवेदन अपूर्ण है, क्योंकि यह नहीं मालूम हो सका कि कम्पनियों को रुपया वापस मिला या नहीं । यदि कम्पनियों को अन्त में कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ, तो अपराध की गम्भीरता बहुत कम हो जाती है ।

प्रतिकर के मामले में, कम्पनियों को गलत तौर पर या समय से पूर्व संविदाओं को रद्द कर देने के लिए बड़ी-बड़ी राशियां दी गई हैं । यह बहुत आपत्तिजनक होता है । ऐसा काम आय कर बचाने के लिए किया जाता है आय कर जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह प्रथा देश में बहुत प्रचलित है और इस आय को आय-कर योग्य बनाने के लिए विधि में संशोधन करना आवश्यक है, ताकि इस आय को साधारण आय समझा जाये और पूंजी प्राप्ति नहीं ।

कल्पित निदेशकों के बारे में, मैं कहूंगा कि निगमित क्षेत्र की सब से भारी त्रुटि यह है कि निदेशक बोर्ड स्वतंत्र नहीं होते । वे कभी आज़ाद राय नहीं दे सकते । १९५६ के संशोधन के समय सरकार को इस के लिए उपाय करना चाहिये था और वह उपाय यह है कि निदेशक मंडल का चुनाव अनुपातीय प्रतिनिधित्व द्वारा या संचित मतदान प्रणाली द्वारा किया जाये ।

श्री बिशनचंद्र सेठ (एटा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि कल से इस रिपोर्ट पर लम्बी बहस हो चुकी है, इसलिए बहुत से ऐसे प्वाएंट्स जिन्हें मैं आप के सामने रखना चाहता था, उनके ऊपर अब मैं कोई राय नहीं देना चाहता, कारण कई माननीय सदस्यों ने बड़े अच्छे तरीक़े से उन चीज़ों को आपके और सदन के सामने रख दिया है ।

इसके पहले कि मैं इस डिबेट पर अपने कुछ विचार रक्खूं, मुझे आप से यह निवेदन करना है कि जहां तक कम्पनी ला के परिवर्तन का प्रश्न है, मैं उसका स्वागत करता हूं । कारण कम्पनी ला में जो इस प्रकार की कमियां हैं जिनके कारण आज भी कुछ लोगों को गलत लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, मैं उसके लिए नितान्त आवश्यक मानता हूं कि कम्पनी ला में आवश्यक परिवर्तन कर दिये जांय ।

श्री मुरारका ने जो चीज़े रक्खी हैं उनसे साफ़ जाहिर होता है कि आज व्यवसायी वर्ग और धनी लोगों के प्रति द्वेष की भावना लोगों के दिलमें घर करती जा रही है वह उचित नहीं है । मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि अपने देश में अधिक से अधिक जो बड़े आदमी हैं वह करोड़पति की संख्या में माने जाते हैं परन्तु अगर आप इस ४४ करोड़ के देश के मुक़ाबले में इंग्लैंड को लीजिये तो जितने यहां करोड़पति हैं उससे ज्यादा वहां अरबपति हैं और अमरीका में खरबपति हैं पर वहां की जनता में इतनी द्वेषपूर्ण भावना नहीं है जैसी कि इस देश में पाई जाती है । जो भी है मैं कम्पनी ला के मौजूदा परिवर्तन के उस पक्ष का स्वागत करता हूं ।

इसी के साथ-साथ केवल कानून पास कर देने की जैसी कि आज हमारे देश में प्रवृत्ति चल रही है, विशेष रूप से कांग्रेस वालों में, उस को मैं बिलकुल अपर्याप्त मानता हूं क्योंकि केवल कानून का बना देना ही काफ़ी नहीं होता । कानून की इतनी किताबें इस देश के अन्दर मौजूद हैं जिन को अच्छे से अच्छे लाइयर्स भी याद नहीं कर पाते हर रैफरेंस के लिए उनको किताब खोलनी पड़ती है । केवल कानून बना लेने से ही संतोष नहीं करना है बल्कि कानून को ऐप्लीकेबुल कंडीशंस में लाइये, उसे इस्तेमाल करिये तब देश में कानून बनाना लाभप्रद होगा ।

उसीके साथ मैं यहां पर एक चीज़ और निवेदन करना चाहूंगा कि केवल कानून बनाने से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है जैसा कि कानून पर कानून नित्य बनाये जाना इस कांग्रेस सरकार की दैनिक प्रैक्टिस सी हो गयी है । जितने नये-नये विधान इस देश में बनते जा रहे हैं और बन गये

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

हैं उतने विधान संसार के किसी भी देश में नहीं बने हैं । देखने की दरअसल बात तो यह है कि भारत में विधानों की श्रृखला बनने के बाद हमारे देश के मौरेल अथवा चरित्र पर उन विधानों का क्या असर पड़ा अथवा पड़ रहा है ? मैं उसे अनुभव करता हूं और दुःख के साथ सदन के समक्ष यह चीज़ रखना चाहता हूं कि अधिक से अधिक विधान बनने का फल यह है कि अधिक से अधिक चरित्र हमारे देश का ख़राब होता जा रहा है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर कानून का लाभ लेना है तो देश के मौरेल के लिए चरित्र उठाने के लिए भी पूरी-पूरी सुविधा दी जाय ।

श्री दाजी और श्रीमती रेणुका रे ने कहा था कि देश में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब को नेशनलाइज़ कर दिया जाय । इस सिलसिले में मैं हाउस के सामने बड़ी विनम्रता के साथ यह चीज़ रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज़ इस देश में जितनी भी चली हैं उनमें ९२० करोड़ रुपया भारत का लगा हुआ है । इस के माने यह हैं कि हर व्यक्ति जो भी इस देश का रहने वाला है, उस ९२० करोड़ रुपये का हिस्सेदार है । वह ग़रीबों के टेक्स का धन है जिसे कि सरकार ने माध्यम बन कर उन प्रोजेक्ट्स में लगाया हुआ है । उस में मुनाफ़ा कितना हुआ है ? सारे देश में ९२० करोड़ रुपये की लागत पर जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं उन में केवल सवा करोड़ रुपया बचा है । इस के मानी क्या हुए ? १०० रुपये पर एक वर्ष में दो आने का मुनाफ़ा हुआ । पबलिक सैक्टर में सरकार जो इंडस्ट्रीज़ चलाती है, प्रोजैक्टस चलाती है, उसकी कारीगरी का सबूत इस से आप को भली भांति मिल सकता है कि वहां कैसे काम हो रहा है ? सरकार द्वारा शुरू किये गये कामों में कितना कम मुनाफ़ा होता है लेकिन मज़ा यह है कुछ मुल्क में इस तरह की हवा चल पड़ी है हर एक आदमी ने अपना यह कर्तव्य समझ लिया है कि पहले धनवानों को गाली दे दी जाय फिर कोई बात शुरू की जाय । मैं अपने उन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आख़िर इस देश में एक, दो नहीं, हज़ारों धर्म-शालाएं, हजारों मंदिर और हज़ारों बड़ी-बड़ी दान की संस्थाएं किस ने बनाईं ? जो गाली देते हैं उन्होंने यह सब बनाई हैं या उन्होंने बनाईं जिन्होंने कि इस देश में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं ।

एक माननीय सदस्य : चोरी के पैसे से अगर बना भी दीं तो क्या हुआ ?

श्री बिशनचंद्र सेठ : माननीय सदस्य ज़रा अधीर न हों । मेरी बात पूरी सुन लें । मैंने तो बीच में उनको नहीं टोका था ।

पब्लिक सैक्टर में जो ९२० करोड़ रुपया सरकार ने लगाया यह सारा ग़रीबों का ही तो पैसा है । उसमें बचत या मुनाफ़ा जो होता है वह १०० रुपये पर एक साल में केवल १ आने होता है । अब प्राइवेट उद्योगपतियों और व्यवसाइयों के लिए द्वेष योग्यता प्रवृत्ति रहने के कारण ऐसा कहा जाता है कि यह लोग बड़ा मुनाफ़ा कमाते हैं लेकिन मैं सदन के सामने यह चीज़ रखना चाहता हूं कि जो भी रुपया इस देश में धनवानों ने पैदा किया आख़िर उसका इस्तेमाल क्या हुआ ? वह रुपया इसी देश के अन्दर है । विदेशों में जा नहीं सकता है । सारे का सारा रुपया अपने देश के अंदर ही रहता है । अगर मकान बनाये तो इसी देश के आदमियों ने लकड़ी आई तो इसी देश के अंदर से ने. सीमेंट आया तो इसी देश के अंदर से आया **(अन्तर्बाधा)** ।

एक माननीय सदस्य : इन लोगों ने इनकम टैक्स की चोरी की है और जनता के पैसे की चोरी की है ।

श्री बिशनचंद्र सेठ : माननीय सदस्य का इस तरह से बीच में खलल डालना और टोकना उचित नहीं है। इस समय बोल मैं रहा हूं, वे नहीं बोल रहे हैं।

मैं आप के सामने यह निवेदन करना चाहता था कि यह सारा रुपया जब यहां पर अंग्रेजों की सरकार थी, तो वह दूसरे मुल्कों को जा भी सकता था परन्तु आज तो १० रुपये भी बिना श्री मुरारजी देसाई की स्वीकृति के दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकते। जब यह रुपया इसी देश में रहना है तब मैं नहीं समझता कि इस तरह से उनको आज क्यों कोसा जा रहा है ? अगर किसी सज्जन ने रुपया कमाया तो वह उसने अपने पुरुषार्थ से कमाया वह उसे अपनी छाती पर लेकर तो जायगा नहीं। आख़िर वह धन तो इसी देश में रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी ने ग़लत तरीक़े से रुपया कमाया तो बिला शक़ आप उसको फांसी की सज़ा दीजिये। ऐसे लोगों के साथ हमारी किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं। परन्तु मुझे यह देख कर बड़ी चोट लगती है और मेरे दिल को एक धक्का सा लगता है कि एक नवीन प्रवृत्ति इस देश के अंदर पैदा की जा रही है जिसके माने यह हैं कि अगर किसी शख्स ने अपनी योग्यता से, अपने भारी पुरुषार्थ से सैकड़ों साल कार्यक्रम करने के बाद अगर उसने कोई साख देश के अन्दर पैदा की है तो इस प्रकार से सारा हाउस उसको भला बुरा कहने के लिए तैयार और गाली देते नहीं अघाता है। यह साख जो उन्होंने क़ायम की है यह उनके पुरुषार्थ की कहानी है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति देश को आगे बढ़ने से रोकती है। मेरा यह दृष्टिकोण है। कल्पना करिये कि एक कम्पनी का धन दूसरी कम्पनी में जाने के बाद जैसा कि श्री मुरारका ने कहा आखिर उसका नतीजा क्या निकला, मैं यहां पर यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब सरकार इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने पर तुली हुई है, यदि इस पीरियड को छोड़ दीजिये, ज़रा पुराने पीरियड की तरफ़ जाइये, पुराने समय में अंग्रेज़ शासकों ने कभी इनकरेज नहीं किया कि देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ हों परन्तु उस समय जो इंडिविजुएल, बड़े बड़े यहां के हिम्मत वाले लोग थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया और उनको बढ़ाने के बाद आज हम देखते हैं कि लाखों आदमी एक एक इंडस्ट्री के अन्दर लगे हुए हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि लाखों लोगों का जीवन निर्वाह इंडस्ट्री के द्वारा हो, और एक नहर बनाई जाती है, अरबों रुपया इसलिए लगाया जाता है कि सारे देश में पानी पहुंचे और हर आदमी को उसकी सुविधा प्राप्त हो उनको बुरा और भला कहा जाय यह हमारे लिए गौरव की चीज़ है कि सैकड़ों पदार्थ जो आज तक दूसरे देशों से हमारे यहां आते थे, आज उनको नहीं मंगाना पड़ता बल्कि उलटे सैकड़ों चीजें इस देश से बन कर दूसरे देशों में भेजी जा रही हैं। यह चीजें इंडस्ट्रीज़ के कारण ही तो जा रही हैं।

मैं तो केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि बिला शक़ जिनका दोष है उनको अवश्य सज़ा दी जाये परन्तु जिन्होंने देश के अन्दर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया कि देश की इंडस्ट्रीज़ में एक नवीन जीवन लाये हैं उनको आंख बंद कर कोसा न जाये। आज उन इंडस्ट्रीज़ को जिनको कि हमारी सरकार ने अपने हाथ में पकड़ा है और प्राइवेट सेक्टर की सफलता के अन्तर को देखिये। जिन्होंने कि अच्छा कार्य किया है उनको हमारे लिए उचित है कि धन्यवाद दें और उनको उत्साहित करे अलबत्ता जिन्होंने ग़लत काम किये हैं उनको अवश्य सज़ा दी जाय और फांसी की सज़ा दी जाय। इससे कम सज़ा देना मैं तो पाप मानता हूं। परन्तु यह बड़ी गलत बात है कि आप एक पक्ष लेकर केवल कुछ लोगों की ख़राबियों को सामने रख कर सबको एक ओर से कंडैम करें।

एक माननीय सदस्य : पूंजीपतियों और प्राइवेट सैक्टर के उद्योगपतियों में माननीय सदस्य अच्छाइयां ही अच्छाइयां बतलाते जा रहे हैं, जो बुराइयां हैं उनको भी तो वे बतलायें ? **(अन्तर्बाधा)**

श्री बिशनचंद्र सेठ : माननीय सदस्य धीरज धर कर मेरी बात को सुनें ।

श्री भट्टाचार्य ने कल अपनी स्पीच में यह कहा था कि मैं इस में दो पाप मिले जुले बतलाना चाहता हूं । पहला पाप तो व्यवसायी वर्ग का, दूसरा आफिशियेल्स का है । मैं उसमें एक तीसरा प्रात और ऐड करना चाहता हूं और वह है क़ानून का सरकार द्वारा ठीक प्रकार से अमलं न किया जाना । अगर हमारी सरकार क़ानून का ठीक प्रकार से प्रयोग करती तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार की चीजें आज हमारे सामने आई हैं वे नहीं आतीं । अगर उसकी मिसाल आप पूछना चाहते हैं तो मैं आप के सामने निवेदन करूंगा । १९४६ में सरकार के सामने डालमिया-जैन का मामला आया और १९५२ में उसे चालू किया गया । १९५६ में कमीशन बनाया गया । १९६२ में उस की रिपोर्ट आई और १९६३ में, सत्रह साल के बाद आज यह रिपोर्ट इस सदन में डिस्कस हो रही है । सरकार अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे कि जब वह सत्रह बरस के बाद इस मामले को तय करने के लिए आज यहां बैठी है, इस ढिलाई के बाद फिर वह शिकायत किस बात की कर रही है । जितने भी महानुभाव इस के पक्ष में या विपक्ष में बोले हैं, उन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो इस में सारे का सारा दोष कांग्रेस सरकार का मानता हूं कि अगर वह ठीक समय पर सारे काम को सम्भाल लेती, तो इस तरह की बातें हमारे देश में न होतीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि पंद्रह सोलह बरस के कांग्रेस के शासन में हमारा राष्ट्रीय चरित्र इतना गिर गया है कि जिस के कारण हमारे देश में अनेकों कुप्रबन्ध हो रहे हैं । अगर आज कांग्रेस सरकार डेटरमिन्ड हो कर इस भावना को ले कर यहां पर बैठे कि हम ने अपने देश के चरित्र-बल को ऊंचा करना है, तो स्थिति सुधर सकती है । मैं किसी रियायत का सवाल आप के सामने नहीं रखना चाहता हूं । मेरे पास श्री डालमिया जी के अनेक तार आए, तमाम चिट्ठियां आईं । पता नहीं क्या क्या आया । मैं उस तार को पढ़ कर हैरान रह गया, मैं समझता हूं, हाउस के सभी माननीय सदस्यों के पास गया होगा, कि डालमिया जी ने यह प्रार्थना कि की हम को पैरोल पर छोड़ दिया जाये, क्योंकि हमारा पच्चीस पौंड वज़न घट गया है, लेकिन उन को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया, जब कि बड़े बड़े डकैत छोड़े जाते हैं । उन्होंने प्रार्थना की कि कम से कम हम को बाहर सोने दिया जाये, क्योंकि इस गर्मी में हम कमरे में बराबर बन्द रहते हैं, परन्तु किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया । उन्होंने यह प्रार्थना की कि हम को वकील दिये जायें, ताकि हम वकीलों से कनसल्ट कर के अपनी प्रार्थना सरकार के सामने भेज सकें, लेकिन वकील नहीं दिये गए । सरकार के पास इस की क्या जस्टिफ़िकेशन है ? मैं भी चार पांच जेलों में रहा हूं और मैं जानता हूं कि डकैतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है ।

श्री मौर्य : सेठ जी एयर-कन्डीशन में रहते होंगे ।

श्री विशन चंद्र सेठ : मैं नैनी सेंट्रल जेल में रहा हूं, लखनऊ सेंट्रल जेल में रहा हूं । माननीय सदस्य शायद नहीं रहे होंगे । सरकार बड़ा उत्तरदायित्व ले कर बैठी है । उस का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह देश के सब व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखे । यह नहीं होना चाहिए कि चूंकि आज एक पार्टी के साथ द्वेष की भावना है, लिहाज़ा उस को हर तरह से ज़लील किया जाये और नीचा दिखाया जाये । यह सर्वथा ग़लत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को ख़त्म करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : कुछ माननीय सदस्य पच्चीस मिनट बोल चुके हैं । मैं अपनी घड़ी देख रहा हूं । श्री मोरारका ३२ मिनट बोले हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंद्रह मिनट ।

श्री बिशनचंद्र सेठ : मुझे मालूम है कि आप मुझे पंद्रह मिनट देंगे, लेकिन श्री मोरारका में क्या ख़ास बात थी ? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । मैं अभी ख़त्म करता हूं ।

आज सरकार की भावना यह होनी चाहिए कि जिन्होंने कोई भी ग़लत काम किया है, बिलाशक उनको फांसी दे दी जाये लेकिन सरकार की मनोवृत्ति कुछ और ही प्रतीत होती है । जैसा कि माननीय सदस्य, श्री सिंघवी, ने कहा है, एक रिपोर्ट सरकार की तरफ़ से आती है । और पेश होती है और तेरह महीने के बाद वह रिपोर्ट बदलाई जाती है । इतने उच्च आदर्शों वाली सरकार के लिए यह शोभाजनक बात नहीं है । मैं नहीं जानता कि उस में किस का हाथ था । परन्तु किंताब को पढ़ने से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि तेरह महीने के बाद परिवर्तन किया गया ।

एक माननीय सदस्य : पैसा दिया है ।

श्री बिशनचंद्र सेठ : सरकार ने पैसा दिया होगा । दूसरी पार्टी ने नहीं दिया होगा ।

चूंकि उपाध्यक्ष महोदय बड़े ग़ौर से मेरी तरफ़ देख रहे हैं, इसलिए अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंसी को नैशनलाइज़ कर दिया जाये । मैं इसका स्वागत करता हूं । कारण बड़ा स्पष्ट है कि अगर सारे देश के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सरकार की तरफ़ से नियुक्त हों, तो जो बहुत प्रकार की गड़बड़ियां आज हमारे देश के सामने आती हैं, वे निश्चित रूप से नहीं रहेंगी । मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे इस विषय में इस भावना से सोचें कि हमारे क़ानून में क्या कमी है और सरकार ने कहां पर ढिलाई की है । किसी व्यक्ति-विशेष को लांछित करने की दृष्टि से सोचना उचित नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट की यह भी मंशा नहीं है । रिपोर्ट की स्पष्ट भावना यह है कि हम कम्पनी ला में आवश्यक परिवर्तन करने जा रहे हैं । किसी व्यक्ति-विशेष के विषय को इस सदन में लाना मैं इस सदन का अपमान मानता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद दे कर अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : इस प्रतिवेदन के मामले में ६ वर्ष और २७ लाख रुपये लगाये गये हैं, किन्तु इस का निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकला ।

यह आश्चर्य की बात है कि जांच केवल कुछ कम्पनियों और उद्योगपतियों तक सीमित रखी गई है । जब ११ दिसम्बर, १९५६ को अधिसूचना जारी की गई थी, क्या उस समय सरकार को मालूम नहीं था कि और भी कम्पनियां हैं, जिन के विरुद्ध कुप्रबन्ध और अव्यवस्था की शिकायतें हैं । जांच के लिए केवल कुछ कम्पनियों को चुन लेना सरकार के लिये उचित नहीं था ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में श्री गोकुलदास मुरारका द्वारा एक कपड़ा मिल चलाई जा रही है । उस फर्म ने अपने कार्यों का कुप्रबन्ध किया है और रुपया गबन किया है, किन्तु सरकार ने इस कम्पनी के

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री सोनावने]

संबंध में कोई जांच नहीं की। बोस आयोग को उस फर्म की भी जांच करनी चाहिये थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने केवल कुछ फर्मों को जांच के लिए क्यों चुना।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण आयोग के निर्देश्य शर्तों में बल नहीं रह गया था। दंड देने का जो भी विचार था, वह समाप्त हो गया था और बोस आयोग केवल जांच समिति बन कर रह गई थी। जिस ने जनता का इतना रुपया खर्च किया है। आयोग ने बहुत परिश्रम से काम किया है किन्तु उस की उपपत्तियों में भ्रामक हैं और उन में बहुत सी परस्पर विरोधी बातें हैं। श्री दफ़तरी ने भी इस बात की चर्चा की है।

चूंकि दण्ड सम्बन्धी भाग समाप्त हो चुका है, इसलिए मेरा खयाल था कि सिफ़ारिशों संबंधी मामलों को ले कर कम्पनी विधि में संशोधन किया जायेगा। मुझे खेद है कि विधि मन्त्रालय ने पूरा प्रयत्न नहीं किया। श्री शान्ति प्रसाद जैन ने एक याचिका प्रस्तुत की है, जिस में उन्हों ने खंडवार उन सब आरोपों का उत्तर दिया है जो आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४५ पर दिये हुए हैं।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

मैं अनुभव करता हूं कि इस याचिका पर याचिका समिति को विचार करना चाहिये। सब वक्तव्यों पर समिति को ध्यान देना चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो कानूनी सलाह ली जाये और याचिका करने वाले से साक्ष्य लिया जाये। जब समिति की अन्तिम राय हमारे सामने आ जायेगी, तो हम देख सकेंगे कि क्या सम्बन्धित व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं।

बोस आयोग की जांच के परिणामों पर श्री दफ़तरी और श्री शास्त्री ने विचार कर लिया है और उन्होंने सुझाव दिया है कि कम्पनी विधि में कुछ संशोधन किये जायें। यह काम जितनी जल्दी किया जाये, उतना ही अच्छा है, ताकि भविष्य में ऐसी कुप्रथाओं को रोका जा सके और उन के करने वालों को दंड दिया जा सके। सरकार को इस सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करनी चाहिये।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयोग के सामने जो भी साक्ष्य रखा गया है, उसे अभियोग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः नया साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ेगा, यदि अभियोग चलाया जाना है किन्तु उस अवस्था पर भी कोई कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। और इस पर बहुत सा व्यय करना पड़ेगा। अतः जो कुछ हो चुका है, हो चुका है। क्या सरकार के लिये यह अच्छा नहीं होगा कि वह तुरन्त कम्पनी विधि में संशोधन कर के इन बुराइयों को समाप्त कर दे।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : श्री मोरारका ने अपने भाषण में कहा है कि डालमियां जैन समूह के बारे में बोस आयोग ने जो कुछ कहा है, वह कोई नई बात नहीं है और अन्य देशों में भी ऐसी बातें होती हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब सदन के सामने क्या प्रश्न है : बोस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में प्रकट किया है कि एक उद्योग समूह ने या कुछ उद्योगपतियों ने कुछ धोकेबाज़ी के सौदे किये हैं। किन्तु हमें यह नहीं समझना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये कि सभा बड़े बड़े उद्योगपति वैसे ही काम करते हैं जैसाकि डालमिया जैन ने किया है। किन्तु श्री हिम्मतसिंहका ने जिस फर्म के बारे में सफ़ाई पेश की है, उनके तथ्य मैं सिद्ध कर सकता हूं।

डालमिया समवाय ने जिस तरह महान्यायवादी के प्रतिवेदन का एक भाग प्रकट कर दिया है, उस से प्रकट होता है कि चाहे संसद् में हम समाजवाद और प्रजातंत्र के लिए हम कितने ही उत्सुक क्यों न हों, बड़े बड़े धनी उद्योगपति अपने रुपये से किसी को भी खरीद सकते हैं। करारोपण जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि जो कारापवंचन होता है, वह पूंजीपतियों के अपने मस्तिष्क के कारण नहीं होता बल्कि उन दिमागों के कारण होता है, जिन्हें वे खरीद सकते हैं।

इसका एक कारण यह है कि बड़ी बड़ी कम्पनियां राजनीतिक दलों के लिए अंशदान देती हैं। उन्हें रुपया दे कर वे उनसे अनुचित लाभ उठाती हैं। इस तरह प्राप्त होने वाले चन्दों से राजनैतिक भ्रष्टाचार को आश्रय मिलता है। सत्तारूढ़ दल के नेता अब भी श्री शान्ति प्रसाद जैन जैसे व्यक्तियों से घिरे हुए हैं। बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जब कलकत्ता में बीमार थे, तो उन के घर में थे। श्री मुरारजी देसाई भी उन का अतिथि होना स्वीकार करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो, तो श्री जैन के विरुद्ध कैसे किसी कार्यवाही की आशा की जा सकती है।

कम्पनी विधि में संशोधन तो कर दिया गया है और हम ने उस विभाग को कुछ शक्तियां भी दी हैं किन्तु उस ने उन का प्रयोग किस हद तक किया है और कितने व्यक्तियों को कम्पनी विधि के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए पकड़ा गया है। इन के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया जाना चाहिये। मैं श्री दाजी से इस बात पर सहमत हूं कि लेखापरीक्षकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और सरकार स्वयं उन्हें नियुक्त करे।

अध्यक्ष महोदय : एक बात की ओर मैं हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य मौर्य जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जोकि मुझे उचित नहीं मालूम देते। उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब यहां प्रीसाइड कर रहे थे। शायद वह हिन्दी को अच्छी तरह नहीं समझ सके इसलिए उस वक्त उन्होंने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया। मगर बाद में दो सदस्यों ने मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया और मैं ने उस को पढ़ा है। बाकी चीजों के बारे में ऊपर बोलते हुए उन्होंने ये शब्द भी कहे हैं : * * *

यह बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि हाउस इस को पसन्द नहीं करेगा कि एटार्नी जनरल के आफिस के बारे में यह कहा जाय कि * * *। यह कहना बहुत ज्यादती थी, और इन शब्दों को मैं हाउस की आज्ञा से रिकार्ड से निकालना चाहता हूं और प्रेस से भी कहता हूं कि वह इसे नोट कर लें।

श्री मौर्य : क्या मुझे दो शब्द कहने की आज्ञा मिल सकती है ? मैं अपनी जानकारी के लिए कुछ पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अगर कुछ ऐसे और शब्द कहेंगे तो उनको निकालना पड़ेगा।

श्री मौर्य : मैं इस में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं नया आदमी हूं इस सदन में। जिस समय उपाध्यक्ष महोदय प्रीसाइड कर रहे थे तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं पेश किया। अध्यक्ष महोदय, क्या आप को यह अधिकार है कि जिस समय आप इस सदन में प्रीसाइड नहीं कर रहे थे, उस समय की किसी बात को आप उठा सकें।

---

*कृपया श्री मौर्य का भाषण देखिये।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं ने सदन की आज्ञा चाही है। क्योंकि हमारे उपाध्यक्ष जी हिन्दी बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाते, इसलिये उन्होंने एतराज नहीं किया। एक दफा पहले भी ऐसा अवसर आया था जब उन्होंने मुझ से कहा था कि मैं ठीक नहीं समझ पाया।

श्री मौर्य : क्या उपाध्यक्ष महोदय की राय जान ली गयी है कि वह हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझ पाते .

अध्यक्ष महोदय : मैंने हाउस की आज्ञा से यह काम किया है।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारासात) : एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग ने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में ६ वर्ष लगाये हैं। इसे पढ़ कर बहुत दुःख होता है। मैं नहीं कह सकता कि हमारा कम्पनी अधिनियम प्रगतिशील है या नहीं, किन्तु यह व्यापक अवश्य है। इस में कई बार संशोधन किया गया है और इस प्रतिवेदन के फलस्वरूप इसे फिर संशोधित किया जाना है। इस से प्रकट होता है कि हमारी वाणिज्यिक नैतिकता बहुत नीची है।

यह प्रतिवेदन उन घटनाओं के बारे में है जो १९५६ में वर्तमान कम्पनी अधिनियम के १९५६ में लागू होने से पहले हुई थी। हम आशा करते हैं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वे चीज़ें दुहराई नहीं जायेंगी। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आयोग ने जिन कम्पनी समूहों के भ्रष्ट कार्यों का उल्लेख किया है, उन के अतिरिक्त और कम्पनियां भी ऐसे कार्य करती थीं। १९५९ में इस सम्बन्ध में बम्बई हिस्सेदार संस्था ने अपने ज्ञापन में १५० मामलों का उल्लेख किया था और उन समूहों के नाम दिये थे, जिन में वे कम्पनियां थीं ; इसी तरह बम्बई एक्सचेंज ने भी निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप लगाये थे और अधिनियम में संशोधन करने के सुझाव दिये थे। यह संशोधन किया गया था, किन्तु उस के बाद भी कम्पनियों द्वारा शोषण करने की गुंजाइश रह जाती है। आयोग ने और दफ़्तरी-शास्त्री समिति ने भी कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने की सिफ़ारिश की है। यद्यपि ऐसा करना अनिवार्य है, फिर भी, जब भी वाणिज्यिक नैतिकता का स्तर ऊंचा न किया जाये, तब तक इन बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता।

मैं एक सुझाव दे सकता हूं। कम्पनी अधिनियम के व्यापक उपबन्धों के बावजूद यह बहुत हद तक प्रभावहीन है। कम्पनी विधि प्रशासन उन कम्पनियों के विरुद्ध जो इस अधिनियम का उल्लंघन करते रहे हैं कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं कर सकते। इस को प्रभावोत्पादक बनाने के लिये आवश्यक है कि कम्पनी विधि प्रशासन का एकीकरण किया जाये, ताकि निगमित क्षेत्र पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। भाभा समिति और आयोग ने भी यही सिफ़ारिश की है। आयोग ने सिफ़ारिश की है कि निगमित क्षेत्र के सम्बन्धित सब संगठनों को एक ही प्रशासन के अधीन लाया जाये।

पहली चर्चाओं के दौरान में यह कहा गया है कि बड़े बड़े व्यापारिक दलों को उनके कुकर्मों में प्रशासन की ओर से सहायता या प्रोत्साहन मिलता रहा है। प्रशासन हर समय सतर्क नहीं रहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहली सूचना रिपोर्ट १९५२ या १९५३ में की गई थी किन्तु आयोग तीन वर्ष बाद अर्थात् १९५६ में नियुक्त किया गया था। जब मामला उच्चन्यायालय में पेश हुआ था तो रजिस्ट्रार, श्री चोपड़ा ने सहयोग नहीं दिया था और तथ्य बताने से इन्कार कर दिया था। आयोग ने उन पर यही आरोप लगाया है, किन्तु आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद उन्हें पांच बड़ी कम्पनियों के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त कर दिया था, जिन का व्यापार करोड़ों रुपये का था। श्री चोपड़ा इस जांच के लिये कितना समय लेंगे। मेरे विचार में श्री चोपड़ा को नियुक्त नहीं करना चाहिये था। एक और व्यक्ति श्री सी० पी० लाल हैं, जिनका उल्लेख आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किया है। उन्हें उच्चतम न्यायालय में किसी राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं रहने देना चाहिये। लेखा-परीक्षक की सोढांस को भी सूची में से निकाल देना चाहिये।

प्रतिवेदन पढ़ने के बाद मालूम होता है कि किस तरह कुछ चालाक आदमी हजारों लोगों के करोड़ों रुपयों से खेल कर सकते हैं। अब सरकार यह सोच रही है कि क्या कार्यवाही की जाये। श्री डालमिया का एक तरीका यह था कि एक कम्पनी के दूसरी में मिलाये जाने के बाद पहली की लेखा पुस्तकें नष्ट कर दी जाती थीं। दूसरा तरीका यह था कि भागीदारी का विघटन कर दिया जाता था। मैं चाहता था कि आयोग इस बारे में अपनी निश्चित राय देता।

यह खेद की बात है कि सरकार ने इस कम्पनी के कार्य को प्रकट करने की बजाये, उसकी रक्षा करनी चाही है। मैं नहीं समझा सका कि सरकार को श्री दफ्तरी और श्री शास्त्री के प्रतिवेदन के पूरे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में संकोच करने का क्या कारण था।

न्यू एशियाटिक और रियूबी बीमा कम्पनियों के मामले पर दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है। उस के बारे में लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन अधिक व्यावहारिक है। उस प्रतिवेदन की किसी सिफारिश के कारण सरकार को मामला किसी न्यायालय के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिये। यदि न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, तो कोई शिकायत नहीं रहेगी।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्रीमान्, २५ से अधिक सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है और पांच स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। मैं उनका उत्तर अलग अलग नहीं दूंगा क्योंकि वाद-विवाद इकट्ठा ही हुआ है।

वाद-विवाद में जो प्रश्न उठाये गये हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है --पहला वह जो आयोग के प्रतिवेदन से उत्पन्न होते हैं और दूसरा वह जो सामान्य औद्योगिक और आर्थिक नीति के संबंध में है। मैं दूसरे भाग के बारे में बोलने के योग्य नहीं हूं। पहले के बारे में स्पष्टीकरण अवश्य देने का प्रयत्न करूंगा।

यह याद रखना चाहिये कि वह घटना, जिस के बारे में आयोग ने जांच की है, यद्यपि इतनी पुरानी नहीं है फिर भी उस समय हुई है, जिस का ऐतिहासिक महत्व है। जिन कम्पनियों के कार्य के बारे में जांच की गई है, वे कार्य १९४५ से १९४९ के दौरान में हुये थे। उस समय देश में बहुत अव्यवस्था थी और देश में युद्ध की समाप्ति के बाद की गड़बड़ी थी। ऐसे समय में चालाक लोग ऐसे काम करते हैं जो कि वे साधारण परिस्थितियों में नहीं करेंगे। एक और बात यह थी कि उस समय कांग्रेस दल को बिल्कुल दबाया हुआ था, जहां तक सार्वजनिक जीवन का संबंध है। उस समय राजनीतिक जीवन और प्रशासन में कोई स्थिरता नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

इस समय, मैं इस मामले के वैधानिक पहलू को, अर्थात् उन विधियों को जो उस समय लागू थीं, छोड़ देता हूं। उस समय जब ये कार्यवाहियां हुई, यदि कोई स्थिर सरकार भी होती, तो वह भी इस को दबा न सकती या कोई जांच या कार्यवाही न कर सकती, क्योंकि उस समय १९१३ का कम्पनी अधिनियम लागू था, जिसकी त्रुटियां स्वयं आयोग ने बताई हैं।

और भी कई एक व्यापारिक गृहों में ऐसी बातें हुई होंगी परन्तु इस ग्रुप ने तो हद ही कर दी थी। यही कारण था कि सरकार को इनकी गतिविधियों का नोटिस लेना पड़ा। कई दिशाओं से सरकार के पास शिकायतें आती रही थीं। मैंने अपना रिकार्ड देखा है, और किसी समवाय के विरुद्ध मेरे पास अभी कोई शिकायत नहीं है। शोलापुर मिल्ज के विरुद्ध जो भी शिकायत आई थी उस पर बम्बई सरकार ने कार्यवाही की है और निरीक्षकों पर मुकदमा चलाया गया था, परन्तु सभी अभियुक्त रिहा हो गये। वैसे मैं श्री दाजी को यह बतलाना चाहता हूं कि किसी को परेशान करने की हमारी नीति बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी किया जाता है पूर्णतः विधि को दृष्टि में रख कर किया जाता है। जो भी कार्यवाही की जानी है उसका उल्लेख मैं अपने पहिले भाषण में कर चुका हूं।

प्रतिवेदन के दूसरे भाग में जो समवाय अधिनियम में संशोधन करने के बारे में है। इसके संबंध में बाद में बताऊंगा। प्रथम भाग के बारे में तो मैं कह ही चुका हूं कि आयोग ने स्वयं कहा है कि हमारा काम तथ्यों का पता करना और यह बताना है कि वास्तविक स्थिति क्या है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आयोग को स्पष्टतः इस बात से मना कर दिया गया था कि वह न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करे अथवा साक्ष्य की ऐसी व्यवस्था करे कि दंड के लिये उसका प्रयोग किया जा सके। सरकार के विधि अधिकारियों को कोसना ठीक नहीं, वास्तविकता यह है कि जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह इतना प्रभावशाली नहीं कि न्यायालय के आगे टिक सके। महान्यायवादी की यही राय है और सरकार के पास उपरोक्त राय को स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त दूसरी कोई राह ही नहीं। यह सब कुछ होते हुये भी महान्यायवादी ने दस पदों का चुनाव किया है जिनके बारे में अधिक जांच करने से और अधिक साक्ष्य प्राप्त हो सकने की संभावना है। इन दस मामलों में शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

इस संदर्भ में मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि आयोग ने स्वयं यह बात कही है कि १९५६ और १९६० के संशोधन इतने व्यापक हैं। १९५६ के अन्तर्गत हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत सुनने का अवसर नहीं मिला। यद्यपि इसके अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था थी। लगभग ६००० सार्वजनिक समवाय देश में काम कर रहे हैं और १८,००० के लगभग निजी समवाय काम कर रहे हैं। इन सब में से केवल ४८ ही मामले ऐसे थे जो कि सरकार के सामने आये और जिनकी जांच हो सकती थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने समवाय विधि प्रशासन के बारे में कहा है कि वह अदालत में जाने से डरते थे, परन्तु मेरा कहना है कि समवाय विधि प्रशासन का कार्य बहुत ही सन्तोषप्रद रहा है। जब भी किसी मामले में कोई गुंजाइश दिखाई देती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है। अपने कर्त्तव्य से कभी मुह नहीं मोड़ा जाता। परन्तु सामान्यतः देखा यह गया है कि समवाय अधिनियम १९५६ तथा इसके बाद संशोधन अधिनियम, १९६० के लागू होने से समवायों के कामों में काफी अनुशासन की भावना आ गयी है। आज जो भी विधि के विधान में सरकार को पूरे अधिकार हैं कि वह जांच करे और यदि कोई कमी देखे तो चालान कर दे। इसी अधिनियम के

धारा ३९७ के अन्तर्गत कई मामले उठे भी जिनके साथ न्याय किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी विधान के अन्तर्गत न्यायालयों को दंड देने के भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। इस संबंध में कानपुर के ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का नाम लिया जा सकता है। मेरे कथन का सार यह है कि जो भी स्थिति है और जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, उसे देखते हुये यह स्पष्ट है कि विधि समवाय प्रशासन हमेशा सचेत रहा है। सरकार को तो जब भी अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करना होता है तो उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाता है। विधि के सिद्धांत और न्यायिक प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखा जाता है।

मैंने आयोग की सब बातें बता दी हैं। आयोग ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसके अनुसार २४ प्रकार के प्रमुख कदाचार व्यक्त किये हैं। मेरे समक्ष भी वह सारणी है। मेरा विचार है कि जितने भी कदाचरणों का आयोग ने उल्लेख किया है, उनमें पांच के अतिरिक्त बाकी सब वर्तमान समवाय विधि के अन्तर्गत आता है। मेरा कहना है कि यह बात बिलकुल गलत है कि ये कदाचरण बहुत गम्भीर नहीं है। इस बारे में इतना ही कहना पर्याप्त है कि सरकार ने एक नीति की घोषणा की है. और वह उस पर चल रही हैं।

भारत सरकार की आर्थिक नीति के बारे में कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। परन्तु सरकार अपनी औद्योगिक नीति संकल्प पर कायम है। सरकार ने आर्थिक वृत्तियों के अध्ययन को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया है। आर्थिक केन्द्रीकरण हुआ है अथवा नहीं, इस बात का फैसला तब ही हो सकता है जब कि "महालोबनिस" समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाय। उस प्रतिवेदन के लिये निर्देश के पद निश्चित हैं। इस बीच लोग जैसा चाहें अपना अपना अनुमान लगा लें, यह तो सब का अधिकार है। श्री दाजी ने एक बात पूछी थी, परन्तु तुरन्त ४,००० लाइसेंसों के बारे में तो एक दम बताना असंभव है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह तो पहले से ही है, अन्यथा उन्हें मंजूर ही कैसे किया जा सकता था।

†**श्री कानूनगो** : श्री बनर्जी को उचित है कि वह हस्तक्षेप न करें। लाइसेंस देने की नीति का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि समवाय विधि भी समवायों की संक्रियाओं का संचालन करने के लिये ही है जो जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था विशेष नियमों से शासित है। बीमा समवाय बीमा अधिनियम से और औद्योगिक समवाय औद्योगिक अधिनियम से शासित हैं। इसलिये केवल समवाय विधि ही देश की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाओं का शासन नहीं कर सकती। विभिन्न क्षेत्रों की विधियां, विशेषतया कर और वित्त-सम्बन्धी विधियां ही देश की आर्थिक उन्नति की प्रवृत्ति का निश्चय कर सकती हैं, वह उपयुक्त है या नहीं वह अपने अभीष्ट नीति सम्बन्धी प्रयोजन को सिद्ध करते हैं या नहीं उस पर प्रकाश डालना मेरा काम नहीं है। इन बातों के सम्बन्ध में वाद-विवाद का कई बार अवसर प्राप्त हो चुका है, आगे भी होने की संभावना है। आगे भी अवसर मिलेगा और कुछ भी हो उसके सम्बन्ध में हमें शीघ्र ही विशेषज्ञों का मत जानने का अवसर मिलेगा।

कई सदस्यों ने यह कहा था कि सरकार को चाहिये कि जिस समवाय को चाहे अपने अधिकार में ले ले; विशेषतया इस प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान में यह कहा गया था कि आयोग ने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है उनके नियंत्रण में वर्तमान समवाय न रहने दिये जायें। उस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि समवाय अधिनियम की केवल धारा २७४ के अन्तर्गत ही किसी व्यक्ति को जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

डाइरेक्टर अथवा किसी अन्य रूप में समवाय का संचालन कर रहा है निकाला जा सकता है। इस धारा के अधीन उसी व्यक्ति को निकाला जा सकता है मस्तक विकृत हुआ अथवा जिसका दिवाला निकल गया हो अथवा किसी अपराध, जिसमें नैतिक पतन भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में, अपराधी ठहरा दिया गया हो। मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता कि यह कानून उपयुक्त है अथवा नहीं, या उचित है अथवा नहीं। जांच के दौरान हमें पता चला है कि सरकार के हाथ में मैनेजिंग डाइरेक्टर्स अथवा मैनेजिंग एजेन्ट्स की नियुक्तियों का अनुमोदन करने की शक्ति है, किन्तु ऐसा करने के बाद वह इन्हें निकाल नहीं सकती। में समझता हूं कि वर्तमान कानून में यह एक कमी है। किन्तु जब तक इस पर सभा में विचार नहीं किया जाता सरकार न्यायलय में जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। इसलिये सरकार भी इस विषय में चिन्तित है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित व्यक्तियों और समवायों पर अभियोग चलाया जाये और कम से कम इन लोगों के ही हित में न्यायालय का निर्णय प्राप्त किया जाये। या तो उन्हें उन अभियोगों से मुक्त कर दिया जायेगा या फिर सज़ा दी जायेगी।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : क्या सरकार ने कोई मामला दर्ज किया है।

†**श्री कानूनगो** : अभी नहीं। सरकार ने विधि अधिकारी का मत लिया है। विधि अधिकारी ने सुझाव दिया है कि और अधिक जानकारी प्राप्त होने तक अभियोग न चलाया जाये। मुझे आशा है कि अभियोग चलाने के लिये काफी साक्ष्य मिल जायेगा। आखिर प्रमुख आरोप कौन से हैं? आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार कुप्रथाओं के क्या परिणाम हुए हैं? यदि उनके लिये कुछ व्यक्ति उत्तरदायी हैं तो वह दंड संहिता के अधीन उन पर अभियोग चलाया जायेगा और उसका फैसला किया जायेगा। जो व्यक्ति निगम के रूप में कार्य करने का दिखावा कर रहा है उसे ऐसे अपराध नहीं करने चाहियें जिनका उन्हें व्यक्तिगत रूप में जवाब देना पड़े। किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये कि केवल संदेह के आधार पर ही न्यायाधिकरण में उसके साथ पूर्ण न्याय नहीं किया जाये।

मुझे खेद है कि सरकार द्वारा किये गये कार्य के विषय में संदेह व्यक्त किया गया है। मैं पांच समवायों के अनुसंधान के बारे में कह रहा हूं जिसका बोस आयोग की उपपत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ शिकायतें थीं जिनके सम्बन्ध में यह अनुसंधान किये गये थे और मुझे इस बात का भी खेद है कि कुछ व्यक्तियों पर आक्षेप किये गये थे जो यहां नहीं हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम ने उसके संबंध में काफ़ी सामग्री प्रस्तुत की है।

†**श्री कानूनगो** : श्री बनर्जी किसी पर भी आक्षेप कर सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं?

†**श्री कानूनगो** : श्री बनर्जी अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं राज्य सभा में पहले ही इन आरोपों का खंडन कर चुका था, यह पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था फिर भी वह उसी बात को दोहरा रहे है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे ऐसी जानकारी है कि उन्हें श्री शांति प्रसाद जैन के कहने पर ही नियुक्त किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : वह बिना तथ्यों को जाने ही आक्षेप कर रहे हैं । वह ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप कर रहे है जिनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा अत्यन्त अच्छी है । में इन आरोपों का खंडन करता हूँ कि उनका कभी डालमिया-जैन संस्था से कोई सम्बन्ध रहा है ।

सरकार के विधि अधिकारियों के मतों के प्रति भी संदेह व्यक्त किया गया है । में इसके विषय में कुछ नहीं कह सका । किन्तु सरकार अपने विधि-अधिकारियों के मत को मान्यता देती है ।

जो लोग महान्यायवादी पर आक्षेप करना चाहते हैं उनके लिये उचित मार्ग यह है कि सभा में उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करें और उन्हें प्रमाणित करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेंने उन आक्षेपों को सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित न करने का आदेश दिया है ।

†**श्री कानूनगो** : यह भी कहा गया है कि लेखा-परीक्षकों को व्यावसायिक रूप में कार्य नहीं करना चाहिये । वह सरकार के अधीन हों और सरकार ही उन्हें ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज़ के लिये नियुक्त करे । यह नया विचार नहीं है ।. १९५८ में संसद् द्वारा नियुक्त पुनर्विलोकन समिति द्वारा इस विषय पर विचार किया गया था और काफी चर्चा के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । अनुशासनहीन लेखा परीक्षकों को दण्ड देने की काफी गुंजाइश है । हम यह नहीं कह सकते कि सारे लेखा-परीक्षकों का नैतिक-स्तर अत्यन्त ऊंचा है किन्तु सौभाग्य से इस देश में त्रुटियां कम ही होती हैं । श्री सोधानी के मामले को, जिसका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है, चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था की अनुशासन समिति के पास भेज दिया है ।

यह बात की गई थी कि कुछ लोग कर का अपवंचन करते हैं और सरकार उन लोगों के नाम प्रकाशित करना नहीं चाहती । किन्तु कर अपवंचन करने के विषय में, जिन पर १९६०–६१ और १९६१–६२ में ५००० रुपये से अधिक का जुर्माना किया गया था, दो विवरण क्रमशः ६ मार्च, १९६२ और २२ दिसम्बर, १९६२ को गजट में प्रकाशित हुए हैं । विवरण की प्रतियां क्रमशः १४ मई, १९६२ और २३ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रख दी गई थीं ।

श्री दाजी ने कर अपवंचन के मामलों को निबटाने के लिये एक स्थायी न्यायाधिकरण नियुक्त किये जाने का उल्लेख किया था । श्री त्यागी की अध्यक्षता में हुई समिति भी इस विषय पर विचार करने के बाद इस निश्चय पर पहुंची थी कि इस प्रकार के पृथक निकाय की स्थापना न व्यवहार्य है और न आवश्यक क्योंकि १९६१ के आय कर अधिनियम द्वारा बहुत से दोषों को दूर कर दिया गया था ।

मैं १९५३ के पहले जानकारी सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं । यह कहा गया है कि सरकार ने इस विषय में जान बूझ कर चुप्पी साध रखी है । वास्तविकता यह है और आयोग ने भी यह कहा था कि मामले को हाथ में लिया गया था और कुछ कागज़ात पकड़े गये थे, तथा जांच भी की जा रही थी । उस स्थिति में आयोग ने कागज़-पत्र मंगाये थे । अब आयोग का काम समाप्त हो गया है और कागज़ात जांच अधिकारियों को सौंप दिये गये हैं, अब फिर से जांच करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

अन्त में मैं यह और कहना चाहता हूं कि इस सभा के वाद-विवाद के बीच स्वर्गीय राष्ट्रपति का नाम कुछ अरुचिकर संदर्भ में लिया गया था। विरोधी पक्ष को इस बात का अधिकार है और यह उनका कर्तव्य भी है कि वह उचित अनुचित रूप से सरकार की आलोचना करे। किन्तु स्वर्गीय राष्ट्रपति का नाम कुछ बुरे व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध करना शालीनता का कार्य नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेंने उन शब्दों को ध्यान से सुना था, उस में राष्ट्रपति पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था, केवल मुख्य मंत्री पर आरोप लगाने का उनका ध्येय था कि वह एक उद्योगपति के निवास स्थान पर रुग्णावस्था में पड़े हुए थे और राष्ट्रपति को वहां उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने जाना पड़ा था।

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा)** : मुख्य मंत्री के विषय में जो अब इस दुनियां में नहीं रहे, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सारे स्थानापन्न प्रस्ताव एक साथ ही रखूं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री तिवारी का संशोधन संख्या ५ अलग रखा जाये और बाकी सब को एक साथ रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी स्थानापन्न प्रस्ताव भी मतदान के लिए रख गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। बोस आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा समाप्त हुई। सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ७ मई, १९६३
१७ वैशाख, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६०४९—६९
तारांकित प्रश्न संख्या	
११८५ नेताजी के जन्म दिवस की स्मृति में डाक-टिकट	६०४९—५१
११८६ अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अभिकर्ता	६०५१—५३
११८७ चीनी का मूल्य	६०५३—५८
११८८ कोलाघाट पुल	६०५८—६१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
१४-क जकार्ता में एशियाई-अफ्रीकी पत्रकार सम्मेलन	६०६१—६४
१६ चीनियों द्वारा भारतीय युद्धबन्दियों की रिहाई .	६०६४—६६
१७ नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदाम की इमारत का गिर जाना	६०६६—६७
१८ कांस्टीट्यूशन हाउस का गिराया जाना	६०६८—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	६०६९—७१
तारांकित प्रश्न संख्या	
२७२० उड़ीसा में हवाई अड्डे	६०६९
२७२१ नरसिंहपुर में लेवल क्रासिंग पर पुल	६०६९—७०
२७२२ इटारसी लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल	६०७०
२७२३ अलिटालिया विमान दुर्घटना की रिपोर्ट	६०७०
२७२४ पटसन के लिये केन्द्रीय पर्यवेक्षी निकाय	६०७०—७१
अल्पसूचना प्रश्न संख्या	
१५ देहरादून में चूने के पत्थर की खदानें	६०७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ६०७१–७४

(१) डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने कोलम्बो के निकट दास (स्लेव) द्वीप के नजरबन्दी शिविर में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ किये गये व्यवहार के बारे में उनके द्वारा कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय से की गई शिकायतों की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री स० मो० बनर्जी ने ३ मई, १९६३ को दिल्ली फ्लाईंग क्लब के एक विमान की दुर्घटना की ओर, जिसके फलस्वरूप एक विद्यार्थी चालक की मृत्यु हो गई, परिवहन तथा संचार मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(१) निम्नलिखित पत्रों की एकएक प्रति :

(क) नई दिल्ली स्थित चीन के लोक गणराज्य के दूतावास के नाम दिनांक ३ अप्रैल, १९६३ का भारत सरकार का नोट ।

(ख) भारत के प्रधान मन्त्री के नाम दिनांक २० अप्रैल, १९६३ का प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई का पत्र ।

(ग) प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई के दिनांक २० अप्रैल, १९६३ के पत्र का भारत के प्रधान मन्त्री का दिनांक १ मई, १९६३ का उत्तर ।

(घ) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ का चीन सरकार का नोट ।

(ङ) चीन सरकार के दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ के नोट का दिनांक ६ मई, १९६३ का भारत सरकार का उत्तर ।

(२) वर्ष १९६३–६४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार में लिये गये ऋणों के बारे में दिनांक २९ अप्रैल, १९६३ की वित्त मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या एफ १३ (१०)/डब्ल्यू एण्ड एम/६३ की एक प्रति ।

(३) कोचीन (केरल) में एक तेल साफ करने का कारखाना स्थापित करने के लिए २७ अप्रैल, १९६३ को भारत सरकार और अमरीका की मैसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी/मैसर्स डन्कन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के बीच हुए करार की मुख्य बातों को बताने वाला विवरण ।

(४) तेल शोधनशाला करारों की शर्तों के अन्तर्गत तेल साफ करने के कारखानों को प्राप्त शुल्क सम्बन्धी संरक्षणों के बारे में विवरण ।

(५) विभिन्न अधिवेशनों में जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(क) अनुपूरक विवरण संख्या १ चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

(ख) अनुपूरक विवरण संख्या ५ तीसरा सत्र, १९६२–६३ (तीसरी लोक-सभा)

(ग) अनुपूरक विवरण संख्या ७ दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(घ) अनुपूरक विवरण संख्या १० पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(ङ) अनुपूरक विवरण संख्या ८ सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

(च) अनुपूरक विवरण संख्या १० पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(छ) अनुपूरक विवरण संख्या १९ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(६) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ मार्च, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२(२०८)/६२-पी आर (टी) ।

(ख) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ०१२(२१३)/६२-पी आर (टी) ।

(ग) दिनांक ४ अप्रैल, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२ (१७६)/६२-पी आर (टी) ।

(७) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११०८ में प्रकाशित मोटर गाड़ी (भारत और आसन्न देशों के बीच वाणिज्यिक यातायात का संचालन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(८) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १२ जून, १९५४ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९६५ में प्रकाशित व्यापारिक बेड़े में मास्टरों और मेटों को दक्षता प्रमाण-पत्र देने का विनियमन करने वाले नियमों में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६६८ ।

(ख) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक २३ फरवरी, १९६३ की एस० ओ० संख्या ५१२ ।

(९) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थायी सिन्धु आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(१०) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा ३ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५८ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम, १९६३ ।

(११) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२५ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(ख) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(१२) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर ७२८ की एक प्रति जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को कुछ व्यापारिक नाटय शालाओं, क्लबों, सर्कस कम्पनियों और अन्य मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है ।

(१३) तीसरे और चौथे सत्रों में हुई अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की (चौथी से छठी) बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(१४) वर्तमान सत्र में हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की (चौथी और पांचवीं) बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित । ६०७७

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ६०७७–७१

(१) १५ सदस्यों को सत्र के दौरान सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई ।

(२) श्री उमानाथ की १९ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९६२; २१ जनवरी से २५ जनवरी, १९६३ (तीसरा सत्र) और १८ फरवरी से ५ अप्रैल, १९६३ (चौथा सत्र) तक की अनुपस्थिति माफ कर दी गई।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ६०८१—८५

प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने हाल में भारत आये विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ हुई चर्चा, भारत-पाकिस्तान वार्ता आदि के बारे में एक वक्तव्य दिया।

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव-स्वीकृत ६०८५—८६

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रस्ताव किया कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक, १९६२ संबंधी संयुक्त सैमिति में, श्री थामस श्री निवासन की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति के लिये अपने में से एक सदस्य नयुक्त करें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ६०८६—६११८

६ मई, १९६३ को प्रस्तुत किये गये विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में अग्रेतर चर्चा जारी रही।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) ने वाद-विवाद का उत्तर दया।

लोक-सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

तीसरी लोक सभा के चौथे सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१८ फरवरी से ७ मई, १९६३
२. बैठकों की संख्या	६१
३. बैठकों के कुल घण्टों की संख्या	४१४ घंटे, ५६ मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या	४८
५. सरकारी विधेयक	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	१६
(२) पुरःस्थापित किए गए	१८
(३) राज्य-सभा द्वारा पारित रुप में सभा पटल पर रखे गए	२
(४) प्रवर समिति को सौंपे गए	कोई नहीं
(५) संयुक्त समिति को सौंपा गया	१
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं
(६) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	३
(८) पारित किए गए	२०
(९) राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के लौटाये गये	९
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये	कोई नहीं
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१६
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक :	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	४०
(२) पुरःस्थापित किए गए	८
(३) जिन पर चर्चा हुई	११
(४) वापिस लिए गए	७
(५) अस्वीकृत	१
(६) पारित किया गया	१
(७) जिन पर आंशिक रुप में चर्चा हुई	१
(८) जिन पर चर्चा स्थगित हुई	कोई नहीं
(९) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन जो सभा पटल पर रखा गया	१
(१०) राज्य सभा द्वारा पारित रुप में सभा पटल पर रखा गया	१
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	४०

७. नियम १९३ के अन्तर्गत हुई चर्चाओं की संख्या
(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)

(१) सूचनायें प्राप्त हुईं	२९
(२) चर्चा हुई	१

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिए गए वक्तव्यों की संख्या
(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१) सूचनाएं प्राप्त हुईं	६९१
(२) मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	३९

९. आधे घंटे की चर्चा — २

१०. सरकारी संकल्प

(१) प्रस्तुत किए गए	कोई नहीं
(२) स्वीकृत	कोई नहीं

११. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

(१) प्राप्त हुए	२३
(२) गृहीत किये गए	२०
(३) जिन पर चर्चा हुई	५
(४) वापस लिए गए	३
(५) अस्वीकृत हुए	कोई नहीं
(६) स्वीकृत हुए	कोई नहीं
(७) आंशिक रूप से चर्चा हुई	१

१२. सरकारी प्रस्ताव

(१) गये	१
(२) स्वीकृत हुए	१

१३. गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए	८९
(२) गृहीत किए गए	२८
(३) प्रस्तुत किए गए	कोई नहीं
(४) स्वीकृत हुए	१ (तीसरे सत्र में प्रस्तुत)
(५) जिन पर आंशिक रुप से चर्चा हुई	कोई नहीं

१४. संविहित नियमों में रुपभेद करने के बारे में प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए	२
(२) गृहीत हुए	२
(३) प्रस्तुत हुए	कोई नहीं

१५. सत्र के दौरान स्थापित की गई नई संसदीय समितियों की संख्या

(१) राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति

(२) संसदीय समितियां (जिन के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं) १–५–६३ से पुनर्गठित

(३) प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति—१–५–६३ से ३०–४–६४ की कालावधि के लिए पुनर्गठित

१६. सत्र के दौरान दर्शकों के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रों की कुल संख्या	२८, ४७८
१७. तिथि जिसको दर्शकों के लिए अधिकतम प्रवेशपत्र जारी किए गए और उनकी संख्या	७ मई, १९६३ के लिए १०७४
१८. स्थगन प्रस्तावों की संख्या	
(१) सदन में लाए गए	२
(२) गृहीत किए गए, किन्तु सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हुई	२
(३) नियम बाह्य घोषित किए गए	कोई नहीं
(४) अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई	कोई नहीं
१९. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(१) तारांकित	११७२
(२) अतारांकित प्रश्न (जिनमें वे तारांकित प्रश्न शामिल हैं जो अतारांकित कर दिए गए हैं)	२६७३
(३) अल्प सूचना प्रश्न	१९
२०. विभिन्न संसदीय समितियों के लोक-सभा को उपस्थापित प्रतिवेदनों की संख्या	
(१) लोक लेखा समिति	७
(२) प्राक्कलन समिति	२६
(३) कार्य मन्त्रणा समिति	५
(४) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	२
(५) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	९
(६) राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्थों के आचरण की जांच करने वाली समिति	१
(७) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	१
(८) लाभपदों सम्बन्धी समिति	१
(९) याचिका समिति	१
२१. जिन सदस्यों को छुट्टियां स्वीकृत की गईं	३७
२२. याचिकाएं प्रस्तुत की गईं	२
२३. नए सदस्यों की संख्या जिन्होंने शपथ ली	२

PLS. 40.XVII 42. 63
880

© 1963 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED AT THE PARLIAMENTARY WING OF THE GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI.